खण्ड-41, अंक-03
बुधवार, 05 अग्रहायण, शक संवत्, 1935
(दिनांक 26 नवम्बर, 2014 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2014)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 41 में 04 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2014

मूल्य-

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति — — —	"क"
प्रश्नोत्तर — — —	1–90
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं — — —	91
जनपद हरिद्वार के ग्राम मौजा सोहलपुर सिकरोढ़ा के खसरा नं0 252 की भूमि पर गांव के प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा करने के प्रयास के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना — —	91–92
विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में विभिन्न सम्पर्क सड़क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना — — —	92–93
जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना के ग्राम धूरोली, रैंगुडा, आली ग्राम हेतु 20 वर्ष पूर्व बनी पेयजल लाइन के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न पेयजल समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना — — —	93
विधान सभा क्षेत्र गदरपुर में गदरपुर–दिनेशपुर–मटकोटा सड़क मार्ग का धन स्वीकृति के पश्चात् भी अभी तक निर्माण कार्य नहीं किए जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना — —	93–94
विधान सभा क्षेत्र लैन्सडाउन के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था अस्त–व्यस्त होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना — —	94
जनपद चम्पावत में घरेलू कुकिंग गैस की वर्तमान बुकिंग व्यवस्था के कारण जनता को हो रही भारी दिक्कतों के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना — — —	94–95
विपक्ष द्वारा हल्द्वानी में एक विवाह समारोह से गायब बालिका कशिश का रेप कर बालिका का शव सात दिनों बाद काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास मिलने के सम्बन्ध में नियम–310 में दी गई सूचना पर चर्चा कराए जाने की मांग — — —	95–101
उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2014 के द्वितीय सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2006 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्रवाई का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) — — —	101

विषय	पृष्ठ–संख्या
विपक्ष के सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचना –	101–102
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या एक में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	102
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 2 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	102
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 3 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	103
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 4 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	103
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 5 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	103
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 6 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	103–104
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 7 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	104
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 8 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	104
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 9 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	104
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 10 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	104–105

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 11 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) — — —	105
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 12 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) — — —	105
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 13 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) — — —	105
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 14 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) — — —	106
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 15 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) — — —	106
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत केदारवाला में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) — — —	106
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मेहूंवाला खालसा में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) — — —	107
जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत प्रतीतपुर व ग्राम बांसोवाला में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) — — —	107
जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम सिसैया (मेलाघाट) गांव के आगे मेलाघाट नेपाल रोड नाले पर 32 फुट चौड़े पुल का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) — — —	107
जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पंचायत दियाँ-गांगी गिधौर, विकास खण्ड खटीमा के 5 कि0मी0 नालों की सफाई एवं चौड़ीकरण करवाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) — — —	107–108

विषय	पृष्ठ–संख्या
मदमहेश्वर विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित) – – –	108
उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित) – – –	108
उत्तराखण्ड राज्य गैरसैण विकास परिषद विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित) –	109
उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित) –	109
उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित) –	109–110
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश – – –	110–115
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं – – –	115
वित्तीय वर्ष 2014–15 की द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान – – –	116
अनुदान–01 विधान सभा, अनुदान संख्या–03 मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन, अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं, अनुदान संख्या–08 आबकारी, अनुदान संख्या–09 लोक सेवा आयोग, अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल, अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति, अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, अनुदान संख्या–14 सूचना, अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं, अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार, अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान, अनुदान संख्या–18 सहकारिता, अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़, अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण, अनुदान संख्या–23 उद्योग, अनुदान संख्या–24 परिवहन, अनुदान संख्या–25 खाद्य, अनुदान संख्या–26 पर्यटन, अनुदान संख्या–27 वन, अनुदान संख्या–28 पशुपालन, अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण, अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – – –	116–129
उत्तराखण्ड विनियोग (2014–2015 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 (पारित) – – –	130–135
उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014 (पारित) – –	135–149
उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014 (पारित) – – –	149–178

विषय	पृष्ठ–संख्या
राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ–साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बनाने विषयक संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को नियम–88 के अन्तर्गत प्रस्तुत सरकारी संकल्प पर चर्चा जारी – – –	178
राज्य सरकार द्वारा विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिए ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करने विषयक संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को नियम–88 के अन्तर्गत प्रस्तुत सरकारी संकल्प पर चर्चा जारी – –	178
जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने विषयक श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी – –	179
प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार विषयक श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी – – –	179
उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुए कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने सम्बन्धी डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी – – –	179
प्रदेश में स्थानीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मतदान की अनिवार्यता की जाए विषयक श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी –	180
जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित तथा लागू महायोजना 2005–25 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन विषयक श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी –	180–181

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तराखण्ड राज्य में "ईको सेंसटिव जोन" को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाए जाने की घोषणा की जाए विषयक श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी – – –	181
उत्तराखण्ड राज्य की मलिन बस्तियों में नजूल भूमि व कृषि कार्य वाली भूमि पर वर्षों से असहाय रूप से निवास कर रहे निर्धन नागरिकों को उनके स्वामित्व में फ्रीहोल्ड कर पट्टे प्रदान किए जाएं एवं शहरी कालोनियों में फ्रीहोल्ड प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ कर नागरिकों को भौमिक अधिकार प्रदान किए जाने विषयक श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–87 के अन्तर्गत प्रस्तुत असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी – – –	181
राज्य में बाल मजदूरी को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाई किए जाने विषयक श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–87 के अन्तर्गत प्रस्तुत असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी – –	182
अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगे हुए ग्राम पंचायतों से लोगों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार हेतु एक अलग से योजना बनाए जाने विषयक, श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–87 के अन्तर्गत प्रस्तुत असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी – –	182
उत्तराखण्ड राज्य के 1065 गैर आबाद ग्रामों को पुनः आबाद करने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाने तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए समयबद्ध योजना बना कर क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता विषयक, श्री महावीर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–87 के अन्तर्गत प्रस्तुत असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी – – –	182
गंगा सफाई अभियान की तरह उत्तराखण्ड की काशी बागेश्वर की प्रसिद्ध नदी सरयू व गोमती को स्वच्छ, निर्मल बनाए जाने के लिए सरकार योजना बनाकर प्रयास सुनिश्चित करे विषयक, श्री चन्दनराम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–87 के अन्तर्गत प्रस्तुत असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी – –	183
प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाए विषयक, श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–87 के अन्तर्गत प्रस्तुत असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी – – –	183

विषय	पृष्ठ–संख्या
राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने के निमित्त से दूषितमत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किए जाने विषयक डा0 शैलेन्द्र सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–87 के अन्तर्गत प्रस्तुत असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी – –	183
गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति "यमुना स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाए। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए "गंगा विकास प्राधिकरण" की भांति "यमुना विकास प्राधिकरण" का गठन भी किया जाए विषयक, श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–87 के अन्तर्गत प्रस्तुत असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी – – –	184
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं – – –	184
जनपद बागेश्वर में उपभोक्ताओं को पैकिंगकर्ता एवं विपणनकर्ता (ए) गोपाल जी डेयरी फूड्स प्रा0लि0 बुलन्दशहर (यू0पी0) (बी) डेयरी इण्डिया प्रा0लि0 गजरौला (यू0पी0) नाम से दूध एवं इससे निर्मित उत्पादों की सप्लाई जांचोपरान्त किए जाने के सम्बन्ध में श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को दी गई सूचना पर, दुग्ध विकास मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य – – –	184–185
नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पहसैनी में गंगा खादर हरिस्तनापुर से विस्थापित होकर रनसाली गांव में बसाए गए 25 परिवारों को भूमि तथा मालिकाना हक दिए जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को दी गई सूचना पर, राजस्व मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य – – –	185
नत्थियां – – –	186–235

'क'

<u>उपस्थिति</u>

1–श्रीमती रेखा आर्या
2–श्री अजय भट्ट
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्री अरविन्द पाण्डे
5–श्री आदेश चौहान
6–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7–श्री उमेश शर्मा 'काऊ'
8–श्री विजय बहुगुणा
9–श्री गणेश गोदियाल
10–श्री गणेश जोशी
11–श्री चन्द्र शेखर
12–डा0 जीतराम
13–श्री तीरथ सिंह
14–श्री दलीप सिंह रावत
15–श्री दिनेश धनै
16–श्री नवप्रभात
17–श्री नारायण राम आर्य
18–श्री पुष्कर सिंह धामी
19–श्री पूरन सिंह फर्त्याल
20–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
21–श्री प्रदीप बत्रा
22–श्री प्रीतम सिंह
23–श्री प्रीतम सिंह पंवार
24–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
25–श्री प्रेम सिंह
26–श्री फुरकान अहमद
27–श्री बंशीधर भगत
28–श्री मदन कौशिक
29–श्री मदन सिंह बिष्ट
30–श्री मनोज तिवारी
31–श्री मयूख सिंह
32–श्री महावीर सिंह
33–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
34–श्री यतीश्वरानन्द
35–श्री यशपाल आर्य
36–श्री हीरा सिंह बिष्ट
37–श्री रसैल वैलेन्टाईन गार्डनर
38–श्री राजकुमार
39–श्री राजकुमार ठुकराल
40–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
41–श्री राजेश शुक्ला
42–श्री ललित फर्स्वाण
43–श्री विक्रम सिंह नेगी
44–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
45–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
46–श्री बिशन सिंह चुफाल
47–श्रीमती शैलारानी रावत
48–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
49–श्री संजय गुप्ता
50–श्री सरवत करीम अन्सारी
51–श्रीमती सरिता आर्या
52–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
53–श्री सुबोध उनियाल
54–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
55–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
56–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
57–श्री हरक सिंह रावत
58–श्री हरबन्स कपूर
59–श्री हरभजन सिंह चीमा
60–श्री हरिदास
61–श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत
62–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
63–श्री हेमेश खर्कवाल

बुधवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2014 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, नियम–310 की सूचना दी है। मेरा अनुरोध है कि इसे प्रश्नकाल के बाद सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद देखेंगे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

उत्तराखण्ड राज्य के सिडकुल क्षेत्र में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तथा न्यायोचित मांगों का निस्तारीकरण

**01–श्री हीरा सिंह बिष्ट–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य के सिडकुल क्षेत्र में कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भत्ते के साथ श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विभिन्न कारखानों में अपनी न्यायोचित मांगों के लिए किए गए शांतिपूर्वक धरना–प्रदर्शनों में से कहां और कितनी मांगों का समाधान श्रम विभाग ने किया है तथा विभिन्न कारखानों में शांतिपूर्वक धरना देने व यूनियन बनाने के आदेशों में कितने श्रमिकों को गैर कानूनी रूप से कारखानों से निकाल दिया गया है ?

यदि हाँ, तो विभाग ने क्या कार्यवाई की है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

सेवायोजन, दुग्ध विकास एवं श्रम मंत्री (श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल)–

उत्तराखण्ड राज्य के सिडकुल क्षेत्र हरिद्वार, सितारगंज, सेलाकुई, कोटद्वार तथा आई0टी0 पार्क, देहरादून में कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जा रहा है। सिडकुल क्षेत्र पंतनगर में निरीक्षण के दौरान 9 प्रतिष्ठानों में न्यूनतम वेतन न दिए जाने

के प्रकरण संज्ञान में आए हैं, जिनमें 06 नियोजकों के विरुद्ध न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निर्देशवाद दायर करने की कार्रवाई की गई है तथा 3 नियोजकों द्वारा निरीक्षण के बाद निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत कर्मचारियों के भविष्य निधि के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्तर से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है तथा बीमारी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्तर से कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिडकुल हरिद्वार में निम्न दो प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की मांगों का समाधान करते हुए समझौते कराए गए–

1–आई0टी0सी0लि0, सिडकुल की तीनों इकाइयों में चल रही श्रमिक अशांति दिनांक 27–09–2014 को सम्पन्न समझौते के आधार पर समाप्त कर दी गई।

2–मैसर्स स्पीड क्राफ्टस लि0, सिडकुल, हरिद्वार में श्रमिकों द्वारा दिए गए 6 सूत्रीय मांग पत्र पर दिनांक 01–09–2014 को समझौता कराया गया।

सिडकुल पन्तनगर एवं सितारगंज में निम्न कारखानों (प्रतिष्ठानों) में श्रमिकों की मांगों का समाधान कराते हुए समझौते कराए गए हैं–

1–बैरोक इंजीनियरिंग प्रा0लि0 सिडकुल, पन्तनगर।

2–नैस्ले इण्डिया लि0, सिडकुल, पन्तनगर।

3–रैकिट बैंकिजर (इण्डिया) लि0, सितारगंज।

4–एच0पी0 इण्डिया सेल्स प्रा0लि0, सिडकुल, पन्तनगर।

5–ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लि0, सिडकुल, पन्तनगर।

6–राकेट रिद्धि–सिद्धि प्रा0लि0, सिडकुल, पन्तनगर।

सिडकुल कोटद्वार में स्थित के0एम0सी0 इलैक्ट्रिकल्स लि0, सिगड्डी में काम के घंटों के सम्बन्ध में श्रमिकों द्वारा किए जा रहे धरना–प्रदर्शन के सम्बन्ध में पक्षों के मध्य समझौता हो जाने से समस्या का समाधान हो चुका है।

विभिन्न कारखानों में शांतिपूर्वक धरना देने व यूनियन बनाने पर गैर कानूनी रूप से कारखाने से निकाल दिए जाने का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

*श्री हीरा सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। सवाल बहुत वृहद है। राज्य में तिवारी जी की सरकार के समय औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश में औद्योगिकीकरण हुआ और लाखों लोगों को रोजगार मिला, वह केवल ऐसे ही नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो गया कि उद्योगपति आए और ऐसे ही कर दिया। उनको जमीन दी गयी, रिबेट दी गयी, सेल्स टैक्स में, इनकम टैक्स में, एक्साइज में, तब ये उद्योग यहाँ पर एक प्रोत्साहन नीति के तहत आए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार सिर्फ मालिकों की बात सुन रही है, मजदूरों की बात कतई नहीं सुन रही। (मेजों की थपथपाहट) माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, मैं समझता हूँ वह जवाब केवल अधिकारियों का लिखा हुआ है। आज भी टाटा मोटर्स इस बात का उदाहरण है, हरिद्वार में यहाँ 3 महीने से धरना–प्रदर्शन चल रहा है, उसका उल्लेख नहीं किया। टाटा मोटर्स, पंतनगर में सैकड़ों लोगों को बाहर निकाल दिया गया। हमी ढैल में 30–40 कर्मचारी निकाल दिए गए। मैं अगर लिस्ट पढ़ूँ तो बहुत लम्बी फेहरिस्त है, जहाँ कर्मचारी निकाल दिए गए। क्यों ? क्योंकि उन्होंने मांगों को मनवाने के लिए यूनियन बनाने का अधिकार मांगा था। यूनियन बनाने का कागज लेबर कमिश्नर के यहाँ गया, तत्काल फोन चला गया कि यूनियन बन रही है। उन सबको बाहर कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न कीजिए।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, श्रम कानूनों का पालन और श्रमिकों का हित नहीं हो रहा है इस प्रदेश में। मुझे यह बहुत बड़ी पीड़ा है। अब हीरो होण्डा में आन्दोलन चल रहा है। केवल यूनियन बनाने की मांग की तो उन सबको बाहर कर दिया गया। आज भी प्रदर्शन चल रहा है, 3 महीने से। कल यहाँ पर उल्लेख हुआ बिरला का, उसके बारे में मैं समझता हूँ कि प्रदेश में न तो कोई दहशत है, न डर है इन्सपेक्टरों का और सरकारीकरण का। यह उद्योग एक प्रोत्साहन नीति के तहत आए थे। आज उद्योग समाप्त हो गए, प्रोत्साहन नीति के तहत ....

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि सोशल सिक्योरिटी का मतलब केवल पेंशन, ग्रेच्युटी, बोनस से नहीं है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है, मिनिमम वेजेज मिल रहा है ? ओवर टाईम मिल रहा हो ? प्रोविडेंट फण्ड कट रहा है या नहीं ? ई०एस०आई० की सुविधा दी जा रही है या नहीं ? सरकार ने एक लाईन के जवाब में कह दिया प्रोविडेंट फण्ड केन्द्र सरकार का मामला है। ई०एस०आई० में फार्मासिस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन की पावर दी गई है, यदि यह काम डाक्टर के बजाय फार्मासिस्ट करेंगे तो शर्म की बात है।

मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास पूरे प्रदेश की लिस्ट है, रोशनाबाद की है, हरिद्वार की है, पंतनगर की है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बिष्ट जी, आप जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, उसे पूछिये।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग बिना कारण के, बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना आन्दोलन के, शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी बात को कह रहे थे, उन्हें बिना कारण बताए बाहर कर दिया गया। टाटा और हीरो मोटर जैसी कम्पनी में लोगों को बाहर कर दिया गया है, लेकिन सरकार के उत्तर में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं आया है, आज भी आन्दोलन चल रहा है, इसमें सरकार को गुमराह किया गया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सरकार की ओर से गलत उत्तर आ रहा है, मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को स्थगित करते हुए एक घण्टे की चर्चा स्वीकार कर ली जाए।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस प्रश्न पर वह जो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहें, स्पष्ट शब्दों में पूछें, ताकि माननीय मंत्री उनका उत्तर दे सकें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, हीरो मोटर्स, हरिद्वार और टाटा मोटर्स में जो निकाले गए थे, क्या यह बात गलत है कि वह निकाले नहीं गए थे ? उसका कोई उल्लेख प्रश्न के उत्तर में नहीं है। इसका उल्लेख क्यों नहीं आया, जबकि हरिद्वार में आज भी धरना चल रहा है ?

*श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हीरो मोटर्स में जो 38 श्रमिक निकाले गए, उनमें से 13 श्रमिकों के साथ समझौता हो गया है। विभाग द्वारा जो निलम्बन की कार्रवाई की गई थी, उस पर उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो नौ प्रतिष्ठानों में न्यूनतम वेतन न देने का प्रकरण संज्ञान में आया है, उसे उन्होंने स्वीकार किया है। उनमें से छः के

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खिलाफ तो इन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया, तीन ने निरीक्षण के बाद कह दिया कि हम न्यूनतम मजदूरी दे देंगे, जितने दिन उन्होंने मजदूरी नहीं दी, उसके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होगा ? कोई व्यक्ति यह स्वीकार कर रहा है कि इससे पहले हम मजदूरी नहीं दे रहे थे, लेकिन अब दे देंगे तो पीछे जो उसने नहीं दिया, उसके लिए तो मुकदमा होना चाहिये।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, पहले तो माननीय सदस्य को अवगत करा दूं कि पांच साल में न्यूनतम मजदूरी तय नहीं की गई थी और हमने आते ही 2012 में बैठक कर न्यूनतम मजदूरी तय की है, आप पत्रावली उठाकर देख लीजिएगा। न्यूनतम मजदूरी के 37 प्रकरण हमारे सामने आए हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने कहा कि आपके विभाग ने 09 जगह छापे मारे थे, उनमें से आपने 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और बाकी 3 ने कहा कि हम आगे से दे देंगे, पीछे जो उन्होंने नहीं दिया, उसके लिए मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, जो हमने पकड़े हैं, उसमें निर्देशवाद, उपशमन और परिपालित की कार्रवाई हुई है। परिपालित में छोटे जो उल्लंघन थे, उन लोगों ने परिपालन कर लिया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करा लीजिए। संसदीय कार्य मंत्री जी इसका जवाब आराम से दे देंगी। यह श्रमिकों के हितों की बात है। इस प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ के युवाओं के लिए है, इतने उद्योग लगे हुए हैं और यह प्रश्न सत्ता पक्ष के विधायक जी की तरफ से आया है।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य जी ने प्रश्न पूछा है, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। हमने जो न्यूनतम मजदूरी के निरीक्षण कराए हैं, उनमें जो हमने अनियमितता पायी है, उसमें से 11 इण्डस्ट्रियों ने इसको निरीक्षण के दौरान परिपालित कर दिया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप उत्तर पढ़िये, आपने कहा 09 में न्यूनतम वेतन न दिए जाने के प्रकरण संज्ञान में आए हैं। फिर आप कह रहे हैं कि 06 के विरुद्ध न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निर्देशवाद दायर करने की कार्रवाई की गई है। 03 ने कहा हम आगे से दे देंगे। पीछे जब नहीं दे रहे थे, जो श्रमिकों का लॉस हुआ, वह पैसा आपने कहाँ दिलवाया ? इसको आप खुद स्वीकार कर रहे हैं।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, आप पूरा पढ़िये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस पर चर्चा स्वीकार कर लो, आधे घंटे के लिए स्वीकार कर लो, वास्तव में वहाँ श्रमिकों का उत्पीड़न हो रहा है।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, आप सुनने को तैयार ही नहीं हैं। क्या आपको जवाब देते रहें ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, यह राज्य के हित का व्यापक सवाल है। इसमें कहा गया है कि किसी को नहीं निकाला गया, सवाल का जवाब अधिकारियों ने कितना गलत दिया है। मैं कह रहा हूँ, टाटा मोटर्स में निकाले हैं, हीरो मोटर्स में निकाले हैं, टाटा लिंक में निकाले, हनी वैल में निकाले, लखानी में निकाले हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकारी गुमराह क्यों कर रहे हैं ?

*श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, वहाँ पर श्रमिकों को डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। (व्यवधान)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, श्रम विभाग का कोई प्रभाव, कोई असर इण्डस्ट्री पर नहीं है। सरकार की नीति है कि उद्योग लगें और सरकार की यह भी नीति है कि मजदूरों का शोषण न हो। इस कीमत पर इण्डस्ट्री नहीं लगी है कि वह हमारे लोगों का शोषण करे और न ही 70 प्रतिशत का अनुपालन किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, आपको जवाब दे दिया गया है, अब चर्चा किस बात की। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, हीरो मोटर के बारे में बार–बार प्रश्न आ रहा है। हीरो मोटो कॉर्प लि0 सिडकुल, हरिद्वार में 38 श्रमिकों के निलम्बन तथा 14 सूत्रीय माँग पत्र के सम्बन्ध में सहायक श्रम आयुक्त हरिद्वार के कार्यालय के समक्ष चल रहा धरना–प्रदर्शन वर्तमान में जारी है। इन 38 श्रमिकों में से 11 श्रमिकों का मामला सेवायोजकों द्वारा निस्तारित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अनेक वार्ताएं विभागीय अधिकारियों तथा स्थानीय स्तर से की जा चुकी हैं। किन्तु पक्षों के मध्य सहमति न बन पाने से गतिरोध जारी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन निलम्बित श्रमिकों के निलम्बन के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद को पूर्व में अधिनिर्णय हेतु श्रम मंत्रालय को संदर्भित किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेवायोजकों द्वारा मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में रिट दायर की गई, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। इसके बावजूद भी वहाँ वार्ता चल रही है।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी की तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आ रह है। (व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर सदन में व्यवधान हुआ)

(व्यवधान के मध्य)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि श्रमिकों को चैक से भुगतान करने की बात कही है। (व्यवधान) लेकिन वह आज तक क्रियान्वित नहीं हो पाया है। (व्यवधान) जो एक बहुत अच्छा कदम था। श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान करने से, मैं माननीय मंत्री जी की तारीफ भी करता हूँ। (व्यवधान) लेकिन उसको क्रियान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है ? यदि इस कार्य को शुरू कर दिया जाता है तो यह देश का पहला राज्य हो जाएगा। (कई माननीय सदस्यगणों के एक साथ बोलने पर सदन में व्यवधान हुआ) (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जो यह अल्पसूचित प्रश्न आया है, उसमें आप जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, उसको स्पष्ट पूछें तो माननीय मंत्री जी उसका जवाब दे पाएंगे, लेकिन आप प्रश्न को बहुत घुमा दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमने प्रश्न स्पष्ट पूछा है कि नौ में मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, जिसमें से छह में आपने कार्रवाई की और तीन में आपने कहा, हम आगे से कर देंगे तो पीछे का क्या होगा ? (व्यवधान के मध्य)

*श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि पीछे का भुगतान हो चुका है। (व्यवधान के मध्य)

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, जो बैंक के द्वारा भुगतान वाला विषय आया है, यह प्रश्न पिछले विधान सभा सत्र में भी आया था और सरकार ने यह निर्णय लिया था कि श्रमिकों की जो न्यूनतम मजदूरी है, वह बैंक से करेंगे, अभी यह मामला भारत सरकार में है। जैसे ही वहां से निर्णय आ जाएगा तो बैंक से भुगतान कर देंगे। (व्यवधान के मध्य)

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, राज्य सरकार में तो लागू कर दें। (व्यवधान के मध्य)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, राज्य सरकार ने तो कर दिया है। (व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, फैक्टरी के मालिकों और श्रमिकों में पहले भी समझौते होते रहे हैं, ऐसे कई प्रकरण भीमताल के भी थे, जिसमें मैं स्वयं भी बैठी थी तो जब उनके समझौते हो जाते हैं, उसके बाद वे एक तारीख तय कर देते हैं कि ठीक है, हमें आगे से दे दीजिए तो ये सब समझौते के हिस्से हैं। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त हो जाएं।

*श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि "विभिन्न कारखानों में शान्तिपूर्वक धरना देने व यूनियन बनाने पर गैर कानूनी रूप से कारखाने से निकाल दिए जाने का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।" माननीय मंत्री जी को भी पता है कि इनकी बात, न कोई विभाग वाला सुनता है और न कारखाने वाले सुनते हैं। (कई माननीय सदस्यगण के एक साथ बोलने पर सदन में व्यवधान हुआ) (व्यवधान) मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे सामने एक फोन किया था। जो हीरो मोटर्स के लोग निलम्बित किए गए थे, वह इसलिए किए गए कि उन्होंने यूनियन की फाइल मूव की थी। इससे पहले भी आपके सामने कई प्रकरण आए हैं और इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। यह जवाब बिलकुल गलत है, हरिद्वार जनपद के अन्तर्गत सिडकुल के लगभग पांच सौ उद्योग लगे हैं। आप यह बता दें कि कितनों में यूनियन निरस्त हुई हैं ? (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, जो यूनियन के बारे में आवेदन करते हैं, वे भी जांच करते हैं और उनकी लिस्ट भी जाती है। (व्यवधान)

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, आप मुझे इतना ही बता दें कि हरिद्वार जनपद में कितनी यूनियन पंजीकृत हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा है कि उद्योगपति और श्रमिकों की आपसी सहमति से समझौता होता है। क्या उद्योगों में आपसी झगड़ा करना है ? इसमें कुछ लोगों को रोजगार तो मिल रहा है ना ? इसमें कई लोगों को ₹ 25–26 हजार वेतन मिल रहा है। अभी मेरे पास एक एच0पी0 कम्प्यूटर का मामला आया और उसमें बच्चे हड़ताल पर बैठ गए थे तो मालिक लोग मुझसे मिलने आए। मैंने हल्द्वानी के उन बच्चों को बुलाया और पूछा कि आप कितना वेतन पा रहे हैं ? तो उन्होंने कहा कि ₹ 28 हजार वेतन ले रहे हैं और झगड़ा क्या है ? मैंने पूछा, तो वे बच्चे बोले, साहब, ये हमसे ठीक से बात नहीं करते हैं। मैंने मालिक को कहा कि आप इनको एक कप चाय पर बुला लें। तो उन्होंने उनको चाय पर बुलाया, अब उनका वेतन भी तीस हजार रुपया हो गया। इसमें समझौते कराए जाते हैं, झगड़ा थोड़ी करना है ? (व्यवधान) हमारे प्रदेश के हजारों कर्मचारी उद्योगों में कार्यरत हैं और रुद्रपुर में सबसे अधिक हैं।

मान्यवर, ऐसे कई प्रकरण सीधे मेरे पास आते हैं और हमारा प्रयास होता है, हम कोशिश करते हैं और जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो पहले हम उनकी समस्या को समझते हैं और वहाँ पर उद्योगपति तो हैं नहीं, तो उनके एच0आर0 हैड या जो प्लांट हेड होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करके बहुत सारी समस्या सुलझ रही हैं, यह सही है कि भीमताल में टाटा ने अपनी एक फैक्टरी बन्द कर दी तो उनको नोटिस दिया गया कि आपकी सम्पत्ति का अधिग्रहण कर लिया जाएगा, वो पैसा देने को तैयार हो गए हैं।

***श्री राजेश शुक्ला–**

मान्यवर, आपने कहा कि समझौते कराए तो क्या न्यूनतम मजदूरी से कम पर समझौता करेगी सरकार ? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कराती है, यह तो मालिकों और कर्मचारियों के बीच में समझौते होते हैं, वे नौकरी के इन्ट्रेस्ट में समझौते करते हैं। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम–40 (2) के अन्तर्गत तृतीय सत्र 2014 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

*01–श्री नवप्रभात–

विस्तीर्णता एवं विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के आधार पर निरस्त।

तारांकित प्रश्न

जनपद पौढ़ी गढ़वाल में मनरेगा से श्रमिकों को रोजगार की उपलब्धता

*01–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत है कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल में मनरेगा से श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी अवगत है कि मनरेगा के श्रमिकों का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है ?

यदि नहीं, तो सरकार पौढ़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल, दुगड्डा एवं विकास खण्ड यमकेश्वर के 2012 से 2014 तक के मनरेगा कार्यों की जाँच कराएगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लघु सिंचाई, पंचायती राज, गृह, पिछड़ा क्षेत्र विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मांग के अनुरूप नियमानुसार 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है।

बजट की उपलब्धता पर यथासमय श्रमिकों का भुगतान किया जाता है।

लिखित शिकायत प्राप्त होने पर जाँच कराई जा सकती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, केन्द्र सरकार के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजना मनरेगा इस प्रदेश में लागू है, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने मनरेगा के तहत जवाब दिया है कि मांग के अनुरूप नियमानुसार सौ दिन का रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन मेरी विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड यमकेश्वर, द्वारीखाल, दुगड्डा में कितने जॉब कार्ड धारक है ? और वर्ष 2012–13, 2013–14 और वर्ष 2014–15 मनरेगा के लिए कितना बजट दिया गया है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पंजीकृत परिवारों की संख्या द्वारीखाल में 7 हजार 248, दुगड्डा में 10 हजार 78 और यमकेश्वर में 8 हजार 639 है और वित्तीय वर्ष 2012–13 में 2 करोड़ 78 लाख, 89 हजार, 800 से द्वारीखाल का बजट है और दुगड्डा में 3 करोड़ 95, लाख 99 हजार है और यमकेश्वर में 1 करोड़, 88 लाख, 411 हजार है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि वर्ष 2012–13, 2013–14 में इन तीनों ब्लाकों में कितने लोगों को कितने दिन का रोजगार मिला ? मान्यवर, यह भी बाध्यता है कि एक साल में लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, तो कितने लोगों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिला ? यह भी बताने का कष्ट करें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, क्रमशः 1468, 20122 और 10232।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं एक ही विकास खण्ड की बात करती हूँ तो केवल द्वारीखाल में ही 7441 के लगभग जॉबकार्ड धारक हैं। मान्यवर, वर्ष 2012–13 में आपने ₹ 2 करोड़ 88 लाख वहां पर रिलीज किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि वहां पर 100 दिन का रोजगार कितने लोगों को मिला है ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं बता रहा हूँ।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं बता रहा हूँ, माननीय सदस्या मेरी बात को तो सुनें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का जवाब तो सुन लीजिए।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, वर्ष 2011–12 में 1098 परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिला है। मान्यवर, मेरी पूरी बात तो आने दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, इन तीनों ब्लाकों में लगभग 15 हजार लोग हैं और इनमें से केवल 1000 लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह तो मांग पर आधारित है। यह जरूरी नहीं है कि हर आदमी को साल में 100 दिन का रोजगार मिले, किसी को 20 दिन का, किसी को 30 दिन और किसी को 50 दिन का रोजगार मिल सकता है। यह तो डिमांड पर आधारित है। जैसी डिमांड होगी, उसी तरह से कार्य मिलेगा।

*श्री दलीप सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जब पहले के लोगों को ही उनका पारिश्रमिक नहीं मिल पाया है, तो आगे उनका डिमांड करने का क्या औचित्य है ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पारिश्रमिक किन लोगों को नहीं मिला है ?

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, आपने अपने उत्तर में लिखा है कि बजट की उपलब्धता पर यथा समय श्रमिकों का भुगतान किया जाता है। मान्यवर, जब तक बजट उपलब्ध नहीं होता, तब तक डिमांड कैसे की जाएगी और अभी तक कई श्रमिकों का भुगतान नहीं किया गया है, क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि उनका भुगतान किया जाएगा ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं यही बताना चाहता हूँ कि दुगड्डा में ₹ 1943000 का भुगतान अवशेष है, द्वारीखाल में ₹ 410000 का भुगतान अवशेष है और यमकेश्वर में ₹ 2334000 का भुगतान अवशेष है और भारत सरकार से जैसे ही पैसा प्राप्त होगा, श्रमिकों का भुगतान कर दिया जाएगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, कोई समय-सीमा बता दीजिए कि कितने समय में भुगतान कर दिया जाएगा ? जबकि योजना के अनुसार श्रमिकों का भुगतान तुरन्त कर दिया जाना चाहिए था।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, श्रमिकों का भुगतान त्वरित गति से किया जाता है और बैंक के माध्यम से किया जाता है कई बार अगर भारत सरकार से धन विलम्ब से मिलता है तो इसमें थोड़ा विलम्ब हो जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मनरेगा की स्थिति इस समय खराब है, जब लोगों का भुगतान नहीं किया जा रहा है तो लोग डिमाण्ड कैसे करेंगे ? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहती हूँ कि किस-किस प्रकृति के कार्य मनरेगा के अन्तर्गत किए जाते हैं ?

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय विधायक जी ने कहा कि भुगतान नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि तीनों विकास खण्डों की जो स्थिति है, वह मैंने आपके समक्ष रखी है कि कितना-कितना भुगतान अवशेष है। भारत सरकार से जैसे ही पैसा प्राप्त होगा, भुगतान कर दिया जाएगा। जहाँ तक बात है कि किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, निश्चित रूप से तमाम वह कार्य जो गाँवों में होते हैं, उन तमाम कार्यों को इसमें सम्मिलित किया जाता है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, प्रकृति भी पूछी है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आप खड़न्जा भी बना सकते हैं, नाली भी बना सकते हैं, आप तालाब भी बना सकते हैं, नहर भी बना सकते हैं।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, 14 तरह के कार्य होते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या किसी गाँव में एक ही तरह के कार्य हो रहे हैं ?

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह मांग पर आधारित है। जो गाँव के लोग मांगेंगे, उसी के अनुसार देंगे। हम कैटेगराईजेशन थोड़ी कर सकते हैं कि आप ये काम करिए, ये काम मत करिए। जो जैसा मांगेगा, उसको वैसा दिया जाएगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-2 पर माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरा उत्तर नहीं आया है। यह भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत गाँवों का विकास भी होना है। इसमें लोगों को रोजगार भी मिलना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस पर चर्चा कराई जाए, जिससे कि मनरेगा का फायदा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा।

विधायक निधि के खर्च हेतु नियमों में परिवर्तन

*02–श्री मदन कौशिक–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधायक निधि के खर्च हेतु नियमों में परिवर्तन किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस परिवर्तन की क्या आवश्यकता है तथा क्या सरकार निधि को समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

विवरण संलग्न है।†

जनहित में परिवर्तन किए गए हैं।

जी नहीं।

लोक कल्याणकारी कार्यों के दृष्टिगत।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि यह जो राज्य के कृषि क्षेत्र में आपने बताया कि 10 प्रतिशत धनराशि खर्च की जा सकती है। चूँकि इसमें पहले सरकार उस क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित करेगी, चूँकि पैसा यह जिलाधिकारी को जाना है, जिलाधिकारी के माध्यम से खर्च होना है। अगर ये सारी शर्तें हटाकर जैसे सांसद निधि है, उसमें भी 10 परसेंट का किया गया है, उसके ही आधार पर यदि कोई विधायक चाहे तो 10 परसेंट अपनी विधायक निधि को किसी भी क्षेत्र में खर्च कर सकता है। क्या इसमें परिवर्तन करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, चूँकि शासनादेश में यह परिवर्तन किया गया है, उसके बाद 10 प्रतिशत की धनराशि इसके लिए रखी गयी है। अभी तक तो सरकार ने इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, किसी भी मद में, खड़न्जे में, सड़क में, नाली में, किसी भी चीज में 10 परसेंट खर्च कर सकते हैं। पैसा जाना तो डी0एम0 के पास है, खर्च भी उसी माध्यम से

---

† (देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 186–187 पर)

होना है। केवल इतना परिवर्तन करेगी, कि ये सारी चीजें हटाने के बाद क्या 10 परसेंट कहीं भी खर्च कर सकते हैं, क्या इस पर विचार करेगी सरकार ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इस पर विचार करेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, धन्यवाद। दूसरा, आपने कहा कि निजी ठेकेदारों को काम दिया जा सकता है लेकिन इसमें आपने एक शर्त लगाई कि जो विधायक होंगे, वे उस ठेकेदार के चरित्र और सत्यनिष्ठा की रिपोर्ट देंगे। वे लिखकर देंगे चरित्र इसका अच्छा है और सत्यनिष्ठा की रिपोर्ट भी देंगे। मान्यवर, इसमें तो विधायक के पास यदि ऐसे लोग आ गए, जो उसके क्षेत्र में वोटर हैं, तो किसको मना करेंगे ? उसके बाद यदि विधायक ने सत्यनिष्ठा दे दी तो कोई भी कोर्ट पहुँच जाएगा कि देखिए, विधायक कैसा आदमी है, उसने ऐसे आदमी को भी सत्यनिष्ठा का प्रमाणपत्र दे दिया। इसके अतिरिक्त आपने कहा कि 3 लाख तक के जो काम हैं, वह विधायक तय करेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, विधायक के पास कौन सा पैमाना है ? विधायक तो कह सकता है कि जनहित में जो जरूरी है, बाकी तो सब सी0डी0ओ0 करेंगे। इसमें विधायक को सीधे–सीधे इन्वॉल्व कर दिया है कि काम हो ही नहीं सकते। अगर हो गए तो कल को कोर्ट में जाएंगे सारे मामले। इसे थोड़ा सा लिबरल करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जिस ठेकेदार को आप काम देना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को काम देना चाहते हैं, उसका सत्यापन तो आपको करना ही पड़ेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह गलत हो जाएगा। कल को लोग कोर्ट में जाएंगे।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कोर्ट में जाने का तो सवाल ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी को आप सत्यापित कर देंगे। आप सत्यापन तो हर आदमी का नहीं कर सकते। आप यह तो नहीं कहेंगे कि हर आदमी को विधायक निधि दे दीजिए। आप किसी आदमी को कहेंगे तो निश्चित रूप से उसका सत्यापन भी आपको ही करना पड़ेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप विधायक हैं, आपका कोई जानने वाला आपके पास आता है कि मैं उस क्षेत्र में रहता हूँ, मेरा लिख दीजिए, मुझे ठेकेदारी चाहिए। यह जाँच लो, जो प्रक्रिया

है, उसके अनुसार हो। रजिस्ट्रेशन उसके अनुसार हो, रजिस्ट्रेशन में क्यों छूट दे रहे हैं आप ? आप इसमें विधायक को इनवाल्व करेंगे, तो विधायक के लिए मुसीबत हो जाएगी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, बिना निविदा के 3 लाख तक का कार्य सम्पादित कराना है तो निश्चित रूप से विधायक को यह तो देना ही होगा। आपको दिक्कत है तो आप टेण्डर के माध्यम से करा दीजिये, कोई बाउंडेशन तो है नहीं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, तीसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार विधायक निधि को चार करोड़ करने जा रही है ? यह मैं माननीय वित्त मंत्री से भी जानना चाहता हूँ, यह सारे सदस्यों की डिमाण्ड है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अभी इस सम्बन्ध में कोई विषय विचाराधीन नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, क्या इस सम्बन्ध में विचार किया जाएगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, एक ओर माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि "क्या सरकार विधायक निधि को समाप्त करने पर विचार कर रही है।" वहीं दूसरी ओर माननीय सदस्य विधायक निधि को बढ़ाने की बात कर रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, क्या अब हमें जवाब देना होगा, सरकार प्रश्न पूछेगी ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री सुबोध उनियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विधायक निधि में 25 प्रतिशत पैसा जो बाद में भेजा जाता है। देखने में यह आया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि 2004–05 के पैसे अभी तक नहीं भेजे गए हैं। जब सरकारी एजेन्सी ही काम करती है तो क्यों नहीं एकमुश्त पैसा रिलीज कर दिया जाए ?

(मेजों की थपथपाहट)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जो बात माननीय विधायक सुबोध उनियाल जी ने उठाई है, उसका सरकार संज्ञान लेगी और उस पर जो आवश्यक कार्रवाई होगी, वह करेगी।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, एजेन्सी तो सरकारी है, उसकी तो लाईबिलिटी फिक्स की जा सकती है। लोगों को इसके लिए भागना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया कि किसी भी परियोजना के लिए जितनी धनराशि विधायक द्वारा विधायक निधि से स्वीकृत की जाती है, उसको दो पार्ट में अवमुक्त किया जाता है। मैं सरकार को निर्देश देता हूँ कि जो परियोजना विधायक प्रस्तावित करता है, उसका जो इस्टीमेट बनता है, उस इस्टीमेट के आधार पर एकमुश्त धनराशि आवंटित कर दी जाए। (मेजों की थपथपाहट)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, विधायक निधि को बढ़ाकर चार करोड़ कर दिया जाए, जो मेरी बात से सहमत हों, हाथ उठाएं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री दलीप सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी द्वारा ग्राम प्रधानों को यह निर्देशित किया गया है कि जब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देंगे, तब तक विधायक निधि का भुगतान नहीं किया जाएगा, क्या ऐसा आदेश सरकार द्वारा दिया गया है ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, न ऐसी कोई व्यवस्था है और न ही सरकार की तरफ से कोई ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान देगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, क्या सी0डी0ओ0 के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जो बात माननीय सदस्य ने कही है उसका संज्ञान लिया जाएगा और निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी ?

*श्री नारायण राम आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया है कि तीन लाख एक के निर्माण कार्य विभागीय पद्धति मस्टरोल के द्वारा किए जाएंगे। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि मैंने अपनी विधायक निधि की धनराशि आर0ई0एस0 खण्ड डीडीहाट को दी और आर0ई0एस0 ने ` 50 हजार तक के टेण्डर कर दिए, मैंने जब उनसे शिकायत की कि आपने किस आधार पर टेण्डर किए। आर0ई0एस0 के अधिशासी अभियंता श्री धर्मसत् जी ने स्पष्ट किया कि आर0ई0एस0 के पास ऐसी नियमावली है कि वह बिना टेण्डर के कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेंगे। क्या आप इस पर जाँच करके आर0ई0एस0 के अधिशासी अभियन्ता से स्पष्टीकरण लेंगे ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, निश्चित रूप से जो बात विधायक जी ने कही तीन लाख तक के कार्य वर्क आर्डर पर कराने की व्यवस्था है। अगर आर0ई0एस0 के किसी इंजीनियर द्वारा 50 हजार के कार्य की निविदाएं आमंत्रित की गई तो निश्चित रूप से यह गलत है। इस बात का संज्ञान लेते हुए इसकी जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी।

श्री नारायण राम आर्य–

मान्यवर, टेण्डर व्यवस्था है ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, दोनों चीजें हैं, दोनों वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं। वर्क आर्डर के आधार पर भी हो सकते हैं और निविदाएं होनी चाहिए तो निविदाएं भी हो सकती हैं। सरकार द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि विधायक निधि के तीन लाख तक के कार्य वर्क आर्डर के माध्यम से रखे जाएं।

श्री नारायण राम आर्य–

मान्यवर, अगर कार्य टेण्डर के माध्यम से कराए जाएंगे तो उसमें सैल्स टैक्स कटेगा, इनकम टैक्स कटेगा, रायल्टी कटेगी। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जो प्रकरण आप संज्ञान में लाए हैं, उसका संज्ञान लेते हुए निश्चित रूप से इसकी जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी। अगर कोई ऐसी बात हुई होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई करने का काम करेंगे।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री दलीप सिंह रावत जी ने सवाल उठाया था कि ग्राम सभाओं से इस प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद कार्य होंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि क्या नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका से एन0ओ0सी0 माँगने का कोई प्राविधान है ? दूसरा, मेरा सवाल है कि पिछले दिनों सरकार द्वारा हर विधायक को ` 25-25 लाख धार्मिक स्थलों में कार्य के लिए देने की घोषणा की गई थी। अभी तक किसी को भी एक रुपया नहीं मिला है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने पहला प्रश्न किया, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि नगर पालिकाओं से एन0ओ0सी0 मांगने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह तो हो सकता है कि किसी कार्य को नगर पंचायत ने सम्पादित करवाया हो, उसमें विधायक निधि खर्च हो तब तो अलग बात है। अन्यथा कार्य को चयन करने का अधिकार विधायक में निहित है, विधायक इसको चयन कर सकता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अगर कोई नगर पंचायत, नगर निगम या नगरपालिका में, माननीय विधायकों द्वारा काम दिया है तो इन नगर निगम से पहले एन0ओ0सी0 इस रूप में मांगी जाएगी कि क्या इनका क्षेत्र है ? क्या यह काम नगर पालिका या निगम ने पहले लिया तो नहीं है ? उस क्षेत्र के लिए एन0ओ0सी0 देनी पड़ेगी। यह प्रक्रिया है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर सदन में घोर व्यवधान हुआ) (व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय विधायक श्री प्रेमचन्द अग्रवाल जी ने जो बात रखी है, निश्चित रूप से इसका संज्ञान ले लिया जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर सदन में घोर व्यवधान हुआ) (व्यवधान के मध्य) आपने जो ` 25 लाख देने की बात कही है, उसको हम शीघ्र जारी कर देंगे। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर सदन में घोर व्यवधान हुआ) (व्यवधान के मध्य)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, इन्होंने हमारी कई फाइल वापस कर दी। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इसको हम दिखवा लेंगे। (व्यवधान) ऐसा नहीं है, विधायक निधि से कार्य भी कराए जाते हैं। (व्यवधान) जो आपने कहा, उसमें एन0ओ0सी0 वाला कोई जी0ओ0 नहीं है। (व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमारी सरकार ने इसमें थोड़ा परिवर्तन किया था। यदि किसी विधायक ने कोई काम दिया है तो कार्यदायी संस्था एक महीने तक एन0ओ0सी0 भेज देगी और यदि एक माह तक निगम, कार्यदायी संस्था को जवाब नहीं देगी तो उनसे एन0ओ0सी0 मांगी जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, इसमें स्पष्ट जवाब आ गया। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर सदन में घोर व्यवधान हुआ) (व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, विधायक निधि में मरम्मत कार्य कराए जाने का प्राविधान है। आप कह रहे हैं तो मैं दिखवा लूँगा। (व्यवधान)

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, विधायक निधि में यह आपत्ति लगाई जा रही है कि मरम्मत के कार्य नहीं कराए जाएंगे। (व्यवधान) क्या इनमें सरकार की तरफ से कोई निर्देश जाएगा ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सरकार की तरफ से कोई बाध्यता नहीं है कि कोई कार्य की मरम्मत विधायक निधि से नहीं करायी जाएगी। (व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हम किसी कार्य को भेजते हैं तो वह वापस कर देते हैं। मरम्मत का कार्य हमारे विधायक निधि के प्राविधान में नहीं है। इसकी कॉपी हमारे पास है। (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इस प्रकरण को दिखवा देंगे। हम जब ऊपर भी थे उस समय भी ऐसा नहीं हुआ था। (व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, हमारे एक रुपये के कार्य को सीधे मना कर देते हैं। आप तो सरकार में हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इस कार्य को दिखवा लिया जाएगा। अगर कोई कठिनाई होगी तो निश्चित रूप से उसको निकाल दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, क्या गत वर्ष वाली राशि भी रिलीज कर देंगे ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, गत वर्ष वाली राशि नहीं दी जाएगी, इस वर्ष वाली राशि रिलीज कर देंगे। (व्यवधान)

*श्रीमती अमृता रावत–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नैनीडांडा एवं रिखणीखाल विकास खण्डों में मिट्टी के तेल की आपूर्ति

*04–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नैनीडांडा एवं रिखणीखाल विकासखण्डों में मिट्टी का तेल नियमित वितरण न होने के क्या कारण हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त क्षेत्र में दूसरे जिलों से मिट्टी तेल आपूर्ति करने के क्या कारण हैं ?

श्री प्रीतम सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, विधान सभा में यह पहला केस है, जिसका उत्तर ही नहीं है। यानी सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। (व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सूचना एकत्रित की जा रही है। अगले सत्र में इस प्रश्न को लगा लें हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, क्या तब तक क्षेत्र की जनता महरूम रहेगी ? (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय विधायक जी तो ऐसी बात कह दे रहे हैं। अगर सूचना एकत्रित न हो और मैं जवाब दे दूँ तो आप कहेंगे कि प्रश्न का गलत जवाब दे दिया।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, आपके पास तो इतना बड़ा तंत्र है। मैं यह पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं है ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सूचना एकत्रित की जा रही है। जब सूचना आ जाएगी तो इसका जवाब दे दिया जाएगा।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, आज तक कोई सूचना नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सूचना नहीं है, तभी तो यह लिखा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, ये सवाल सीधे–सीधे केन्द्र से सम्बन्धित है, क्योंकि मिट्टी के तेल का कोटा भारत सरकार रिलीज कर रही है और कई जिलों में नहीं हो पा रहा होगा इसलिए आवंटन नहीं हो पा रहा होगा।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यहाँ पर सबको बच्चा समझ रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि जानकारी नहीं है, क्या आवंटन आया नहीं ? यदि आया है तो कहाँ बांटा है ? इतनी छोटी बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है, अगली बार इसे लगा लें।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, क्या कोटा नहीं आया है ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अभी जानकारी नहीं है।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में आपूर्ति नहीं हो रही है यदि आपकी तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आएगा तो मुझे वेल में आने को मजबूर होना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न को इस बार स्थगित किया जाता है। अगली बार सूचना एकत्रित करके इसका जवाब दिया जाएगा।

*05–श्री नवप्रभात–

विलम्बिता के आधार पर निरस्त।

बागेश्वर जनपद में नदियों के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम निर्माण में स्वीकृत योजनाएँ

*06–श्री चन्दन राम दास–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागेश्वर जनपद में नदियों के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम निर्माण में कितनी योजनाएं स्वीकृत है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि क्रमवार योजनाओं का विवरण, लागत सहित उद्घाटित करेंगे तथा यह निर्माणाधीन योजनाएं बरसात आने से पूर्व निर्मित होंगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व, भू–प्रबन्धन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं, ग्रामीण सड़कें व ड्रेनेज, भारत–नेपाल उत्तराखण्ड नदी परियोजना मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

बागेश्वर जनपद में नदियों के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम निर्माण की 03 योजनाएं सी0एस0एस0आर0 मद तथा 04 योजनाएं जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैं।

(माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

सी0एस0एस0आर0 के अन्तर्गत 023 योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

1-जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में रेवती नदी घाटी की बाढ़ सुरक्षा योजना (मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 616/2012) लागत ₹ 781.09 लाख।

2-जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट की सरयू नदी की बाढ़ सुरक्षा योजना (मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 616/2012) लागत ₹ 1248.71 लाख।

3-जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत सरयू नदी की सहायक नदियों से खाती गांव तल्लीहाट, सिटोलीसेरा एवं मण्डलसेरा ग्रामों की सुरक्षा हेतु योजना लागत ₹ 1009.65 लाख।

जिला योजना के अन्तर्गत 04 योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

1-अग्निकुण्ड में बाढ़ सुरक्षा दीवार व पहुंच मार्ग लागत ₹ 49.01 लाख।

2-मेहरनबुंगा बाढ़ सुरक्षा दीवार लागत ₹ 155.71 लाख।

3-अमसर कोट बाढ़ सुरक्षा दीवार लागत ₹ 10.00 लाख।

4-बिलौना में सी0एम0ओ0 कार्यालय के समीप सुरक्षा दीवार का निर्माण लागत ₹ 10.00 लाख।

वर्तमान में उक्त सभी योजनाओं के कार्य प्रगति पर है एवं माह जून, 2015 तक इन्हें पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर में ए0पी0एल0 तथा बी0पी0एल0 कोटे के राशन का निरन्तर वितरण

*07-श्री चन्दन राम दास-

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर में बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 खाद्यान्न के कोटे का गेहूँ व चावल निरन्तर नहीं मिल रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं को 6 से 8 महीने से ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 के गेहूँ व चावल के लिए बागेश्वर गोदाम में जाना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

(माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं। बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 खाद्यान्न कोटे का गेहूँ व चावल निरन्तर मिल रहा है।

सस्ता गल्ला विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न का उठान खाद्यान्न गोदामों से ही किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के फल उत्पादकों को बन्दरों के आतंक से बंदियाकरण कराने की योजना

*08–श्री चन्दन राम दास–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के किसान फल उत्पादक, बन्दरों के आतंक से त्रस्त है ?

यदि हाँ, तो सरकार बन्दरों को पकड़ने एवं इनके बंदियाकरण आदि किए जाने हेतु कोई ठोस योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं वन्य जीव, खेल एवं विधि न्याय मंत्री (श्री दिनेश अग्रवाल)–

जी हाँ।

बन्दरों को पकड़ने एवं उनके बंदियाकरण हेतु राज्य सेक्टर की योजना "मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम" के अन्तर्गत बन्दर बचाव एवं बंदियाकरण केन्द्रों के निर्माण का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री फसल खेती सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत शासनादेश संख्या 722/X–2–2014–21(15)2014, दिनांक 05–03–2014 के द्वारा उत्पाती बन्दरों को चिन्हित कर उनके बंदियाकरण करने की कार्यवाई हेतु प्राविधान किया गया है।

अन्य राज्यों के बन्दरों का उत्तराखण्ड राज्य में अभिवहन पर प्रवेश पर नियंत्रण हेतु मुख्य सचिव द्वारा शासनादेश संख्या–1958/X–2–19(6)/2013, दिनांक 14–08–2014 द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए है।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

तहसील कोटद्वार, रामनगर तथा काशीपुर में विस्थापित परिवारों को आवंटित भूमि पर कब्जा एवं भू-अभिलेखों में नाम दर्ज

*09–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1994 में तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के तीन गाँव क्रमशः धारा, झिरना एवं कोठीरो तथा वर्ष 2012 में तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल के ग्राम लालढांग से वन विभाग द्वारा तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम मानपुर नई बस्ती एवं ग्राम प्रतापपुर एवं तहसील रामनगर जनपद नैनीताल के ग्राम आमपोखरा में विस्थापित कर कितने परिवारों को बसाया गया था ?

क्या मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सम्बन्धित परिवारों को कब्जे काश्त में दी गयी भूमि वन सम्पत्ति से हटाकर जनपद नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर के सम्बन्धित तहसीलों के भू-अभिलेखों में अंकित हो चुकी है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण उपलब्ध कराया जाएगा-? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

वर्ष 1994 में तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के तीन गाँव क्रमशः धारा, झिरना एवं कोठीरो से विस्थापित 71 परिवार ग्राम मानपुर, फिरोजपुर, तहसील काशीपुर में, 18 परिवार, ग्राम प्रतापपुर, तहसील काशीपुर में तथा 112 परिवार ग्राम नया झिरना, तहसील रामनगर में बसाए गए हैं। ग्राम लालढांग, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल में विस्थापित 17 परिवार, ग्राम मानपुर फिरोजपुर, तहसील काशीपुर में तथा 96 परिवार ग्राम आमपोखरा (नया लालढांग), तहसील रामनगर में बसाए गए।

इन सभी नए ग्रामों में भूमि काबिज काश्तकारों के नाम दर्ज किए जाने हेतु अभिलेख संक्रियाएं प्रगति पर हैं। ग्राम प्रतापपुर एवं ग्राम लालढांग में अभिलेख संक्रियाएं अंतिम चरण में हैं, ग्राम नया झिरना, मानपुर व फिरोजपुर में अभिलेख संक्रियाएं तत्परता से पूर्ण करायी जा रही हैं।

*श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ये परिवार वर्ष 1994 में लगभग 26 साल पहले विस्थापित किए गए और जहाँ से उनको विस्थापित किया गया था, वहाँ पर उनकी भूमि वर्ग-1 क में थी, यानी ये किसान अपनी जमीन पर कर्जा, खाद, बीज ले सकते थे और खेती कर रहे थे। माननीय मंत्री जी का यह कहना कि वहाँ से विस्थापित कर दिया गया तो यह बात सत्य है, सवाल तो यह उठता है कि 24 साल तक उन किसानों की तहसील के रिकार्ड में कहीं कोई एन्ट्री नहीं की गई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, आप सीधे प्रश्न पर आएं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं जानना यह चाहता हूं कि जो एन्ट्री रेवेन्यू रिकार्ड में की जानी थी, वह 24 साल तक नहीं की गई, जिससे सब किसान वंचित हैं, वे एंट्री कब कर दी जाएगी ?

*श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, जैसे मैंने कहा कि ग्राम धारा, झिरना के विस्थापित परिवारों को कार्बेट नेशनल पार्क में विस्थापित कर दिया गया। वन भूमि के कारण, उन्हें तत्काल इस भूमि पर स्वामित्व देना सम्भव नहीं था। चूंकि भूमि स्वामित्व दिए जाने से पूर्व भारत सरकार से भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बाद भू–सर्वेक्षण, बंदोबस्त, गाँवों में समस्त भूखन्डों का चिन्हीकरण, सार्वजनिक उपयोग की भूमि, विद्यालय, अस्पताल, पंचायत घर, चकरोड, खेल मैदान आदि का चिन्हीकरण करना, विवादों का निस्तारण करना, व्यक्तिगत भू–खातों एवं भू–अभिलेखों को तैयार किया जाना सम्मिलित है। यह एक लम्बी प्रक्रिया है और इसमें समय लगना भी वाजिब है। मान्यवर, सरकार इसमें गम्भीर है और यह प्रक्रिया सतत् रूप से शुरू की गई है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार मेरे प्रश्न को घुमा रही है। मेरा सीधा–सीधा प्रश्न है कि 24 साल तक इनको भूमिधरी के अधिकार नहीं मिले हैं, जबकि जो भूमि ये लोग छोड़कर आए थे, वहां पर इनको भूमिधरी के अधिकार प्राप्त थे। मैं सरकार से सीधे–सीधे यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सी समय सीमा है, उसको सरकार बताने का कष्ट करे। सरकार यह स्पष्ट कर दे कि यह कार्य कितने महीनों में कर दिया जाएगा ? मान्यवर, यह कार्य दो महीने, तीन महीने, चार महीने, कितने महीने में पूरा होगा बता दें जिससे कि रेवेन्यू रिकार्ड में इनकी भूमि इंद्राज हो सके।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बंदोबस्त की कार्रवाई चल रही है, शीघ्र ही सेटेलमेंट की कार्रवाई हो जाएगी और जैसे ही सेटेलमेंट की कार्रवाई पूर्ण होगी तो राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज हो जाएगा।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, जहां पर ये लोग बैठे हैं, वहां पर कोई बंदोबस्त की कार्रवाई नहीं चल रही है। माननीय मंत्री जी का यह कहना कि अभी बंदोबस्त की कार्रवाई चल रही है तो यह सच्चाई से परे है। मान्यवर, 24 साल तक जिन लोगों को कुछ कर्जा आदि नहीं लेना है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ये लोग इतनी–इतनी जमीनों में बैठे हुए हैं, ये लोग चार पैसे कर्ज लेकर अपनी भूमि में ईंट नहीं लगा सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई से वंचित हैं। यह कोई छोटा मामला नहीं है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं सरकार का ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूं यदि सरकार इसमें दो–तीन–चार माह का समय चिन्हित कर दे तो तब तक सरकार का यह कार्य पूरा हो जाएगा।

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय चीमा जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह एक सतत लम्बी प्रक्रिया है, इसमें समय लगना लाजिमी भी है, इसके प्रति सरकार गम्भीर है और गम्भीरता के साथ सरकार इसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भी कर रही है। मान्यवर, दूसरा आपने बताया कि तहसील कोटद्वार के धारा, झिरना एवं कोठरी ग्रामों के कृषकों की वर्ग 1 (क) और दूसरी भूमि वर्ग 1 (ख), सरकार द्वारा पट्टे में दी गयी भूमि का जो रकबा है, वह 221.96 हे0 है। इसके विनियमन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है।

मान्यवर, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ग्राम प्रतापपुर एवं लालढांग में हम एक माह के अन्दर भूमि अभिलेखों में इनका नाम दर्ज करा देंगे।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा तो यह सवाल ही नहीं है। माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल से हटकर उत्तर दे दिया है। मैंने यह सवाल नहीं किया है कि कौन सा नम्बर और रकबा है। मेरा तो सीधा सा सवाल है कि ये गांव वर्ग 1 (क) की भूमि छोड़कर आये थे तो वर्ग 1 (क) की भूमि उनको यहां पर देनी चाहिए थी। ये लोग 24 साल से बैठे हुए हैं। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, ये लोग गरीब हैं, परेशान हैं। ये लोग भारतीय हैं। यदि सरकार यह चाहे कि हर कार्य केवल घेराव से ही बनता है तो ये लोग घेराव पर आ जाएंगे। ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसलिए मैं आपसे एक विश्वास लेना चाहता हूं कि चाहे आप चार महीना कह दें, पांच महीना कह दें, लेकिन यह प्रक्रिया कितनी लम्बी होगी यह बता दें। मान्यवर, 24 साल जब बीत चुके हैं, अब आगे सरकार को कितना समय चाहिए, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया है कि भूमि स्थानान्तरण में एक लम्बा समय निश्चित रूप से लगता है और सरकार इसके लिए गम्भीर भी है। मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इसमें शीघ्र से शीघ्र भूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई को पूर्ण कर लेंगे।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसमें आपकी तरफ से कोई निर्देश प्राप्त हो जाए।

श्री अध्यक्ष–

आपका उत्तर आ गया है। बैठिए।

विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के एस्कार्ट फार्म में बसे किसानों को दिए गए पट्टे का भू–स्वामित्व लाभ

*10–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के एस्कार्ट फार्म में बसे किसानों को वर्ष 2006 में दिए गए पट्टे तहसील रिकार्ड में किसानों के नाम अंकित हो चुके हैं ?

क्या पट्टा धारक किसानों को उन पट्टों के प्रति बैंकों से लोन, खाद एवं बीज आदि सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं ? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान तक कितने पट्टे धारक किसानों को सरकार से मिलने वाली उक्त सुविधाओं का लाभ मिल चुका है, और उसका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं।

जी नहीं।

इन पट्टा धारकों को भूमि बन्धक रखकर ऋण लेने का अधिकार नहीं है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर प्रदेश के किसानों के लिए सरकार गहरी नींद में सो जाएगी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे प्रदेश में भी थोड़ा स्थान है, जो कृषि योग्य है, जिस पर कृषि होती है। अगर सरकार किसानों की बिलकुल अनदेखी कर देगी तो यह खेती कहाँ से होगी, कैसे होगी ? यह एस्कॉर्ट फार्म का मामला जो मैंने रखा है, 2006 में, 2006 का मतलब है, आज 8 साल हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, जब एस्कॉर्ट फार्म को उजाड़ा गया, तो सरकार ने यह निर्णय लिया था कि इन किसानों को थोड़ी–थोड़ी जमीन दी जाएगी। (व्यवधान) मान्यवर, मुझे खेद है कि 8 साल के लम्बे अन्तराल में जो सरकार ने स्वयं किसानों को पट्टे दिए थे और जिस पर किसान बैठे हैं। 8 साल के अन्तराल के बाद भी उनके पट्टों की एन्ट्री रैवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं हुई है। आज वह किसान बिलकुल हवा में हैं, क्योंकि उनके नाम पर भूमि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कल अगर कोई सरकार आ जाए और वह कहे किसानों, आप हो कहाँ, तो किसानों के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कारण क्या है कि 8 साल के अन्तराल के बाद भी इनको रैवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं अंकित किया गया और दूसरा प्रश्न यह है कि इनकी एन्ट्री रैवेन्यू रिकॉर्ड में कब की जाएगी ?

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, 2006 में जो कुछ हुआ, माननीय चीमा जी, आपको सब कुछ मालूम है। आपके सामने सब कुछ हुआ और सारी औपचारिकताएं दो दिन में पूरी कर ली गयीं और वहाँ पर जो भूमिहीन काश्तकार थे, उनको जमीन दे दी गयी और दो दिन में वहां पर कितने धरने–प्रदर्शन हुए, आन्दोलन हुए, कितना दबाव उस समय था, आपको सब मालूम है। उनको जमीन दे दी गई, जितना मुझे जानकारी है, उस समय आप भी वहा पर मौजूद थे, उसके गवाह थे, साक्षी थे। वहां पर जो जमीन 231 परिवारों को दी गई, उनको वहां बसासत दी गई, उन्हें सीलिंग एक्ट के तहत जमीन उपलब्ध कराई गई और सीलिंग एक्ट में यह व्यवस्था है कि यह भूमि निजी व्यक्तियों को आवंटित नहीं की जा सकती है। लेकिन उसके बाद भी सीलिंग एक्ट की धारा 25 के अन्तर्गत 231 परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई गई और उन्हें मौके पर कब्जा दिया गया। सीलिंग एक्ट की धारा में स्पष्ट है कि "यूज ऑफ सरप्लस लैण्ड फार अदर परपज" भूमि का अन्य सार्वजनिक उपयोग नहीं किया जा सकता है।

राज्य सरकार इन उपबन्धों के अनुसार किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त करने के बजाय ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का किसी ऐसे प्रयोजन के लिए स्थाई या अस्थाई रूप से उपयोग कर सकती है या उपयोग करने की अनुमति दे सकती है। इसके लिए भूमि, अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अर्जित की जा सकती है। यह स्पष्ट है कि जो इस तरह की भूमि है, उस पर न लोन लिया जा सकता है, न लैण्ड को बंधक बनाया जा सकता है, न उनको अन्य सुविधाएं दी जा सकती हैं, यह अधिकार उन्हें नहीं है। उन्हें अपनी भूमि को हस्तान्तरित करने का या बंधक बनाने का भी अधिकार नहीं है, इस एक्ट के तहत और भूमि को बंधक बनाने की कार्रवाई ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टीज एक्ट के तहत की जाती है," सरकारी पट्टों पर यह लागू नहीं होता है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो स्थिति सरकार ने स्पष्ट कर दी है कि आठ साल पहले 231 परिवारों को धोखा देकर और उनको यह पट्टे देकर के, जमीन का कब्जा देकर उन्हें वहां पर बिठाया गया। माननीय मंत्री जी का यह जो कहना है कि धारा 25 के अन्तर्गत जो पट्टे दिए गए हैं, वह गलत है, मेरा कहना है कि सरकार ने वह पट्टे दिए हैं और जिलाधिकारी के उस पर हस्ताक्षर हैं। जिलाधिकारी को सरकार के आदेश प्राप्त हैं, जिस आदेश से जिलाधिकारी ने वह पट्टे दिए हैं। मेरा कहना यह है कि यदि धारा 25 में नहीं दिए जा सकते हैं तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि किसानों को धोखा दिया गया। दूसरी बात यह है कि जो भी चेंजेज रेवेन्यू रिकार्ड में आते हैं, उसकी खतौनी में एन्ट्री अवश्य की जाती है। चाहे इन पट्टों के ऊपर उनको खाद लेने का अधिकार हो, ट्रक लेने का अधिकार हो या न हो। यह सब पट्टे की कन्डीशन है, लेकिन उनको

जो पट्टे दिए गए हैं, उनको खतौनी के अन्दर अंकित किया जाना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि रेवेन्यू के अन्दर, खतौनी में वह पट्टे क्यों नहीं चढ़ाए गए, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है। क्या सरकार का किसानों को उजाड़ने का इरादा है और क्या किसानों का हक-हकूक नहीं देना चाहते हैं ?

श्री यशपाल आर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि सीलिंग एक्ट के तहत धारा 25 के अधीन निजी व्यक्तियों को भूमि आवंटन करने का प्रावधान ही नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि इसके लिए सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है, मैं बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा इसके लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है। यदि निचले स्तर पर कोई कार्रवाई हुई होगी तो निश्चित रूप से इसकी जांच करवाई जाएगी।

श्री हरभजन सिंह चीमा-

मान्यवर, 231 परिवार बैठे हैं, जिनके पास रोजी-रोटी नहीं रही, जो बिलकुल अधिकार से वंचित हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई आदेश उनको पट्टा काटने का नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि कोई जिलाधिकारी बिना सरकार से आदेश प्राप्त किए ......।

श्री अध्यक्ष-

इसमें जाँच कराने के लिए कह दिया है।

श्री हरभजन सिंह चीमा-

मान्यवर, इसमें 08 साल हो गए हैं, जाँच कब तक होगी ? जाँच में तो उन्होंने बता दिया अब तो जाँच की जरूरत ही नहीं रही कि धारा 25 में पट्टे दिए गए, वह पट्टे गलत हैं, वह नहीं दिए जा सकते थे। सरकार ने धोखा दिया है, मैं जानना चाहता हूँ कि अब इसके प्रति सरकार अगली कार्रवाई क्या करेगी ?

श्री यशपाल आर्य-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कहा है कि सरकार द्वारा इस तरह के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। निचले स्तर से पट्टों को दिया गया है और सीलिंग एक्ट के तहत दिया गया है। इस भूमि का उपयोग सार्वजनिक योजनाओं के लिए, स्कूल भवन के लिए और सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। मैं सदन के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसकी जाँच की जाएगी।

इको सेंसेटिव जोन में उत्तराखण्ड के क्षेत्रों का चिन्हीकरण

*11-श्री दलीप सिंह रावत-

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इको सेंसिटिव जोन में उत्तराखण्ड के किन-किन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है ?

क्या मंत्री जी की सहमति से इको सेंसिटिव जोन चिन्हित किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो प्रभावित जनता के क्या-क्या हक हकूक प्रभावित होंगे ?

तथा प्रभावित जनता को इसके बदले में क्या-क्या सुविधाएं दी जाएंगी ?

श्री दिनेश अग्रवाल-

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-2429, दिनांक 18-12-2012 के माध्यम से गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी के जलागम क्षेत्र 4179.59 वर्ग किलोमीटर को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान तथा नन्धौर वन्य जीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन चिन्हित करते हुए भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया है, जिसे भारत सरकार द्वारा वर्तमान तक अधिसूचित नही किया गया है।

भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना को राज्य सरकार या वन मंत्री जी की सहमति के बिना भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

मसूरी वन्य जीव विहार, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं नन्धौर वन्य जीव विहार के भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव में वन मंत्री जी की सहमति है।

उपरोक्त अधिसूचना/प्रस्तावों में आरक्षित वन से अनुमन्य हक-हकूक प्रभावित नही होते हैं।

प्रश्न नही उठता।

श्री दलीप सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि जो सेंसिटिव जोन लागू किया जाता है, उसकी स्पष्ट परिभाषा क्या है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, सेंसिटिव जोन भारत सरकार की अधिसूचना के अधिकार पर तय हुआ है, सेंसिटिव जोन से तात्पर्य होता है कि इस प्रकार सेंसिटिव जोन बनाया जाए, जिसमें रूल्स रेग्यूलेशन के आधार पर बसावट हो और सारा कार्य किया जाए।

श्री दलीप सिंह रावत-

मान्यवर, क्या प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, प्रतिबन्ध नही, जिसको घोषित कर दिया जाता है, उस पर व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबन्ध होते हैं कि आप किस तरह कार्य करेंगे।

श्री दलीप सिंह रावत--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या-क्या प्रतिबन्ध हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, प्रतिबन्ध यही है कि आप हर जगह मकान नहीं बना सकते हैं। आप नक्शे के आधार पर ही मकान बनाएंगे, जो जगह जिसके लिए चिन्हित की गई है, उसी ढंग से आप बनाएंगे।

*श्री नव प्रभात--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार की अधिसूचना के आधार पर, प्रश्न के उत्तर में ही है कि राज्य सरकार ने स्वयं इको सेंसिटिव ज़ोन के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, एक जो हुआ वह भारत सरकार ने खुद ही कर दिया। राज्य सरकार से पूछा ही नहीं।

श्री नव प्रभात--

मान्यवर, एक तो भागीरथी का किया, मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य, फूलों की घाटी नन्धौर वन अभ्यारण्य, ये राज्य सरकार ने प्रेषित किए। माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा प्रकट की, कौन सी ऐसी चीज हैं जिनके मौजूद होने से इको सेंसिटिव ज़ोन बनता है। इसकी कोई परिभाषा होना जरूरी है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभावित जनता के हक हकूक प्रभावित होंगे या नहीं ? परन्तु यदि यह इको सेंसिटिव ज़ोन की परिभाषा है, तब तो हम इसका स्वागत करें। नहीं तो इको सेंसिटिव जोन घोषित होने से हमारी सारी जल विद्युत परियोजनाएं एक किस्त में बन्द हो गई तो हमें फिर उसका विरोध करना पड़ेगा। इसलिए इको सेंसिटिव ज़ोन क्या है ? इसकी क्या परिभाषा राज्य सरकार के पास है ? और क्या परिभाषा केन्द्र सरकार के पास है ? यह देखना जरूरी है। मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि संविधान की कौन सी सूची में यह विषय है। केन्द्र सरकार की सूची में है या राज्य सरकार की सूची में है या कन्करेन्ट में है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, हमारे यहाँ भागीरथी इको सेंसिटिव जोन भारत सरकार ने स्वतः बिना राज्य की सहमति के घोषित कर दिया। राज्य सरकार ने मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान तथा नन्धौर वन्य जीव विहार के भारत सरकार को प्रस्ताव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भेजे हैं जिसका अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। वन विभागों में जिस प्रकार के अतिक्रमण के साथ बसासत हो रही है और हैफहजर्ड निवास वहाँ बनाए जा रहे हैं। जिससे वहाँ की पर्यावरण व्यवस्था प्रभावित हो रही है कहीं भी सड़क बना दी जाती है या प्रवेश हो जाता है, उसको रोकने के लिए इको सेंसिटिव जोन के लिए भारत सरकार का दबाव है कि बनाया जाए।

मान्यवर, राज्य सरकार ने उनसे कहा कि आप मसूरी वन्य जीव विहार भी घोषित कर दीजिए और फूलों की घाटी, जो बिलकुल समाप्त होती जा रही है और वहां गन्दगी हो गयी है वहां पर आवागमन बहुत ज्यादा है तो उसको प्रतिबन्धित करने के लिए उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, नन्धौर वन्य जीव अभी-अभी घोषित हुआ है। उनकी एक शर्त थी कि आप नन्धौर में एक वन्य जीव अभ्यारण्य बनाएं। यहां पर यह कार्य किया गया है तो इस प्रस्ताव पर उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। आपने पूछा कि ये किस सूची में है ? यह कंकरेंट लिस्ट में है।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, हम जानना चाहते हैं कि इसमें क्या-क्या प्रतिबन्ध हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रतिबन्ध यह है कि आप अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकते हैं। जो मास्टर प्लान होगा उसके अनुसार निर्माण करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से कहीं पर भी घर बना लेना और अन्य प्राइवेट काम करा लेना, यह आप नहीं कर पाएंगे।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने इसमें एक प्रश्न पूछा कि "यदि हाँ, तो प्रभावित जनता के क्या-क्या हक हकूक प्रभावित होंगे ?" तो सरकार ने उत्तर दिया कि "उपरोक्त अधिसूचना/प्रस्तावों में आरक्षित वन से अनुमन्य हक-हकूक प्रभावित नहीं होते हैं।" दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप मकान नहीं बना सकते हैं। आप कॉमर्शियल कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास कौन-कौन से हक हकूक रह जाएंगे ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप कोई घर बनाते हैं, उसका नक्शा पास कराते हैं (व्यवधान) तो इसमें हक हकूक तो यही है कि आप नियम के अनुसार काम करेंगे।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, हक हकूक में उनको लकड़ी काटने का अधिकार मिलता है ? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, लकड़ी काटने का सब जगह अधिकार नहीं मिलता है। जो जगह चिन्हित हैं, उन्हीं जगह से आप लकड़ी काट सकते हैं, सब जगह से लकड़ी नहीं काट सकते हैं। (व्यवधान)

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, पहले हक हकूक मिलता था, वह तो अब खत्म हो गया है। (व्यवधान) या आप अभी कह दें कि उनका हक हकूक जारी रहेगा और उनको मकान बनाने के लिए प्रतिबन्धित नहीं किया जाएगा तो मैं मान जाऊँगा। (व्यवधान)

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि एक ही सूचना में 4179.59 वर्ग किलोमीटर का एरिया प्रभावित हो गया। यह माननीय मंत्री जी को भी जानकारी है और सदन को भी जानकारी है कि हमारी दो महत्वपूर्ण विद्युत परियोजना हजार करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद बन्द हो गयी है। तो इको सेंसिटिव जोन क्या है ? इसको जब तक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करेंगे, तो इस राज्य के हितों की रक्षा कैसे होगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो प्रोहिबिटेड कार्य हैं, वह इस प्रकार से हैं, आप हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं, माइनिंग फॉर कामर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी नया परमानेंट कंस्ट्रक्शन बिऑंड टू स्टोरीज यानी दो स्टोरी मकान बनाने से ज्यादा की अनुमति नहीं है, और पॉल्यूटिंग इण्डस्ट्रीज परमिटेट नहीं हैं। कंकरीटिंग एराउंडग ट्री एलॉंग ट्रेक पाथ, यानी आप पेड़ के चारों ओर कंकरीटिंग नहीं कर सकते हैं। हाय मास्ट लाइट्स युज भी प्रोहिबिटेड, डी0जे0 एण्ड लाउड म्यूजिक प्रोहिबिटेड, है। साउंड प्रोड्यूसिंग जैनसेट प्रोहिबिटेड हैं, पालीथिन प्रोहिबिटेड है, डिस्चार्ज ऑफ सीवरेज प्रोहिबिटेड, है, फैंसिंग ऑफ प्रीमाइसेस प्रोहिबिटेड, फैलिंग ऑफ ट्रीज एण्ड कलेक्शन ऑफ फायर वुड एक्सेप्ट फॉर बोनाफाइड रेजिडेंशियल यूज ऑफ विलेज एलॉन, आपको पेड़ को काटना और उनका कलेक्शन किया जाना, सिवाय इसके कि बोनाफाइड रेजिडेंशियल वहां पर रहते हैं, केवल उनके अलावा सब प्रोहिबिटेड है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, यह राज्य सरकार की अधिसूचना है या केन्द्र सरकार की है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह राज्य सरकार का है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, यह राज्य सरकार का प्रस्ताव है तो राज्य सरकार स्वयं ही कह रही है कि हम इन जोन्स में कोई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उन जोन्स में नहीं बनेगा। उसके बाहर तमाम बन सकते हैं। (व्यवधान)

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं सरकार का यही तो ध्यानाकर्षित कर रहा हूँ, सरकार अपनी नीति इस बारे में तय कर ले, नहीं तो हमारी जल विद्युत परियोजनाओं को बहुत बड़ी क्षति होगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो इको सेंसिटिव जोन है, वहां पर जल विद्युत परियोजना नहीं बने, इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं। सेंसिटिव जोन तो सीमित हैं। (व्यवधान)

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, इससे बहुत बड़ी परियोजनाएं फंस जाएंगी। (व्यवधान)

*श्री विजयपाल सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैं भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के बारे में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो अभी केन्द्र सरकार ने बिना राज्य सरकार से पूछे हुए अधिसूचना जारी कर दी तो इससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के 80 गांव, जो दैवीय आपदा से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, वहां पर पुनर्निर्माण होना है। हमारे राज्य का बार्डर एरिया है, जो चाइना से लगा हुआ है।

मान्यवर, हमारा पूरा क्षेत्र चाइना का बार्डर एरिया है, उस एरिया में सड़कें बननी हैं, पुनर्निर्माण होना है, तो मैं यह कहना, चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार ने बगैर राज्य सरकार से पूछे हुए ये ईको सेंसेटिव लागू किया होगा या नहीं किया होगा और वहाँ के जो 80 गाँव दैवीय आपदा से प्रभावित हैं, तो उनके हितों की रक्षा कैसे की जाएगी ? और वहाँ के लोग विरोध में हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सही बताया तो उन्होंने, स्वतः ही इसे घोषित कर दिया है, जो कठिनाइयां उसके घोषित करने से आ रही हैं, उन्हें संकलित करके वन विभाग के अधिकारी उनके साथ हायर लेवल बैठक कर रहे हैं और उसमें जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, उसके निर्माण के लिए सुविधा मांग रहे हैं।

श्री विजय पाल सिंह सजवाण–

मान्यवर, दो बाँध लोरी पाला है, जिन पर आठ सौ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, वह बाँध बन रहा है।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट– तारांकित प्रश्न–11 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, स्थगित क्यों कर दें ? आप कार्यस्थगन में ले आएं।

*12–श्री नवप्रभात–

न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त

उत्तराखण्ड राज्य में यातायात का सुचारु रूप से संचालन

*13–श्री मदन कौशिक–

क्या गृह मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य शहरों में ट्रैफिक जाम की बहुत अधिक समस्या रहती है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा प्रतिदिन के जाम की समस्या को दूर करने हेतु कोई योजना बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

जी हाँ।

(1) ट्रैफिक लाइट लगाना।

(2) नो एण्ट्री प्वाइंट।

(3) पीक ऑवर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबन्धित करना।

(4) अतिक्रमण अभियान।

(5) बैरियर एवं रोड साइन बोर्ड/स्कूलों में यातायात की जानकारी।

(6) सिटी पैट्रोल यूनिट/क्रेन।

(7) आन स्ट्रीट पार्किंग।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव पार्क में बाघों की संख्या एवं उनका संरक्षण

*14–श्री गणेश जोशी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव पार्क में बाघों की कुल संख्या कितनी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007 के सापेक्ष वर्ष 2013 तक सभी राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव पार्कों में बाघों की संख्या कितनी घटी-बढ़ी है तथा उनके संरक्षण की क्या कोई विशेष योजना बनाई गई है ? यदि हाँ, तो क्या, यदि नहीं तो सरकार द्वारा बाघों को बचाए जाने के लिए कोई ठोस योजना पर अमल किया जाएगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहार व अन्य आरक्षित वन क्षेत्रों में वर्ष 2010 में भारतीय वन्य जीव संस्थान तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण (एन0टी0सी0ए0) द्वारा नवीनतम विधि से की गई गणना के अनुसार 227 बाघों की संख्या का आगणन किया गया है।

नवीनतम विधि द्वारा की गई गणना के अनुसार वर्ष 2006 में बाघों की सं0 178 थी, जो वर्ष 2010 में बढ़कर 227 हो गई है। वर्तमान में बाघों की गणना का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर जारी है तथा इसके परिणाम अगले वर्ष के प्रारम्भ में प्राप्त होने की संभावना है। बाघों के संरक्षण हेतु वर्ष 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना चलाई जा रही है, प्रदेश में बाघों के संरक्षण को विशेष रूप से क्रियान्वित करने हेतु कार्बेट टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड थौलधार में मनरेगा से की गई अवशेष राशि का भुगतान

*15–श्री महावीर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड थौलधार में मनरेगा से किए गए कार्यों का 06 से 08 महीने तक का भुगतान आज तक नहीं हुआ है, जो कि लगभग ₹ 07 करोड़ तक पहुँच गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार विकास खण्ड थौलधार में मनरेगा के भुगतान पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

वर्ष 2014–15 के माह अक्टूबर तक मात्र ` 5.21 लाख का भुगतान अवशेष है।

जी हाँ।

भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में इको टूरिज्म का निर्धारण

*16–श्री नवप्रभात–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में "इको टूरिज्म" के विकास के लिए क्या नीति निर्धारित की गई है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि राज्य में "इको टूरिज्म डेवलपमेन्ट बोर्ड" बनाने का निर्णय लिया गया है ?

क्या मंत्री जी "इको टूरिज्म" की राज्य में लागू परिभाषा की जानकारी प्रदान करेंगे ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा कोई "इको टूरिज्म नीति" प्रख्यापित नहीं की गई है, तथापि राज्य की प्राकृतिक सम्पदा का स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से व इसके संरक्षण के उद्देश्य से इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की सरकार की नीति रही है।

जी नहीं।

यद्यपि राज्य में "इको टूरिज्म" की कोई परिभाषा किसी शासनादेश द्वारा निर्धारित नहीं है, फिर भी विभागीय स्तर पर इको टूरिज्म नीति में निम्नलिखित अभिप्राय निर्धारित है:–

"इको टूरिज्म प्राकृतिक क्षेत्रों में उत्तरदायी पर्यटन है, जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो।"

जनपद पौड़ी–गढ़वाल के अन्तर्गत रिखणीखाल में स्थित खाद्यान्न गोदाम का पुनर्निर्माण

*17–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी–गढ़वाल के अन्तर्गत रिखणीखाल में स्थित खाद्यान्न गोदाम का पुनर्निर्माण किया जाएगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त जीर्णशीर्ण पड़े खाद्यान्न गोदाम में खाद्यान्न को सुरक्षित रखने हेतु क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं। क्योंकि खाद्य गोदाम सहकारिता विभाग से किराए पर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न गोदाम जीर्ण शीर्ण अवस्था में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पटवारी चौकियों का निर्माण तथा जिलेवार संख्या

*18–श्री चन्दनराम दास–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में उत्तराखण्ड राज्य बनने से वर्तमान तक कितनी पटवारी चौकियों का निर्माण किया गया है तथा उनकी जिलेवार संख्या कितनी है ?

क्या मंत्री जी उक्त चौकियों को बनाने पर हुए व्यय के विवरण की जानकारी सदन के पटल पर रखेंगे ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत है कि काफी व्यय किए जाने के उपरान्त बनी पटवारी चौकियों में पटवारियों के न बैठने के कारण जनता को उसका लाभ नही मिल पा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी पटवारी अपनी चौकियों में बैठकर अपने कार्यों को करें, इस हेतु कोई आदेश जारी करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

राज्य बनने के उपरान्त कुल 755 पटवारी चौकियों का निर्माण किया गया है, जिनकी जनपदवार संख्या निम्न है:–

जनपद	संख्या
1	2
उत्तरकाशी	73
चमोली	64
रुद्रप्रयाग	49
टिहरी	127

1	2
पौड़ी गढ़वाल	135
देहरादून	32
बागेश्वर	56
चम्पावत	67
अल्मोड़ा	103
पिथौरागढ़	21
नैनीताल	25
योग	755

जी हाँ।

उपरोक्त पटवारी चौकियों के निर्माण में कुल ` 3961.04/– लाख धनराशि का व्यय हुआ है।

जी नहीं।

अधिकांश पटवारी चौकियों में कार्मिक तैनात है, तथा पटवारी चौकियों में बैठकर जन कार्यों का पूर्ण निर्वहन कर रहे हैं एवं जनता को लाभ प्राप्त हो रहा है।

आवश्यकतानुसार पटवारी चौकियों में कार्मिकों की नियुक्ति हेतु कार्यवाई की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत अमीनों की पदोन्नति एवं वेतन विसंगति दूर करने पर विचार

*19–श्री गणेश जोशी–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि राजस्व विभाग में कार्यरत अमीन को नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए काफी लम्बे समय से धरने पर है, जिससे समस्त प्रदेश में आम जनता को काफी दिक्कतें हो रही हैं ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार अमीनों की नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति एवं उनकी वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए नियमावली में संशोधन करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं।

वर्तमान में राजस्व संग्रह अमीन संघ धरने या हड़ताल पर नहीं हैं, तथा अपने कार्य का सुचारु रूप से संचालन कर रहे हैं।

जी हाँ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

यथासमय।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार के गांवों की कृषि एवं आबादी की सुरक्षा के उपाय

*20–श्री यतीश्वरानन्द–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम कांगड़ी, ग्राम–गाजीवाली, ग्राम श्यामपुर, ग्राम पीली, ग्राम–टाटवाला, ग्राम–मीठीबेरी में बरसात के दिनों में पानी ज्यादा आने के कारण गंगा में इन गांवों की जमीन (कृषि एवं आबादी भूमि) हर वर्ष कटाव होने के कारण पानी के तेज बहाव के साथ बह जाती है तथा प्रत्येक वर्ष फसलों को काफी नुकसान होता है ?

क्या सरकार उक्त गांवों की सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गंगा के किनारे बसे गांवों एवं आबादी की सुरक्षा हेतु स्टड एवं मार्जिनल बंध के निर्माण की योजना धनराशि ₹ 3484.99 लाख की स्वीकृति की गई, जिसके अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम कांगड़ी, ग्राम–टाटवाला, ग्राम–मीठीबेरी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु क्रमशः ₹ 414.02 लाख, ₹ 458.58 लाख एवं ₹ 55.74 लाख की योजनाएं सम्मिलित थी, जिसके अन्तर्गत 31 स्परों का निर्माण कराया गया।

वर्ष 2013–14 में ग्राम कांगड़ी, ग्राम–गाजीवाली, एवं ग्राम–मीठीबेरी में 15 वायक्रेट स्पर स्थापना के कार्यों हेतु दैवीय आपदा के अन्तर्गत ₹ 143.28 लाख स्वीकृत किए गए हैं। सभी कार्य पूर्ण कराकर ग्रामों को सुरक्षा प्रदत्त कराई गई है।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पीली सजनपुर, ग्राम मीठी बेरी एवं ग्राम टाटवाला, कांगड़ी, श्यामपुर तथा गाजी वाली की बाढ़ सुरक्षा हेतु दैवीय आपदा के अन्तर्गत प्राक्कलन गठित कर जिलाधिकारी हरिद्वार को स्वीकृति एवं धनावंटन हेतु प्रेषित किए गए हैं। धनावंटन प्राप्त होने के पश्चात् कार्य कराए जाने सम्भव होंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थगित अतारांकित प्रश्न

(द्वितीय बुधवार प्रथम सत्र वर्ष 2014 के स्थगित अतारांकित प्रश्न सं0–25)

सरकार द्वारा विकास कार्यों हेतु मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त धनराशि का ब्याज सहित विवरण

01–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा जो विकास कार्यों हेतु मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय के विधायक निधि या अन्य योजनाओं का धन अवमुक्त किया जाता है, वह लम्बे समय तक खर्चा न होने पर उस पर ब्याज मिलता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्ष 2011–12, 2012–13 व 2013–14 की ऐसी ब्याज राशि का जिलेवार विवरण देने पर विचार करेगी ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस अवधि की राशि का क्या उपयोग किया गया तथा उसका जिलेवार योजना सहित विवरण देंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

विवरण संलग्न है।†

विधायक निधि के अन्तर्गत प्राप्त ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा कर दी जाती है, तथा अन्य योजनाओं में प्राप्त ब्याज की धनराशि को योजना का भाग मानकर योजना के दिशा–निर्देशानुसार व्यय किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012–13 एवं 14 में वृक्षारोपण व वृक्षों की सुरक्षा के उपाय

01–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में वर्ष 2012–13 एवं 2014 में किन–किन रैंजों में कितने–कितने पौधों का रोपण ग्रामीणों एवं विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि वृक्षों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा कुल कितना धन वृक्षारोपण में व्यय किया गया है ?

---

† (देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 148–169 पर)

क्या पूर्ण व्यय एवं वृक्षों की संख्या का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत दो वन प्रभाग आते हैं। उक्त दोनों वन प्रभागों में वर्ष 2012 से 2014 तक किए गए वृक्षारोपण व उस पर व्यय की गयी धनराशि का प्रभागवार विवरण निम्नानुसार है:–

(1) लैंसडौन वन प्रभाग कोटद्वार:

रेंज का नाम	वर्ष	वृक्षारोपण (है0 में)		रोपित पौधों की संख्या		व्यय धनराशि (लाख में)	
		आरक्षित क्षेत्र	सिविल क्षेत्र	आरक्षित क्षेत्र	सिविल क्षेत्र	आरक्षित क्षेत्र	सिविल क्षेत्र
लालढांग	2012	20	6 है0 ग्रा0 पं0 धनपुरी, मटकूण	17050	4800	7.46	1.20
लालढांग	2013	11	27.60 है0 धराकोट, भोगपुर–I,II	12100	24300	4.48	7.58
दुगड्डा	2014	30	–	20000	–	12.21	–
लालढांग	2014	20	–	10000	–	8.14	–
लैंसडौन	2014	10	–	10000	–	5.16	–
	योग	91	33.60	75150	29100	37.45	8.78

(2) भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडौन:

रेंज का नाम	वर्ष	वृक्षारोपण (है0 में) सिविल क्षेत्र		वृक्षारोपण पर किया गया व्यय (लाख में)	अभियुक्ति
		क्षेत्रफल (है0 में)	रोपित पौधों की संख्या		
पोखड़ी	2012	20	20000	7.38	भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडौन में आरक्षित वन क्षेत्र नहीं है।
पोखड़ी	2013	130	125100	32.67	
ताल	2013	100	95000	26.30	
बैजरौं	2013	130	132000	30.11	
पटियाली	2013	55	57500	13.44	
भृगुखाल	2013	60	65000	17.04	
पोखड़ी	2014	45	48500	20.01	
ताल	2014	60	64000	26.54	
भृगुखाल	2014	40	43000	17.81	
बैजरौं	2014	53	58300	23.36	
	योग	703	709400	214.04	

वनीकरण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु पत्थर की दीवारबन्दी तथा तारबाड़ कार्य किए जाते हैं तथा देखभाल हेतु स्थानीय ग्रामीणों में से तीन वर्ष तक के लिए वॉचर रखे जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्बेट नेशनल पार्क प्रशासन द्वारा ग्राम–झुडंगु (विकास खण्ड नैनीडांडा) में विद्युत लाइन बिछाने की अनुमति

02–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कार्बेट नेशनल पार्क प्रशासन द्वारा ग्राम झुडंगु (विकास खण्ड नैनीडांडा) को विद्युत लाइन बिछाने हेतु आपत्ति की जा रही है ?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

क्या भविष्य में उक्त ग्राम को विद्युत सुविधा दिए जाने हेतु पार्क प्रशासन द्वारा कोई सहायता दी जाएगी ? यदि हाँ, तो क्या ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भविष्य में उक्त ग्राम में विद्युत लाइन बिछाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

थाना बहादराबाद हरिद्वार में किसान द्वारा मोटर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई

03–श्री आदेश चौहान–

क्या गृह मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार जनपद के थाना बहादराबाद के थानाध्यक्ष द्वारा दिनांक 05–08–2014 को भौंदी निवासी एक किसान जो कि अपने सिंचाई नलकूप से दीवार तोड़ कर की गई बिजली की मोटर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने गया था को बताया गया कि अब इस तरह की यहां कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, किसान अपने नलकूपों की स्वयं सुरक्षा करें, यह पुलिस विभाग का काम नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों की इस प्रकार की समस्याओं को देखने के लिए किसी नए विभाग के गठन पर विचार कर रही है या इस प्रकार के प्रकरण किसान स्वयं देखें, ऐसा अधिकार किसानों को दिए जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत पटवारियों की संख्या तथा रिक्त पदों पर भर्ती

04—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी–गढ़वाल के लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र में कितने पटवारी क्षेत्र हैं ? क्या क्षेत्र की पटवारी चौकियों में पूरे पटवारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या पटवारी चौकियों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद पौड़ी–गढ़वाल के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र की तहसील लैन्सडौन में 22 व तहसील धुमाकोट में 22 अर्थात कुल 44 पटवारी क्षेत्र अवस्थित हैं। 44 पटवारी हलकों के सापेक्ष 26 पटवारी हलकों में पटवारी तैनात हैं। 16 पटवारी हलकों में कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण रिक्तियां हैं व ऐसे हलकों का प्रभार अन्य पटवारियों को दिया गया है।

जी हाँ।

राजस्व उप निरीक्षक (पर्वतीय पटवारी) के रिक्त पदों के सापेक्ष कार्मिकों की भर्ती हेतु मण्डलायुक्तों को निर्देशित किया गया है, साथ ही भर्ती प्रक्रिया के निर्धारण की कार्यवाई की जा रही है। इसके उपरान्त यथाशीघ्र भर्ती की कार्यवाई की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी–गढ़वाल के अन्तर्गत रिखणीखाल में पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन निर्माण में धन का आवंटन

05–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी–गढ़वाल के अन्तर्गत रिखणीखाल में स्वीकृत पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन हेतु धन स्वीकृत है ?

यदि हाँ, तो कितना ?

यदि नहीं, तो क्यों तथा भवन बनने की समयावधि क्या है ?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं। जनपद पौड़ी–गढ़वाल के अन्तर्गत रिखणीखाल नामक स्थान पर राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

06–श्रीमती अमृता रावत–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 की विधायक निधि पर स्वीकृत योजनाओं का विवरण

07–श्रीमती अमृता रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 तथा वर्ष 2013–14 की विधायक निधि के अन्तर्गत स्वीकृत/संस्तुत योजनाओं और उनके निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तथा योजनाओं के निर्माण की कार्य प्रगति का योजनावार विवरण क्या है ?

तथा कब तक योजनाओं के अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण किए जाएंगे ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि वर्ष 2012–13 तथा वर्ष 2013–14 की विधायक निधि से स्वीकृत योजनाओं की वित्तीय वर्षवार संख्या तथा स्वीकृत कुल धनराशि और व्यय की गई धनराशि का वित्तीय वर्षवार विवरण क्या है ?

श्री प्रीतम सिंह–

विवरण संलग्न है।†

माह दिसम्बर तक।

वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की वर्षवार वित्तीय प्रगति विवरण निम्नानुसार है:–

(धनराशि लाख ` में)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि	संस्तुत धनराशि	व्यय धनराशि	संस्तुत कार्य	कार्य पूर्ण	प्रगति
2012–13	250.00	240.06	226.11	167	135	32
2013–14	250.00	237.01	206.97	199	179	20

† (देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 190–228 पर)

जनपद नैनीताल की भीमताल झील की सफाई की अद्यतन स्थिति

08–श्रीमती अमृता रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल स्थित झील का मलबा साफ किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 5444/मंत्री/8–सिंचाई/2013–14 दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 के क्रम में भीमताल स्थित झील के मलबे की सफाई हेतु विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और अब तक हुई प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है ? तथा कब तक उक्त झील का मलबा साफ किया जाएगा ?

श्री यशपाल आर्य–

भीमताल झील में मलबा सफाई व नालों से सुदृढ़ीकरण एवं झील के सुदृढ़ीकरण हेतु आर0आर0आर0 (रिपेयर, रिनोवेशन एवं रिकन्स्ट्रक्शन) वाटर बॉडीज के अन्तर्गत ₹ 764.44 लाख की एक योजना गठित की गई। भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 19–12–2013 द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसमें मलबा सफाई हेतु ₹ 335.74 लाख का प्राविधान है। राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में दिनांक 24–01–2014 को स्वीकृत ₹ 74.65 लाख से कैचमेन्ट एरिया के नालों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया। भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश स्वीकृत किए जाने हेतु सहमति दी गई है। केन्द्रांश प्राप्त होने पर योजना में शेष कार्यों को क्रियान्वित किया जा सकेगा।

विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत टेढ़ा गांव, भरतपुरी एवं पम्पापुरी की बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने की दिशा में की गई कार्रवाई

09–श्रीमती अमृता रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत टेढ़ा गांव एवं भरतपुरी, पम्पापुरी बाढ़ की सुरक्षा योजना के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र संख्या वी0आई0पी0(एम)/3235/XXXV–1/2014(3) दिनांक 19 मार्च, 2014 के साथ अग्रसारित पत्र में प्रस्तावित बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने की दिशा में की गई कार्रवाई और हुई प्रगति का योजनावार विवरण क्या है ? तथा कब तक प्रस्तावित योजनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जाएगी ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद नैनीताल के रामनगर व भीमताल विकास खण्ड में कोसी नदी, दाबका नदी व टेढ़ा नाला से भरतपुरी, पम्पापुरी, मलुवाताल एवं टेढ़ा ग्राम की बाढ़ सुरक्षा योजना लागत ₹ 1139.24 लाख का प्राक्कलन गठित किया जा चुका है। गठित प्राक्कलन के परीक्षणोपरान्त यथा प्रक्रिया स्वीकृति की अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत ढेला नदी से ग्राम मालधन में ढेलेश्वर महादेव में बाढ़ सुरक्षा हेतु धनराशि स्वीकृत करने की दिशा में की गई कार्रवाई

10–श्रीमती अमृता रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत ढेला नदी से ग्राम मालधन में ढेलेश्वर महादेव में बाढ़ सुरक्षा हेतु ₹ 14.84 लाख की धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता पत्रांक 5415/मंत्री/8–सिंचाई/2013–14 दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 के सम्बन्ध में बाढ़ सुरक्षा हेतु धनराशि स्वीकृत करने/करवाने की दिशा में की गई कार्रवाई और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है ? तथा कब तक बाढ़ सुरक्षा हेतु प्रस्तावित धनराशि स्वीकृत की जाएगी ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत ग्राम मालधन में ढेला नदी से ढेलेश्वर महादेव की बाढ़ से सुरक्षा हेतु ₹ 14.84 लाख का प्राक्कलन तैयार कर उपनिदेशक पर्यटन नैनीताल को योजना में धनावंटन करने हेतु प्रेषित किया गया था, जिसे उपनिदेशक पर्यटन नैनीताल के पत्रांक 688/वि0स0प्र0/2014–15 दिनांक 10–11–2014 द्वारा इस आशय से वापस किया गया कि उक्त योजना पर्यटन के मानकों के अन्तर्गत नहीं आती है। उक्त योजना को पुनः निम्नवत् गठित किया जाना प्रस्तावित है:–

1–अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत नैनीताल के रामनगर विकास खण्ड में ग्राम मालधन चौड़ में ढेला नदी से ढेलेश्वर महादेव मन्दिर की बाढ़ सुरक्षा योजना ₹ 9.93 लाख।

2–अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत नैनीताल के रामनगर विकास खण्ड में ग्राम मालधन चौड़ के नं0 04 एवं 06 में ढेला नदी से ढेलेश्वर महादेव मन्दिर की बाढ़ सुरक्षा योजना ₹ 9.67 लाख।

उक्त प्रस्तावित योजनाओं का आगणन प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त यथाप्रक्रिया स्वीकृति एवं धनावंटन के पश्चात् कार्य कराए जा सकेंगे।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण तथा अवशेष भूमि का विवरण

11–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी–गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में वन विभाग के द्वारा कितने हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण वर्ष 2014 में किया गया तथा इनमें से कितने पेड़ जीवित हैं ?

क्या इस क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु भूमि शेष है ?

यदि हाँ, तो कहां-कहां ?

श्री दिनेश अग्रवाल-

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दो वन प्रभाग आते हैं। लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार के द्वारा वर्ष 2014 में वर्षाकाल में कुल 60 हैक्टेयर भू-भाग में वनीकरण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के 46000 पौधों का रोपण किया गया। वर्तमान में सफलता शत प्रतिशत है तथा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन ने वर्ष 2014 में 198.00 हैक्टेयर भू-भाग पर विभिन्न प्रजाति के 211800 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें शत प्रतिशत पौध जीवित हैं।

वृक्षारोपण हेतु लगभग 1589.00 हे0 क्षेत्र शेष है।

वृक्षारोपण हेतु शेष भूमि का विवरण:-

क्र0सं0	रेंज का नाम	वृक्षारोपण हेतु शेष भूमि (हे0 में)
1.	गोहरी रेंज	340.00
2.	ताल रेंज	410.00
3.	भृगुखाल रेंज	197.00
4.	मटियाली रेंज	322.00
5.	पैतुलैण रेंज	320.00
	प्रभाग का योग	1589.00

उत्तराखण्ड में नए खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा बनाई गई खेल नीति

12-श्री मदन कौशिक-

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में खेल के समुचित विकास हेतु नए खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा खेल नीति बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो उक्त नीति के परिणाम क्या हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल-

जी हाँ।

उक्त नीति के अन्तर्गत सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों तथा शिक्षण संस्थाओं में कुशल खिलाड़ियों को 04 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त हुआ है तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित किए जाने

हेतु नकद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त नीति के अन्तर्गत खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रत्येक वर्ष देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार, लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार एवं देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है तथा राज्य में खेल अवस्थापना सुविधाएं विकसित की गई हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत ग्राम पाटकोट तथा नया झिरना में अधिष्ठापित नलकूप

13—श्रीमती अमृता रावत—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत ग्राम पाटकोट तथा ग्राम नया झिरना में नलकूप अधिष्ठापित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 768/मंत्री/8-सिंचाई/2013-14 में प्रस्तावित नलकूपों के अधिष्ठान हेतु की गई कार्रवाई और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है? तथा कब तक प्रस्तावित नलकूपों को अधिष्ठापित किया जाएगा ?

श्री यशपाल आर्य—

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत ग्राम पाटकोट में नलकूप निर्माण हेतु आर0आई0डी0एफ0-18 के अन्तर्गत योजना स्वीकृत हो चुकी है एवं नलकूप छिद्रण का कार्य पूर्ण हो गया है, शेष कार्य प्रगति पर है, जिसे वर्ष 2015-16 में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

ग्राम नया झिरना में नलकूप निर्माण हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण करवाया गया, परन्तु ग्राम की कृषि भूमि जिसमें सिंचाई सुविधा दी जानी है। वह अनारक्षित वन भूमि से भू-राजस्व की भूमि में बदले जाने हेतु अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप भूमि का राजस्व रिकार्ड तैयार किया जा रहा है। राजस्व रिकार्ड उपलब्ध होने पर नलकूप निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति हेतु परीक्षणोपरान्त कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

रामनगर विधान सभा के अन्तर्गत मांग के अनुसार नलकूपों को स्थापित किया जाना

14—श्रीमती अमृता रावत—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत अब तक किन-किन ग्रामों/स्थानों पर नलकूप निर्माण करवाए जाने की मांग प्राप्त हुई है और प्राप्त मांगों के सापेक्ष किन-किन स्थानों पर नलकूप स्थापित किए जा चुके हैं ? तथा अवशेष स्थानों पर कब तक नलकूप स्थापित किए जाएंगे ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि रामनगर के अन्तर्गत किन–किन स्थानों पर नलकूप स्थापित किए जाने हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है तथा लम्बित प्रस्तावों पर शासन स्तर से की जा रही कार्रवाई और अब तक हुई प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है ?

श्री यशपाल आर्य–

विधान सभा क्षेत्र रामनगर में अब तक कुल 41 नलकूपों के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 20 नलकूपों (संलग्न–1)† 'ध' का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 18 नलकूपों (संलग्न–2) के निर्माण के लिए स्थल का चयन एवं सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। शासन स्तर पर रामनगर विकास खण्ड के अन्तर्गत मालधनचौड़, चन्दनगर एवं पदमपुर कोलिया में एस०सी०एस०पी० योजना के अन्तर्गत 03 नलकूपों के निर्माण की योजना प्राप्त हुई थी, जिन्हें नवीन दर अनुसूची के अनुसार पुनरीक्षित कराए जा रहा है। तदोपरान्त योजना की स्वीकृति हेतु परीक्षणोपरान्त यथाप्रक्रिया अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

राजाजी नेशनल पार्क के सीमांकन का नोटिफिकेशन

15–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजाजी नेशनल पार्क के सीमांकन का नोटिफिकेशन हो चुका है ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि राजाजी नेशनल पार्क के गौहरी रेंज में कई आबाद ग्राम हैं ?

क्या सरकार गौहरी रेंज को राजाजी नेशनल पार्क से अलग करवाएगी ?

यदि नहीं, तो क्या कुनाऊं गांव में बिजली, सड़क, अस्पताल आदि की सुविधा व कौड़िया, किमसार मोटर रोड का डामरीकरण अति शीघ्र करवाएगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हाँ, नोटिफिकेशन हो चुका है।

जी हाँ।

जी नहीं।

राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के अन्तिम अधिसूचना से कुनाऊं चौड़ के 14 हैक्टेयर क्षेत्र को पृथक किया जा चुका है। कौड़िया किमसार मोटर रोड का डामरीकरण कराया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

---

† (देखिए नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ संख्या 229-330 पर)

संरक्षित क्षेत्र में स्थित उक्त मार्ग के डामरीकरण के प्रस्ताव पर राज्य वन्य जीव सलाहकार परिषद का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ।

सल्ट विधान सभा क्षेत्र के सस्ता–गल्ला विक्रेताओं को वर्ष 2012 के अक्टूबर–नवम्बर माह का राशन उपलब्ध कराने पर विचार

16–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा के सस्ता–गल्ला राशन विक्रेताओं द्वारा अक्टूबर और नवम्बर 2012 में राशन हेतु चालान लगाए गए थे, परन्तु आज तक कई बार निवेदन करने के उपरान्त भी उन्हें राशन नहीं दिया गया है ?

क्या मंत्री जी उन सभी राशन विक्रेताओं को, जिन्होंने चालान जमा किए हैं, राशन दिलाने या कोई अन्य उचित कार्रवाई करने पर विचार करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

जी हाँ।

उक्त अवधि में तैनात पूर्ति निरीक्षक की मृत्यु हो जाने के कारण गोदाम का विशेष सम्प्रेक्षण कराया जा रहा है तथा विशेष सम्प्रेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् ही उचित कार्रवाई सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

रामनगर विधान सभा क्षेत्र के वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित कराने पर विचार

17–श्रीमती अमृता रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत खत्ते, टोंगिया एवं वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाए जाने एवं इनके ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं दिए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के दिनांक 21 जनवरी, 2014 के पत्र के उत्तर में आपके दिनांक 30 जनवरी, 2014 के अशासकीय पत्र संख्या–118/पीएसआर/14 के द्वारा जिलाधिकारी, नैनीताल को यथोचित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किए जाने की जानकारी दी गई है ?

यदि हाँ, तो जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा की गई यथोचित कार्रवाई और उसके परिणामों का विवरण क्या है ? तथा कब तक वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया जाएगा ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत वन ग्रामों, गोठों, खत्तों व टौंगिया ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाए जाने हेतु नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किए गए हैं। उक्त प्रस्तावों पर निर्णय प्रतीक्षित है। तदनुसार निर्णय हो जाने के उपरान्त ही वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई किया जाना सम्भव होगा।

18–श्रीमती अमृता रावत–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

विकास खण्ड रामनगर में गैस गोदाम हेतु भूमि उपलब्ध कराने पर विचार

19–श्रीमती अमृता रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत मालधनचौड़ में मिनी गैस गोदाम की स्थापना करने हेतु 10 नाली सरकारी भूमि उपलब्ध किए जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी नैनीताल को सम्बोधित तत्कालीन पर्यटन मंत्री का पत्रांक–560/मंत्री/28–पर्यटन/2013–14 दिनांक 10 जनवरी, 2014 कब प्राप्त हुआ है ?

तथा पत्र के द्वारा की गई अपेक्षा के अनुपालन हेतु की गई कार्रवाई और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि स्थान मालधन चौड़ में मिनी गैस गोदाम की स्थापना हेतु कब तक भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ, जिलाधिकारी कार्यालय के अभिलेखों के अनुरूप उक्त पत्र दिनांक 10–01–2014 जिलाधिकारी कार्यालय में दिनांक 15–02–2014 को प्राप्त हुआ है।

जिलाधिकारी के स्तर पर इस मामले में की गयी कार्रवाई के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि तहसील रामनगर के अन्तर्गत मालधनचौड़ में मिनी गैस गोदाम की स्थापना हेतु अविवादित सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है।

यथाशीघ्र।

लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बगेड़ा, थाना रिखणीखाल के ग्रामवासियों के विरुद्ध वन विभाग के मुकदमे वापस लेने पर विचार

20–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी–गढ़वाल के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बगेड़ा, थाना रिखणीखाल के ग्रामवासियों के खिलाफ वन विभाग द्वारा किए गए मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

फौजदारी वाद सं0 51/2014 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लैन्सडौन के समक्ष विचाराधीन है।

लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों हेतु वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र

21–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी–गढ़वाल के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों सीरोबाड़ी–अमलेशा–धौलखेतखाल, गैदोली–परिंदा–डेरियालखाल, टकोलीखाल–बगनद–जनीखाल, कोठिला, बाड़ाडांडा को अनापत्ति प्रमाण पत्र न देने के क्या कारण है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि उक्त मामले कब से लम्बित हैं और उनका विवरण क्या है ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

सीरोबाड़ी–अमलेशा–धौलखेतखाल मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से नोडल अधिकारी कार्यालय, वन विभाग को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। गैदोली–परिंदा–डेरियालखाल एवं टकोलीखाल–बगनद–जनीखाल मोटर मार्गों प्रस्तावों पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा लोक निर्माण विभाग को अपने पत्र दिनांक 06–09–2014 एवं 04–10–2014 द्वारा लिखा गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा मामले में वांछित सूचना अभी तक नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है। कोठिला–बाड़ाडांडा मोटर मार्ग के प्रस्ताव पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति के क्रम में दिनांक 09–02–2014 को वन भूमि प्रत्यावर्तन के औपचारिक आदेश निर्गत किए जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पुल, सड़कें एवं पेयजल योजनाओं के लम्बित अनापत्ति प्रमाण पत्र

22–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी–गढ़वाल के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने पुल, सड़कें एवं पेयजल योजनाओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र लम्बित हैं तथा इनके विलम्ब के क्या कारण हैं एवं उनका विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि विलम्ब करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जनपद पौड़ी–गढ़वाल अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन में वन भूमि प्रत्यावर्तन सम्बन्धी सड़क निर्माण के 11 एवं पेयजल का 01 प्रकरण अर्थात कुल 12 प्रस्ताव गतिमान हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

सड़क के 03 एवं पेयजल के 01 प्रकरणों पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन किए जाने हेतु सम्बन्धित प्रस्तावक विभागों को लिखा गया है।

सड़क के 08 अन्य प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा लगाई गई कतिपय आपत्तियों/कमियों का निराकरण करने हेतु प्रस्तावक विभाग को लिखा गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग के स्तर पर कोई विलम्ब नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना में मड़माले–घुर्चु 12 किमी0 स्वीकृति सड़क का पूर्ण निर्माण

23–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत मड़माले घुर्चु 12 कि0मी0 सड़क स्वीकृत है तथा दस कि0मी0 सड़क का निर्माण हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम घुर्चु को जोड़ने हेतु शेष दो कि0मी0 का निर्माण करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

जी हाँ।

समरेखण विवाद निस्तारित होने पर अवशेष मार्ग का निर्माण किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग का गठन

24–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किए जाने के लिए आयोग का गठन किया गया है ? यदि हाँ, तो पुनर्गठन आयोग का प्रारूप क्या है ? तथा आयोग के गठन की तिथि से अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं ?

क्या सरकार आबादी के अनुसार थाने एवं तहसीलों का गठन करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

वर्तमान में शासन द्वारा जिलों के पुनर्गठन हेतु जिला पुनर्गठन आयोग गठित किया गया है। शासनादेश संख्या–590/18(1)/2012–02(9)/2011 दिनांक 17–05–2012 द्वारा जिला पुनर्गठन आयोग का गठन निम्नवत किया गया है:–

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड – अध्यक्ष।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड – संयोजक सदस्य।
3. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड – सदस्य।
4. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित अपर सचिव स्तर का अधिकारी – सदस्य।

आयोग की एक बैठक दिनांक 23–01–2013 को हुई है।

वर्तमान में राजस्व विभाग द्वारा यथावश्यकता नई तहसीलों का सृजन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर का नए जनपद के रूप में गठन करना

25–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत काशीपुर को नए जनपद के रूप में गठित किया जाना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

राज्य में जिलों के पुनर्गठन हेतु जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है। आयोग की संस्तुति/आख्या प्राप्त होने पर ही राज्य में नई जिला इकाइयों के सृजन/पुनर्गठन पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

धनौल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खेती एवं आवासीय भवनों की सुरक्षा हेतु सौंग नदी में सुरक्षा दीवार बनाने पर विचार

26–श्री महावीर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी–गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत सकलाना के नवागांव, हवेली, जाडगांव, मझगांव (सेलवाणी) सेमवालगांव, मरोड़ा, लामकाण्डे, हटवालगांव, मठियाणगांव, कुण्ड, सेरा, रगड़गांव, खैनियाकाटल और कुमाल्डा तक सभी ग्रामों की खेती एवं आवासीय भवनों को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचा है ? क्या सरकार बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सौंग नदी में सुरक्षा दीवार बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाएगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद टिहरी–गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत सकलाना के सत्यों से हटवालगांव के मध्य सौंग नदी के दोनों तटों के मध्य सभी ग्रामों की खेती एवं आवासीय भवनों की सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षा दीवार बनाए जाने हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। यथाशीघ्र योजना तैयार कर अग्रेत्तर अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाएगी। अतिसंवेदनशील स्थानों पर दैवीय आपदा के अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु लगभग ₹ 61.00 लाख के प्राक्कलन तैयार कर दिनांक 29–09–2014 को जिलाधिकारी, टिहरी–गढ़वाल को धनावंटन हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

स्वीकृति/धनावंटन प्राप्त होने पर उक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी–गढ़वाल के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु वन विभाग द्वारा अनापत्ति न दिए जाने का कारण

27–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी–गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों हेतु वन विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र न देने के क्या कारण है ?

क्या भविष्य में लम्बित सड़कों हेतु विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर विचार करेगा ?

यदि हाँ, तो उसकी अवधि क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जनपद पौड़ी–गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत वर्तमान में 11 मोटर मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गतिमान हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

03 प्रकरणों के प्रस्ताव कतिपय कमियों के निराकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को वापस किए गए हैं।

07 प्रस्तावों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसमें उल्लिखित शर्तों के अनुपालन हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया है।

01 प्रकरण में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों, जैसे सड़क निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में दिए गए प्राविधान के तहत भारत सरकार से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा औपचारिक आदेश निर्गत किए जाते हैं। वन भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया को त्वरित गति देने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, जिसके अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव द्वारा प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो कि प्रत्येक माह 15 दिन में वन भूमि अनुश्रवण सम्बन्धी बैठक की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

घनौल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भीषण वर्षा एवं बादल फटने से विभिन्न गांवों में हुई क्षति के कारण सुरक्षा दीवार बनाने पर सरकार का विचार

28–श्री महावीर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी–गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत सकलाना पट्टी में 16 अगस्त, 2014 की भीषण वर्षा एवं बादल फटने से बादल नदी ने टिहरी–गढ़वाल की सकलाना पट्टी के विभिन्न ग्रामों गौड़, मुल्नी एवं रवाली (जमठियालगांव) ताल (धैना), सिल्ला सेरा, ताछिला सेरा, काटल (धनचुला), सीतापुर उपल्ला, सीतापुर पल्ला (पौलगिरी), ल्वारखा श्रीपुर, कुमाल्डा (भरवाकाटल) तक आवासीय भवन एवं फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद टिहरी–गढ़वाल की तरफ भी दूसरी तरफ जनपद देहरादून की भांति बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सौंग नदी में सुरक्षा दीवार बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद टिहरी–गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत बादल नदी से टिहरी गढ़वाल की सकलाना पट्टी के विभिन्न ग्रामों के खेतों एवं आवासीय भवनों की सुरक्षा हेतु सिलकाला तोक से लालपुल तक बाढ़ सुरक्षा योजना ` 1173.52 लाख की विभागाध्यक्ष स्तर पर गठित राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की दिनांक 18–10–2014 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित की गयी है। इसके अतिरिक्त सिलकाला तोक से लाल पुल के मध्य अतिसंवेदनशील स्थानों पर दैवीय आपदा के अन्तर्गत अस्थायी कार्यों हेतु लगभग ` 79.90 लाख एवं लाल गांव की सुरक्षा दीवार हेतु अस्थायी बाढ़ सुरक्षा के अन्तर्गत ` 92.86 लाख के प्राक्कलनों को दैवीय आपदा के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी, टिहरी–गढ़वाल को दिनांक 29–09–2014 को प्रेषित की गयी है।

प्रस्ताव शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा। भारत सरकार से अनुमोदन/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत गठित आगणनों के सापेक्ष धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायतों में गैस की आपूर्ति पर विचार

29–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत भाला, रिएकुच, बगड़ीहाट, तिवारी, दुलीसेरा, ढोंढा ग्राम पंचायतों में गैस आपूर्ति की जाएगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में आई0ओ0सी0 को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित कर दिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पौढ़ी–गढ़वाल के लैन्सडौन वन प्रभाग का कार्यालय कोटद्वार में स्थानान्तरित किए जाने का कारण

30–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी–गढ़वाल के लैंसडौन वन प्रभाग का कार्यालय कोटद्वार में स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं ?

क्या अधिकारियों की साजिश के कारण कोटद्वार में वन प्रभाग का कार्यालय स्थानान्तरित किया गया ?

क्या सरकार जनहित में उक्त कार्यालय को लैंसडौन में पुनः स्थानान्तरित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जनपद पौड़ी–गढ़वाल के अन्तर्गत लैंसडौन वन प्रभाग का कार्यालय प्रशासनिक/जनसुविधा के दृष्टिगत कोटद्वार में स्थानान्तरित किया गया है।

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चम्पावत में वन भूमि के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लम्बित सड़कों की संख्या

31–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कितनी सड़कें ऐसी हैं, जो वन भूमि के कारण लम्बित हैं ?

क्या सरकार लम्बित सड़कों का निस्तारण करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

मात्र एक सड़क।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत के लोहाघाट में छमनियां स्टेडियम के निर्माण पर विचार

32–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के लोहाघाट में छमनियां स्टेडियम निर्माण की मांग लम्बे समय से की जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार छमनियां में स्टेडियम का निर्माण करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो स्टेडियम का निर्माण कब तक किया जाएगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हाँ।

राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद चम्पावत के लोहाघाट की कोलीढेक झील की मांग तथा सरकार द्वारा झील निर्माण में हुआ व्यय

33–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के लोहाघाट की कोलीढेक झील की मांग पिछले 15 वर्षों से लगातार की जा रही है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अब तक इसमें कब–कब कितनी धनराशि खर्च की गई है एवं किस–किस कार्य के लिए खर्च की गई है ?

क्या सरकार द्वारा झील की स्वीकृति दे दी गई है ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

क्षेत्रीय जनता एवं सम्मानित जन–प्रतिनिधियों की मांग पर जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक नामक स्थल पर एक 21 मीटर ऊँचे बहुउद्देशीय बांध/झील के निर्माण हेतु वर्ष 2003–04 से योजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया था।

जिलाधिकारी चम्पावत के द्वारा वर्ष 2007–08 व 2008–09 में तीन किस्तों में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत ₹ 2.67 करोड़ झील के कार्य हेतु सिंचाई विभाग को दिए गए, जिसमें उक्त बहुउद्देशीय जलाशय के सर्वेक्षण व भू–गर्भीय अन्वेषण आदि के कार्य वर्ष 2008–09 में पूर्ण करा लिए गए हैं। कुल प्राप्त ₹ 2.67 करोड़ में से विस्तृत सर्वेक्षण, अप्रोच रोड का निर्माण कार्य भू–गर्भीय एवं तकनीकी अनुसंधान के कार्य डिजाइन एवं डी0पी0आर0 गठन के कार्यों में ₹ 38.00 लाख व्यय हुआ है। अवशेष ₹ 2.29 करोड़ भारत सरकार पंचायतीराज विभाग, नई दिल्ली को उनके प्राप्त निर्देशों के क्रम में वापस कर दिए गए हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत योजना जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0) के अन्तर्गत उपादेय नहीं पाई गई है।

जनपद पिथौरागढ़ के तरानी नहर से सिंचाई व उस पर हुआ व्यय

34-श्री बिशन सिंह चुफाल-

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के तरानी नहर पर 2013-14 में कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या तरानी नहर से सिंचाई हो रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य-

जनपद पिथौरागढ़ के तरानी नहर पर वर्ष 2013 में अनुरक्षण मद से नहर की मरम्मत पर ` 19542.00 मात्र की धनराशि व्यय की गई है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

काशीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ढेला नदी में प्रतिवर्ष बरसात में आई बाढ़ से क्षेत्र की सुरक्षा के उपाय

35-श्री हरभजन सिंह चीमा-

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में बहने वाली ढेला नदी में प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में बाढ़ आने से नगर क्षेत्र एवं ग्रामीण इलाके के ग्राम रायपुरखुर्द, बाँसखेड़ी, जगन्नाथपुर एवं गुलड़िया में आबादी व खेती का काफी नुकसान होता है ?

यदि हाँ, तो क्या बाढ़ के कहर से क्षेत्र को बचाए जाने हेतु नदी के किनारे पक्के तटबन्ध बनाए जाने का कार्य आगामी बरसात से पूर्व कराया जाना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य-

जी हाँ।

जनपद नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के रामनगर, काशीपुर एवं जसपुर विकास खण्डों ढेला एवं फीका नदियों की बाढ़ से सुरक्षा एवं भू-कटाव रोकने की एक संकलित योजना लागत ₹ 8090.00 लाख की तैयार कर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना को दिनांक 09-01-2014 को भारत सरकार से केन्द्रपोषित योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है। योजना पर अनुमोदन/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचित विधायकों पर पुलिस–प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज करने से पूर्व मा0 मुख्यमंत्री/मा0 अध्यक्ष से अनुमति लेने का कानून बनाए जाने पर विचार

36–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार निर्वाचित विधायकों पर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज किए जाने से पूर्व पुलिस/प्रशासन द्वारा माननीय अध्यक्ष विधान सभा/मा0 मुख्यमंत्री से स्वीकृति लिए जाने की बाध्यता पर कानून लाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रनसाली नामक गांव को राजस्व ग्राम बनाने पर विचार

37–श्री प्रेम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रनसाली नामक गांव को राजस्व गांव बनाने पर सरकार कोई विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं।

ग्राम रनसाली की भूमि वन क्षेत्र के अधीन है तथा इस भूमि पर मालिकाना हक के लिए मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित है तथा याचिका के अन्तिम निस्तारण तक इस विषय पर कार्रवाई सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

खटीमा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बग्गा चव्वन को राजस्व ग्राम बनाए जाने पर विचार

38–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत बग्गा चव्वन को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक घोषणा की जाएगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बग्गा चय्यन क्षेत्र की भूमि वन विभाग के स्वामित्व में व नियंत्रणाधीन है।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भारत सरकार से वन भूमि की सड़कों के निर्माण सम्बन्धी अनुमति

39–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भारत सरकार से वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त न होने पाने के कारण वर्षों से स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार शीघ्र वन भूमि की स्वीकृति हेतु कोई नियमावली या दिशा–निर्देश जारी करेगी ?

यदि हाँ, तो क्या और कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर 1625 मोटर मार्गों के निर्माण हेतु 6269.4543 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन के औपचारिक आदेश राज्य सरकार द्वारा निर्गत किए जा चुके हैं।

राज्य अन्तर्गत 288 प्रकरण वर्तमान में राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से 175 प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन किए जाने हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सियों को लिखा गया है।

113 प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कतिपय कमियों/संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार को वापस किए गए थे। उक्त प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सियों को उक्तानुसार निर्देशित कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 2014 एवं दिनांक 15-08-2014 से वन भूमि हस्तान्तरण हेतु ऑन लाइन (On Line) प्रक्रिया लागू करने हेतु भारत सरकार से निर्देश जारी हो चुके हैं। वन भूमि प्रत्यावर्तन/हस्तान्तरण प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाई एवं अनुश्रवण हेतु प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में नई तहसील का सृजन

40-श्री प्रेम सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नानकमत्ता क्षेत्र में नई तहसील बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य-

नानकमत्ता में तहसील सृजन के औचित्य निर्धारण हेतु परीक्षण किया जा रहा है।

परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नए राजस्व गांवों के गठन पर विचार

41-श्री महावीर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड सरकार प्रदेश में नए राजस्व गांवों के गठन पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक गांव गठित किए जाएंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य-

जी हाँ। शासन स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णयोपरान्त वर्तमान वर्ष में अब तक 05 नए राजस्व ग्रामों का सृजन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय पालीटेक्निक लोहाघाट (चम्पावत) में प्रवक्ताओं एवं अन्य स्टाफ के रिक्त पदों पर नियुक्ति

42-श्री पूरन सिंह फर्त्याल-

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय पॉलीटेक्निक लोहाघाट (चम्पावत) में प्रवक्ताओं एवं अन्य स्टाफ के पद लम्बे समय से रिक्त हैं तथा स्टाफ की कमी के कारण संस्थान में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

राजकीय पॉलीटेक्निक, लोहाघाट, जनपद चम्पावत में विभिन्न व्यवसायों के 16 प्रवक्ता एवं 06 कर्मशाला अनुदेशक के पद रिक्त हैं। पठन–पाठन को सुचारु किए जाने के लिए प्रत्येक शिक्षण सत्र हेतु आवश्यकतानुसार संविदा व्याख्याता एवं संविदा अनुदेशक तैनात किए जाते हैं।

सरकार द्वारा विभिन्न व्यवसायों के व्याख्याता के 212 पदों को भरे जाने का अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया था। लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की कार्रवाई सम्पन्न कर ली गयी है। लोक सेवा आयोग से चयनित विभिन्न व्यवसायों के व्याख्याताओं को राजकीय पॉलीटेक्निक, लोहाघाट में रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार तैनात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा कर्मशाला अनुदेशक के पदों के चयन की कार्रवाई भी सम्पन्न कर ली गयी है। संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त कर्मशाला अनुदेशकों की भी आवश्यकतानुसार संस्थान में तैनाती की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

43–श्री नवप्रभात–

प्रथम शुक्रवार के अतारां०–23 में स्थाना०।

बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की अंतिम स्वीकृति न मिलने का कारण

44–श्री चन्दन राम दास–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र में कितनी सड़कों को स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त सड़कों को एन०पी०वी० जमा होने के बाद भी लम्बे समय से अन्तिम स्वीकृति नहीं मिलने का क्या कारण है ?

क्या सरकार अन्तिम स्वीकृति के लिए विशेष प्रबन्ध समयबद्ध तरीके से करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् विधान सभा क्षेत्र जनपद बागेश्वर में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर 113 मोटर मार्गों

के निर्माण हेतु 430.9723 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन के औपचारिक आदेश राज्य सरकार द्वारा निर्गत किए जा चुके हैं।

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त 24 प्रकरणों में वन अधिकार अधिनियम, 2006 मलबा निस्तारण योजना व क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि का वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन आदि शर्तों के अनुपालन की कार्रवाई लम्बित होने के कारण अन्तिम स्वीकृति निर्गत नहीं हो सकी है।

वन भूमि प्रत्यावर्तन/हस्तान्तरण प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई एवं अनुश्रवण हेतु प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। जो 15 दिन में एक बार समीक्षा बैठक करेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता में स्टेडियम बनवाए जाने के प्रस्ताव पर विचार

45—श्री प्रेम सिंह—

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता में स्टेडियम बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में स्टेडियम बनाने का कोई प्रस्ताव खेल विभाग में विचाराधीन नहीं है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता में पॉलीटेक्निक कॉलेज बनाने पर सरकार का विचार

46—श्री प्रेम सिंह—

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नानकमत्ता में पॉलीटेक्निक कॉलेज बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नानकमत्ता में पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड पुलिस जवानों को वर्दी एवं पहचान पत्र वितरण

47–श्री गणेश जोशी–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड पुलिस के जवानों को सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार उनके पोशाकों का वितरण प्रतिवर्ष किया जाता है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पुलिस विभाग में वर्ष 2009 के बाद से कितने पुलिसकर्मियों को विभागीय पहचान पत्र वितरित किए गए हैं ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार पुलिसकर्मियों को उनकी पोशाक एवं विभागीय पहचान पत्र वितरित किए जाने पर कोई विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ। जवानों को अनुमन्यता अवधि के अनुसार पोशाक एवं अन्य सामग्री का वितरण किया जाता है।

वर्ष 2009 के बाद कुल 250 पुलिस कर्मियों को विभागीय पहचान पत्र वितरित कर दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

विधायक निधि से सम्पर्क मार्ग निर्माण या अन्य कोई विकास कार्य किए जाने पर निर्धारित रायल्टी अथवा रायल्टी में छूट का प्रावधान

48–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि विधायक निधि से कराए जाने वाले कार्यों जैसे सम्पर्क मार्ग निर्माण या अन्य कोई भी विकास कार्य किए जाते हैं, पर सरकार द्वारा रायल्टी ली जाती है ?

यदि हाँ, तो उसे किस आधार पर लिया जाता है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या विधायक निधि के कार्य पर इसे रायल्टी से मुक्त करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 तथा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2013 के संगत प्राविधानों के अनुसार।

कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

रायल्टी मुक्त करने का कोई आधार नहीं है।

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजनांअतर्गत स्टेडियम/क्रीड़ा स्थलों का निर्माण

49–श्रीमती अमृता रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत स्टेडियम/क्रीड़ा स्थलों का निर्माण करवाए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक दिनांक 22–10–2012 के पत्र के उत्तर में दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 के पत्र द्वारा सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को आवश्यक निर्देश दिए जाने की जानकारी दी गयी है ?

यदि हाँ, तो सचिव ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की गई कार्यवाई और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि सचिव ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सन्दर्भित प्रकरण पर की गई कार्यवाई की जानकारी उपलब्ध न कराए जाने के कारण क्या हैं ? और निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के प्रति की जा रही इस उपेक्षा के प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

तत्समय महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत मिनी स्टेडियमों/क्रीड़ा स्थलों के निर्माण का प्राविधान न होने के कारण शासन के पत्र दिनांक 09 नवम्बर, 2012 द्वारा भारत सरकार से योजना अन्तर्गत खेल के मैदान/मिनी स्टेडियम को अनुमन्य कार्यों की सूची में सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उपधारा (1) से खेल के मैदान निर्माण को अनुसूची–1 में सम्मिलित कर

दिया गया है, जिसके फलस्वरूप अब तक कुल 14 खेल मैदानों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा 104 खेल मैदानों का निर्माण प्रगति पर है।

प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर आवश्यक कार्रवाई कर दी गयी है। निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत सीमड़ी गदेरे से ग्राम काण्डा मल्ला-बीरखाला तीलू रौतेला स्मारक तक सर्वेक्षण अनुसार सड़क का निर्माण

50-श्रीमती अमृता रावत-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सीमड़ी गदेरे से ग्राम काण्डा, मल्ला-बीरखाला तीलू रौतेली स्मारक तक सर्वेक्षण के अनुसार मार्ग का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक-1121/मंत्री/6-निर्माण/2013-14 दिनांक 19 मार्च, 2014 का प्रत्यावेदन मुख्य अभियन्ता उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण देहरादून को कब प्राप्त हुआ है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि प्रत्यावेदन में वर्णित तथ्य क्या-क्या हैं ? तथा इन तथ्यों पर की गयी कार्रवाई और हुई प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है ? तथा कब तक प्रस्तावित मार्ग का निर्माण सर्वेक्षण के अनुसार किया जाएगा तथा पत्र पर की गई कार्रवाई की जानकारी अभी तक प्रश्नकर्ता को न दिए जाने के कारण क्या हैं तथा इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्री प्रीतम सिंह-

दिनांक 22-05-2014 को।

प्रत्यावेदन में वर्णित तथ्य मार्ग के समरेखण में आ रही वन भूमि हस्तान्तरण प्राप्त करने के सम्बन्ध में है। वर्तमान में वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव पी0एम0जी0एस0वाई0 के द्वारा वन विभाग को प्रेषित किया गया है, जिस पर वन विभाग द्वारा परीक्षण की कार्रवाई की जा रही है।

वन क्षेत्र में मार्ग का निर्माण वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति के उपरान्त किया जाएगा। प्रश्नकर्ता के प्रत्यावेदन पर पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई कर दी गयी है, तथा विलम्ब/लापरवाही के लिए सम्बन्धित सहायक उत्तरदायी है।

मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल द्वारा विधायक निधि से स्वीकृत योजनाओं के निर्माण के पश्चात् अवशेष धनराशि की जानकारी

51-श्रीमती अमृता रावत-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 1004/विधायक/विधायक निधि/2014-15 दिनांक 05 जून 2014 के द्वारा मुख्य विकास

अधिकारी नैनीताल द्वारा विधायक निधि से स्वीकृत योजनाओं के निर्माण के पश्चात् अवशेष धनराशि की जानकारी यथाशीघ्र करवाने का अनुरोध किया गया है ताकि अवशेष धनराशि के अन्तर्गत अन्य योजनाओं की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जा सके ?

यदि हाँ, तो वांछित जानकारी प्रश्नकर्ता को कब उपलब्ध करवाई गई है तथा प्रश्नकर्ता की विधायक निधि के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि अवशेष है ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

वांछित जानकारी दिनांक 01–07–2014 एवं दिनांक 27–08–2014 के पत्र के द्वारा उपलब्ध कराई गई है तथा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की अब तक कुल 22.93 लाख की धनराशि अवशेष है।

मसूरी में मिलाडू खेल मैदान को राजकीय स्टेडियम बनाए जाने के प्रस्ताव पर विचार

52–श्री गणेश जोशी–

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि मसूरी में अवस्थित मिलाडू खेल मैदान को राजकीय स्टेडियम बनाए जाने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त खेल मैदान के विस्तारीकरण के लिए कोई योजना बनाए जाने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हाँ।

नगर पालिका परिषद्, मसूरी द्वारा उक्त खेल मैदान की भूमि खेल विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण के पश्चात् ही उक्त स्थल पर राजकीय स्टेडियम बनाए जाने पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तराखण्ड राज्य गठन हेतु खटीमा के आन्दोलनकारियों की स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण

53–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य गठन हेतु खटीमा विधान सभा क्षेत्र के सर्वाधिक शहीद हुए आन्दोलनकारियों की स्मृति में खटीमा में स्मारक बनाए जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

थाना खटीमा क्षेत्र के कस्बा खटीमा में मेलाघाट रोड संजय पार्क के पास उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में शहीद व्यक्तियों के नाम से शहीद पार्क बना है, जिसमें 01 सितम्बर, 1994 को उत्तराखण्ड आन्दोलन में खटीमा में शहीद/लापता व्यक्तियों की सूची स्मृति पटल पर अंकित है। इसके अतिरिक्त खटीमा विधान सभा क्षेत्र में शहीद आन्दोलनकारियों की स्मृति में स्मारक बनाए जाने का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत खटीमा के सम्पूर्ण आन्दोलनकारियों का पूर्ण एवं अन्तिम चिन्हीकरण किया जाना

54–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सम्पूर्ण खटीमा आन्दोलनकारी क्षेत्र होने के कारण इन आन्दोलनकारियों का पूर्ण एवं अन्तिम चिन्हीकरण किया जाएगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

गृह अनुभाग के शासनादेश संख्या 777/XX(4)/25 उ0आ0/2006–08, दिनांक 22–10–2008 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी को चिन्हित कर पहचान पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में प्राविधान किया गया है। इस शासनादेश में राज्य के चिन्हीकरण हेतु शासकीय अभिलेखों के आधार पर समुचित पुष्टि करने के उपरान्त समस्त जिलाधिकारियों एवं उनके द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार चिन्हित आन्दोलनकारियों को पहचान पत्र निर्गत किए जाने का प्राविधान किया गया है। शासनादेश संख्या 886/बीस–4/2014–3(26)/2006 टी0सी0–II, दिनांक 26–06–2014 द्वारा राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण के प्रकरणों के निस्तारण की अन्तिम तिथि 30–08–2014 निर्धारित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

55—श्री नवप्रभात—

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

देहरादून में आई0टी0 पार्क के निकट नव निर्मित राजीव गांधी क्रीड़ा मैदान के विस्तार एवं सुधारीकरण की घोषणा के सम्बन्ध में

56—श्री गणेश जोशी—

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि दिनांक 20 जुलाई, 2012 का राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम के नवनिर्मित भवन के शुभारम्भ के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा आई0टी0 पार्क के निकट नवनिर्मित राजीव गांधी क्रीड़ा मैदान के विस्तार एवं सुधारीकरण की घोषणा की गई थी ?

यदि हाँ, तो क्या खेल मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा को ध्यान में रखते हुए कार्य शुरू कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो कितना कार्य हो चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खेल विभाग के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोटद्वार तहसील के अन्तर्गत पट्टी मोटाढाक के ग्राम सतीचौड़ में राजस्व भूमि व केसर हिन्द भूमि की स्थिति तथा अवैध कब्जाधारियों को हटाने पर विचार

57—श्री दलीप सिंह रावत—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला पौड़ी—गढ़वाल के कोटद्वार तहसील के अन्तर्गत पट्टी मोटाढाक के ग्राम सतीचौड़ में राजस्व भूमि एवं केसर हिन्द भूमि की स्थिति क्या है ?

क्या विभाग द्वारा उक्त भूमि में अवैध कब्जाधारियों को हटाया जाएगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य—

ग्राम सतीचौड़, पट्टी मोटाढाक में राज्य की केसरहिन्द भूमि के अन्तर्गत श्रेणी—4 अवैध अध्यासियों के कब्जे की 0.850 है0 भूमि श्रेणी—5(1), कृषि योग्य बंजर भूमि 0.141 है0, श्रेणी—6(1) अकृषक भूमि जलमग्न 12.598 है0 तथा श्रेणी—6(2) सड़क आदि की भूमि 2.028 है0 दर्ज अभिलेख है।

जी हाँ।

उत्तराखण्ड सार्वजनिक भू-गृहादी (अनाधिकृत अध्यासी की बेदखली) अधिनियम की धारा 4/5 के तहत चालानी कार्रवाई की गयी है। विधि सम्मत प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नए विकास खण्ड सृजन की नीति तथा विकास खण्ड के कार्मिकों एवं कार्यालय संचालन का वहन

58-श्री नवप्रभात-

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नए विकास खण्ड सृजित करने की क्या नीति है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं कार्यालय संचालन का खर्च किसके द्वारा वहन किया जाता है ?

श्री प्रीतम सिंह-

उत्तराखण्ड राज्य में फिलहाल कोई नीति निर्धारित नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा।

59-श्री नवप्रभात-

विस्तीर्णता एवं विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के आधार पर निरस्त।

सल्ट विधान सभा क्षेत्र के मछोड़ में उप-तहसील की स्वीकृति तथा क्षेत्रीय जनता को उक्त तहसील का लाभ

60-श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा में सल्ट के विधान सभा क्षेत्र में मछोड़ नामक स्थान पर उप-तहसील की स्वीकृति फरवरी, 2014 में प्रदान कर दी गई है ?

यदि हाँ, तो क्या उप-तहसील प्रभावी होकर उसका लाभ क्षेत्रीय जनता को प्राप्त हो रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य-

जी हाँ।

शासन की अधिसूचना संख्या 443/XVIII(1)/2014-02(5)/2009 दिनांक 24-09-2014 द्वारा जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उप-तहसील मछोड़ का सृजन किया गया है।

उप तहसील के लिए पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है। पद सृजित होने के उपरान्त उप-तहसील को संचालित करने की कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

अल्मोड़ा जिले के सल्ट तहसील का नाम परिवर्तित कर सल्ट खुमाड़ करने पर विचार

61-श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा की सल्ट तहसील का नाम शहीदों की शहादत को अमर रखने हेतु सल्ट खुमाड़ करने की स्वीकृति फरवरी, 2014 को प्राप्त हो चुकी है ?

यदि हाँ, तो सल्ट तहसील का नाम सल्ट खुमाड़ किया जा चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य-

जी हाँ, भारत सरकार के निर्देशों के उपरान्त शासन की अधिसूचना संख्या 248/XVIII(1)/2014-08(3)/2013 दिनांक 21-02-2014 द्वारा जनपद अल्मोड़ा की तहसील सल्ट का नाम परिवर्तित कर सल्ट खुमाड़ किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बीच कैम्पिंग पॉलिसी तथा चिन्हित किए गए क्षेत्र

62-श्री नवप्रभात-

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में "बीच कैम्पिंग पॉलिसी" मंजूर की गई है ?

यदि हाँ, तो कौन-कौन से क्षेत्र इसके लिए चिन्हित किए गए हैं ?

क्या वन्य जीव अभ्यारण्यों की 02 कि0मी0 की परिधि पर लागू किए गए नियम बीच कैम्प पर भी लागू होंगे ?

श्री दिनेश अग्रवाल-

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा कोई बीच कैम्पिंग पॉलिसी प्रख्यापित नहीं की गयी है तथापि प्रदेश के बीच उसकी अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा है, इनके सदुपयोग को बढ़ावा देने की प्रदेश की नीति रही है।

शासनादेश संख्या 7077/14-02-99-944/88 दिनांक 25-06-1999 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन भागीरथी वृत्त के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर वन प्रभाग में कौड़ियाला से मुनिकीरेती के मध्य नदी के दाएं तट पर स्थित वन भूमि में बीच कैम्प आवंटित किए जाते हैं। वर्ष 2013-14 में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त द्वारा 34 राफ्टिंग कम्पनियों को बीच कैम्प आवंटित किए गए हैं।

जी हाँ।

63-श्री नवप्रभात-

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

प्रदेश की लघु सिंचाई योजनाओं में निवेश का विवरण

64-श्री नव प्रभात-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की 20349 लघु सिंचाई योजनाओं पर कुल कितना धन निवेश किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि इन योजनाओं से प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है तथा योजनाओं का जनपद वार विवरण क्या है ?

श्री प्रीतम सिंह-

प्रदेश की 20349 लघु सिंचाई योजनाओं पर कुल ` 134450.13 लाख की धनराशि का निवेश किया गया है।

इन योजनाओं से कुल 149404.60 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है, जनपद वार विवरण संलग्न है।†

सल्ट विधान सभा क्षेत्र में पालपुर गांव की सिंचाई नहर को चालू करने पर विचार

65-श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में पालपुर गांव की सिंचाई नहर 02 वर्ष से बन्द पड़ी है और क्षेत्रवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी पिछले दो वर्षों में इस नहर पर विभाग द्वारा किए गए व्यय का विवरण देते हुए इसे शीघ्र प्रारम्भ कराएंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य-

जी हाँ।

---

† (देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 231 पर)

पालपुर सहायक गूल पर वर्ष 2012–13 में ` 2.11 लाख एवं वर्ष 2013–14 में ` 0.56 लाख (अनुरक्षण मद) तथा ` 14.30 लाख दैवीय आपदा मद में व्यय हुआ है। माह अगस्त, 2014 में नहर चलाई गयी, परन्तु माह अगस्त, 2014 में ही अत्यधिक वर्षा के कारण पुनः उक्त नहर का हैडबन्ध पूर्णतः बह गया तथा बाढ़ से हेड भाग के पास नदी का तल काफी गहरा हो गया, जिसके कारण नहर नहीं चलाई जा सकी। वर्तमान में नहर को शीघ्र चालू करवाने की कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में वाटर रेगुलेटर आयोग का गठन तथा आयोग का कार्यक्षेत्र

66–श्री नव प्रभात–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में "वॉटर रेगुलेटर आयोग" के गठन का निर्णय लिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी इस आयोग के अधिकार/कार्यक्षेत्र की जानकारी प्रदान करेंगे ?

यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इस विषय में सरकार की नीति की जानकारी देंगे ?

श्री यशपाल आर्य–

राज्य में उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 24 वर्ष 2013) की अधिसूचना दिनांक 05–04–2013 को प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में मनरेगा का बजट तथा कार्ड धारकों को समय पर भुगतान

67–श्री महावीर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत जिलावार बजट कितना है ?

क्या मनरेगा के कार्ड धारकों को समय पर भुगतान किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्रवाई कर रही है ?

श्री प्रीतम सिंह–

मनरेगा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपदवार बजट निम्नानुसार है :–

(धनराशि लाख ` में)

क्र0सं0	जनपद	वर्ष 2014–15 में जनपदों के पास कुल उपलब्ध धनराशि
1.	अल्मोड़ा	874.56
2.	बागेश्वर	733.90
3.	चमोली	4854.94
4.	चम्पावत	957.52
5.	देहरादून	915.87
6.	हरिद्वार	1285.03
7.	नैनीताल	701.18
8.	पौड़ी	2332.50
9.	पिथौरागढ़	1861.57
10.	रूद्रप्रयाग	891.79
11.	टिहरी	2822.76
12.	ऊधमसिंह नगर	847.43
13.	उत्तरकाशी	1258.57
	कुल योग	20337.62

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

राजाजी और सोना नदी वाइल्ड लाइफ की तरह कार्बेट रिजर्व में झिरना तथा ढेला रेंज के 140 परिवारों के विस्थापन पर कार्रवाई

68–श्रीमती अमृता रावत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजाजी और सोना नदी वाइल्ड लाइफ के विस्थापन की तरह कार्बेट रिजर्व के झिरना तथा ढेला रेंज में रह रहे 140 परिवारों को विस्थापित किए जाने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री को लिखे गए प्रश्नकर्ता के दिनांक 12–09–2013 के पत्र में वर्णित तथ्यों पर की गयी कार्रवाई और अब तक हुयी प्रगति का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि कब तक उक्त 140 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

राजा जी राष्ट्रीय उद्यान तथा सोना नदी वन्य जीव विहार के गूर्जरों के विस्थापन की तरह कार्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला एवं झिरना रेंज में रह रहे 140 परिवारों के विस्थापन हेतु दि0 14 मार्च, 2014 द्वारा विभाग से सुस्पष्ट प्रस्ताव मांगा गया है।

यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पौड़ी–गढ़वाल के कालागढ़ वनप्रभार के अन्तर्गत ग्रामों को वन्यजीवों द्वारा की गयी हानि का मुआवजा

69–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी–गढ़वाल के कालागढ़ वन प्रभार के अन्तर्गत विगत 05 वर्षों में (2010–2014) किन–किन ग्रामों को वन्य जीवों द्वारा की गयी हानि पर मुआवजा दिया गया ?

मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या पूर्व में लाभान्वित कुछ ग्रामों को उक्त मुआवजे से वंचित कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

कालागढ़ टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत विगत 05 वर्षों में संलग्न सूची के कुल 103 ग्रामों के ग्रामीणों को वन्य जीवों द्वारा की गयी हानि के फलस्वरूप निर्धारित दरों पर मुआवजे का भुगतान किया गया।†

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी–गढ़वाल में विकास खण्ड नैनीडांडा, रिखणीखाल तथा जयहरीखाल की सड़कों का प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण

70–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी–गढ़वाल के लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नैनीडांडा रिखणीखाल और जयहरीखाल विकास खण्डों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत 2013–14 में कितनी सड़कें निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि उक्त विकास खण्डों में इस योजना के अन्तर्गत कुछ सड़कों में कार्य किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो उनका पूर्ण विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

10 सड़कें।

जी हाँ।

---

† (देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 232 पर)

वर्तमान में निम्न 08 मोटर मार्गों में कार्य गतिमान हैः-

(धनराशि लाख ` में)

क्र0	मार्ग का नाम	स्वीकृत धनराशि
1.	सिमलसैंड बड़ियार मोटर रोड	444.90
2.	पारकोट कलवाडी मोटर रोड	446.58
3.	जलाऊखाँद-कोचियार मोटर मार्ग	174.13
4.	कन्डलसेरा-द्वारी क्वीराली वल्ली मोटर रोड	559.92
5.	किल्बोखाल टकालीखाल मोटर रोड	581.33
6.	खीमाखेत रैबा मोटर रोड	360.40
7.	लवाढ से बन्दूण मोटर मार्ग	452.10
8.	किल्बोखाल टकोलीखाल ब्रिज	110.52

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वनों की आग बुझाने में दैनिक श्रमिकों की मृत्यु उपरान्त आश्रितों को सेवायोजित न करने का कारण

71-श्री दलीप सिंह रावत-

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वनों की आग बुझाने में मृत्यु को प्राप्त दैनिक वेतन कर्मियों के आश्रितों को विभाग में नियुक्ति देने का प्रावधान है ?

यदि हाँ, तो सन् 2009 में लैंसडौन वन प्रभाग के अन्तर्गत लैंसडौन रेंज के सिलोगी क्षेत्र में आग बुझाते हुए दैनिक वेतन कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति न देने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल-

उत्तर-प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 जो कि उत्तराखण्ड में प्रख्यापित है, दैनिक श्रमिकों पर लागू नहीं है, जिसके अनुसार दैनिक श्रमिकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को विभाग में नियुक्ति देने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

72–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

प्रथम शुक्रवार के अतारांकित–24 में स्थानान्तरित।

राज्य में माध्यमिक एवं बेसिक स्तर के विद्यालयों में वार्षिक खेल आयोजन हेतु धन का आवंटन

73–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में माध्यमिक एवं बेसिक स्तर के विद्यालयों में वार्षिक खेल आयोजन हेतु विभाग द्वारा धन आवंटित किया जाता है ?

यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

क्या उक्त आवंटित धन आयोजन हेतु पर्याप्त है ?

यदि नहीं, तो क्या विभाग इस धनराशि को बढ़ाने हेतु विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के माध्यमिक एवं बेसिक स्तर के विद्यालयों को वार्षिक खेल आयोजन हेतु धन आवंटन की कोई योजना खेल विभाग के अन्तर्गत संचालित नहीं है।

कार्बेट नेशनल पार्क के अन्तर्गत टाइगर कन्जर्वेशन फाउण्डेशन की संरचना तथा जन प्रतिनिधियों की सहभागिता

74–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कार्बेट नेशनल पार्क के अन्तर्गत गठित टाइगर कन्जर्वेशन फाउण्डेशन का ढांचा क्या है तथा उक्त का पूर्ण विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि उक्त टाइगर फाउण्डेशन में स्थानीय जन प्रतिनिधि का स्थान है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

कार्बेट टाइगर कन्जर्वेशन फाउन्डेशन, उत्तराखण्ड के शासी निकाय का गठन निम्न प्रकार है :–

1.	वन एवं वन्य जन्तु पर्यावरण मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार	– अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं वन्य जन्तु पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन	– उपाध्यक्ष
3.	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून	– सदस्य
4.	निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर	– सदस्य
5.	उप निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर	– सदस्य
6.	सम्बन्धित क्षेत्र के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अथवा फील्ड में दक्षता प्राप्त विशेषज्ञ (सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे)	– सदस्य
7.	विधान सभा के सदस्य जो राज्य विधान सभा में सम्बन्धित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हों	– सदस्य
8.	जिला पंचायत के प्रतिनिधि जो कि कार्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हों	– सदस्य
9.	फाउण्डेशन की कार्यकारी समिति के दो सदस्य (निदेशक/उप निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व के अलावा)	– सदस्य
10.	प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड	– सदस्य सचिव

जी हाँ।

उपरोक्त तालिका के क्रमांक 7 एवं 8 के अनुसार फाउण्डेशन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को स्थान दिया गया है। जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र रामनगर तथा सदस्य जिला पंचायत, रामनगर क्षेत्र को सदस्य के रूप में स्थान दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

75–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

प्रथम शुक्रवार के अता0 25 में स्थानान्तरित।

विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण

76–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कें स्वीकृत हैं, जिनका अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है ?

तथा कितनी सड़कें ऐसी हैं जो वन भूमि के कारण लम्बित पड़ी हैं ?

क्या सरकार स्वीकृत तथा लम्बित सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

मात्र एक सड़क।

मात्र एक सड़क।

जी हाँ।

वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति के पश्चात्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौढ़ी–गढ़वाल के अन्तर्गत बढ़खेत पॉलिटेक्निक कॉलेज (रिखणीखाल) का वर्ष 2014–15 में सत्रारम्भ किया जाना

77–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी–गढ़वाल के अन्तर्गत स्वीकृत बढ़खेत पॉलिटेक्निक कॉलेज (रिखणीखाल) इस वर्ष 2014–15 के सत्र में प्रारम्भ किया जाएगा ?

यदि हाँ, तो कितने शिक्षकों की नियुक्ति उक्त पॉलिटेक्निक कॉलेज में कर दी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, बढ़खेत, जनपद पौढ़ी–गढ़वाल की स्थापना हेतु दिनांक 15–01–2014 को शासन द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। संस्थान के संचालन हेतु किराए के भवन या अन्य कोई रिक्त सरकारी भवन की उपलब्धता न होने के कारण शैक्षिक सत्र 2014–15 से संचालित/प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चार नए जनपदों के सृजन की अद्यतन स्थिति

78–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में चार नए जनपदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें काफी कार्य भी किए गए थे और शासनादेश भी जारी हो गया था ?

यदि हाँ, तो उपरोक्त जिलों के सृजन की अद्यतन स्थिति क्या है ?

क्या सरकार शीघ्र कार्रवाई करते हुए चारों जनपदों के सृजन का कार्य करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

शासनादेश संख्या–1553/XVIII(1)/2011–09(2)/2011 दिनांक 08–12–2011 द्वारा राज्य में 04 नए जनपदों के गठन की प्राथमिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात् जनपद मुख्यालयों एवं सीमाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में विवाद के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 08–12–2011 को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–590/XVIII(1)/2012–02(09)/2011 दिनांक 17–05–2012 द्वारा अतिक्रमित करते हुए जनपदों के पुनर्गठन हेतु जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है।

अध्यक्ष राजस्व परिषद् की अध्यता में गठित 04 सदस्यीय जिला पुनर्गठन आयोग द्वारा संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरान्त इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जाएगी। जिला पुनर्गठन आयोग की दिनांक 23–01–2013 को बैठक आयोजित की गयी, जिसमें कि आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में जनपद सृजन हेतु मापदण्डों के निर्धारण हेतु समिति गठित की गयी है, तथा उक्त समिति जिला पुनर्गठन आयोग को अपनी संस्तुति प्रदान करेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागेश्वर नगर के सरयू नदी पर नुमाईश खेत की तरफ घाटों के सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि आवंटन

79–श्री चन्दन राम दास–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर नगर के सरयू नदी पर नुमाईं खेत की तरफ घाटों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

सरयू नदी पर नुमाइश खेत की तरफ घाट निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार पर्याप्त स्थल उपलब्ध नहीं है, परन्तु नुमाइश खेत की ओर घाटों के सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण की योजना का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। उपादेय होने पर योजना गठित की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागेश्वर के खाँकर एवं उडेरखानी में सिचाई विभाग के नलकूप डिवीजन से सिचाई हेतु बोरिंग योजना तथा लागत

80–श्री चन्दन राम दास–

क्या सिचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के खाँकर एवं उडेरखानी में सिचाई विभाग के नलकूप डिवीजन से बोरिंग योजना स्वीकृत है ? यदि हाँ, तो दोनों योजनाओं की कितनी लागत क्या है तथा योजना कितने ग्रामों को सिंचित करेगी ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि इसके पूर्ण होने में कितना समय लग जाएगा तथा योजना का काम बन्द होने के क्या कारण हैं ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद बागेश्वर के खाँकर एवं दाडोछीना में नलकूप निर्माण की योजना स्वीकृत है, जिसकी लागत ₹ 169.76 लाख है। खाँकर नलकूप योजना छानी एवं खाँकर ग्रामों को तथा दाडोछीना नलकूप योजना उडेरीखानी एवं भटखोला ग्रामों को सिंचित करेगी।

उक्त दोनों योजनाओं पर वर्तमान में कार्य प्रगति पर है तथा इसे मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जनपद चम्पावत की नगर पालिका लोहाघाट के अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से गिरे देवदार के वृक्षों की नीलामी

81–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत की नगर पालिका लोहाघाट द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध रूप से प्राकृतिक रूप से गिरे देवदार के वृक्षों को काटकर नीलामी की गयी है ?

यदि हाँ, तो वन विभाग द्वारा सम्बन्धित के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हाँ।

तत्कालीन अधिशासी अधिकारी/तहसीलदार श्री अनिल कुमार शुक्ला के विरुद्ध भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा वन अपराध संख्या–07/लोहाघाट/2014–15 पंजिकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति एवं सत्रारम्भ की स्थिति

82–श्री चन्दन राम दास–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर में इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृति की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है ?

यदि हाँ, तो घोषणा के आधार पर शासनादेश जारी हो गया है ?

यदि हो गया तो कब तक इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारम्भ होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

जी नहीं।

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय को औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों का विधान सभा वार विवरण सदन के पटल पर रखा जाना

83–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों का विधान सभा वार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि हाँ, तो इनमें से कितनी सीटों के सापेक्ष कितने छात्रों ने प्रवेश लिया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि सरकार रिक्त सीटों पर प्रवेश से वंचित रह गए छात्रों को अवसर प्रदान करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों का विधान सभा वार विवरण (विधान सभा का नाम, संस्थान का नाम, स्वीकृत सीटें, भरी सीटें एवं रिक्त सीटों के विवरण सहित) परिशिष्ट–1 पर अवलोकनीय है।†

---

† (देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ संख्या 233–235 पर)

पॉलिटैक्निक संस्थानों में प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जाते हैं। छात्रों को प्रवेश हेतु अवसर दिए जाने के लिए तीन बार काउंसिलिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। अन्तिम काउंसिलिंग के उपरान्त रिक्त रह गयी सीटों को भरे जाने का प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

सहसपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शंकरपुर में कृषि सिंचाई नलकूप का पुनर्निर्माण

84–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के सहसपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शंकरपुर में कृषि सिंचाई नलकूप लगभग 3 वर्ष पूर्व खराब हो चुका था, जिस कारण कृषि भूमि बंजर हो चुकी है और किसानों के आगे आजीविका का संकट गहराता जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा सिंचाई नलकूप लगाना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

प्रश्नगत स्थान पर स्थापित नलकूप सं0 83 डी0डी0 का निर्माण वर्ष 1966 में किया गया था, जो लगभग 46 वर्ष संचालित रहकर, असफल हो गया है।

उक्त नलकूप का पुनर्निर्माण नाबार्ड के अन्तर्गत प्रस्तावित है। नवीन दरों पर प्राक्कलन गठित करने की कार्यवाई गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गौहरीमाफी में बाढ़ सुरक्षा योजना कार्य को पुनः आरम्भ कराने हेतु उठाए गए कदम

85–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या बाढ़ नियंत्रण मंत्री अवगत हैं कि ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गौहरीमाफी में लगभग ₹ 5.96 करोड़ की लागत का कार्य बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से स्वीकृत हुआ था, जिसे कार्य प्रारम्भ करने के बाद रोक दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्यों ?

सरकार कार्य पुनः आरम्भ करवाने के समाधान हेतु क्या कदम उठा रही है ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

एन0जी0ओ0 (सेफ) द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में एक रिट याचिका योजित की गयी है, जिसके क्रम में ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा निर्माणाधीन कार्यों पर रोक लगाई गई है।

कार्य पुनः प्रारम्भ करने हेतु मा0 ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित रिट याचिका की प्रभावी पैरवी की जा रही है।

जनपद हरिद्वार के लक्सर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सोलानी नदी की सिल्ट साफ कराने हेतु योजना

87–श्री संजय गुप्ता–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत सोलानी नदी में 15–20 वर्ष से सिल्ट साफ नहीं हुई, जिसके कारण नदी का स्तर ऊंचा होने से पानी खेतों व गांवों में घुस जाता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में सोलानी नदी में सिल्ट साफ करने हेतु कोई योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत सोलानी नदी का बैड विगत वर्षों में सामान्यतः ऊंचा हुआ है, जिससे क्षेत्र में जलभराव की समस्या पैदा हुई है।

जी हाँ।

जनपद हरिद्वार में विकास खण्ड लक्सर के अन्तर्गत सोलानी नदी के बांए किनारे पर बाढ़ नियंत्रण कार्यों के निर्माण हेतु धनराशि ` 2260.57 लाख की योजना बनाई गयी है, जिस पर वित्तीय स्वीकृति एवं धनावंटन प्राप्त हो चुका है। बाढ़ सुरक्षा से सम्बन्धित यह कार्य वर्तमान में गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला हरिद्वार के विकास खण्ड लक्सर के अन्तर्गत ग्राम बसेड़ी खाद्दर के ग्राम प्रधान पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच

88–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार के ग्राम बसेड़ी खाद्दर, वि0ख0 लक्सर के वर्ष 1995 से 2000 तक निर्वाचित ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत में कितनी वित्तीय अनियमितताएं की गयी हैं ?

उक्त अवधि में ग्राम प्रधान पर जांचोपरान्त कितनी धनराशि की आर0सी0 जारी की गयी थी ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि जारी आर0सी0 की धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा जमा करा दी गयी है ?

यदि हाँ, तो सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जिला हरिद्वार के ग्राम बसेड़ी खाद्दर, वि0ख0 लक्सर के वर्ष 1995–2000 तक किए गए कार्यों की शिकायत की गयी। जांचोपरांत तत्समय निर्वाचित ग्राम प्रधान के विरूद्ध प्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है।

प्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में न आने पर प्रधान के विरूद्ध किसी प्रकार की धनराशि की आर0सी0 जारी नहीं की गयी।

आर0सी0 जारी नहीं किए जाने के कारण किसी प्रकार की धनराशि के जमा करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री अरविन्द पाण्डेय, श्री दलीप सिंह रावत तथा श्री पूरन सिंह फर्त्याल की कुल 06 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूं।

जनपद हरिद्वार के ग्राम मौजा सोहलपुर सिकरोढ़ा के खसरा नं0 252 की भूमि पर गाँव के प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा करने के प्रयास के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन कौशिक–

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद के ग्राम सभा सोहलपुर सिकरोढ़ा, परगना रुड़की, तहसील हरिद्वार में 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवार के लोग निवास करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से उपरोक्त गाँव में पानी पीने के लिए एक मात्र दो कुएँ थे, उस समय गांव में कोई हैण्डपम्प नहीं था। एक कुएँ पर मात्र अनुसूचित जाति के परिवार पानी पीते थे तथा जब गांव में शादी होती थी तो चावल इत्यादि भी कुएँ पर बनाए जाते थे तथा दूसरा कुँआ अन्य बिरादरी का था, जिसमें पानी पीने का कार्य किया जाता था। वर्तमान में दोनों कुएं स्थित हैं। आज के आधुनिक समय में समस्त परिवार वालों ने पानी पीने के लिए अपने–अपने निजी हैण्डपम्प लगा लिए हैं तथा गांव मौजा सोहलपुर सिकरोढ़ा में खसरा नं0 252, जिसका रकबा डेढ़ बीघा पुख्ता है, इसी रकबे में एक कुआ स्थित है, जो अनुसूचित जाति के परिवार वालों का है। इस कुएं से ही अनुसूचित जाति के लोग पानी का प्रयोग करते आ रहे हैं, परन्तु लेखपाल की खतौनी एवं खसरा देखने से प्रतीत हुआ कि खसरा एवं खतौनी में इन्द्राज नहीं है, जिसके कारण इस भूमि पर गांव के प्रभावशाली लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।

इस अविलम्बनीय, लोकमहत्व एवं तात्कालिक विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कर प्रभावी कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में विभिन्न सम्पर्क सड़क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजकुमार ठुकराल–

[मान्यवर, रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में निम्न सड़क सम्पर्क मार्गों का निर्माण व्यापक जनहित में अति आवश्यक है। ग्राम महेशपुर में शेर चन्द के घर से कृष्ण गुंजाल के खेत तक एक किमी, ग्राम बसन्तीपुर रोड से ग्राम विजयनगर तक नहर पट्टी के साथ एक किमी, ग्राम अमरपुर–जाफरपुर रोड से बाबूराम के खेत तक एक किमी0, ग्राम नरपतनगर में श्मशानघाट तक एक किमी0, ग्राम लम्बाखेड़ा में रामपाल के घर से नरेश

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जोशी के घर तक एक किमी0, ग्राम शिवपुर से ग्राम हरिदासपुर तक एक किमी0, ग्राम महतोष–दिनेशपुर मार्ग से हरेन्द्रनाथ सरकार के घर तक 1.5 किमी0, ग्राम मोहनपुर नम्बर दो से भाखड़ानदी तक 600 मीटर, ग्राम आनन्द खेड़ा नम्बर एक में जनार्दन मलांगी के खेत से अमूल्यो मण्डल के खेत तक 600 मीटर, ग्राम केसरपुर से श्मशानघाट तक, ग्राम मोहनपुर से दिनेशपुर मार्ग से सुमित्रा देवी के खेत तक, ग्राम केसरपुर से ग्राम जहाँगीरपुर लम्बाखेड़ा मार्ग तक, जाफरपुर–दिनेशपुर मार्ग से ग्राम शिवपुर के श्मशानघाट तक सड़क निर्माण, ग्राम लम्बाखेड़ा में मुख्यमार्ग से श्मशानघाट तक, ग्राम लम्बाखेड़ा में मुख्यमार्ग से प्रताप सिंह के घर तक, ग्राम लम्बाखेड़ा को जाने वाले मुख्य मार्ग से ग्राम नरपतनगर तक, ग्राम मोहनपुर नम्बर दो में खानपुर नम्बर दो होते हुए ग्राम हरिदास तक, ग्राम अमरपुर से ग्राम अर्जुनपुर होते हुए व ग्राम रायपुर होते हुए ग्राम बसन्तीपुर तक, जाफरपुर–दिनेशपुर मार्ग से ग्राम आनन्दखेड़ा के मध्य होते हुए सड़क, रुद्रपुर–किच्छा मार्ग से वार्ड नम्बर–5 खेड़ा कालोनी में 1.5 किमी0 व औद्योगिक क्षेत्र में 600 मीटर सड़क, उक्त सड़क मार्गों की दयनीय स्थिति होने से क्षेत्रवासियों को अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ रहा है जिससे जनमें आक्रोश है।

अतः अतिलोकमहत्व की सूचना पर सरकार से उपरोक्त सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति की माँग करता हूँ।]

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना के ग्राम धुरोली, रैतुड़ा, आली हेतु 20 वर्ष पूर्व बनी पेयजल लाइन के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न पेयजल समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बिशन सिंह चुफाल–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना के ग्राम धुरोली, रैतुड़ा आली ग्राम हेतु 20 साल पूर्व पेयजल लाइन बिछाई गई, पाइप लाइन में जंग लगने से जगह–जगह पाइप लाइन टूटी है। क्षेत्र में पेयजल की समस्या बनी है। क्षेत्रीय जनता पेयजल की माँग बराबर करती आई है। कोई कार्रवाई न होने से जनता में भारी रोष है और वह आन्दोलन कर रही है।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन से कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र गदरपुर के गदरपुर–दिनेशपुर–मखोटा सड़क मार्ग का धन स्वीकृति के पश्चात् भी अभी तक निर्माण कार्य नहीं किए जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरविन्द पाण्डे–

[मान्यवर, गदरपुर से सिडकुल का यह मुख्य मोटर मार्ग है, जिसकी विगत 5 वर्षों से स्थिति बहुत ही खराब है। सड़क में हजारों वाहनों के आने–जाने से मार्ग में जगह–जगह गड्ढे हो रहे हैं, जिस कारण सिडकुल जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क मार्ग की स्थिति इतनी खराब है कि आए दिन किसी न किसी दुर्घटना की खबर मिलती है। विगत कुछ समय में ही इस सड़क मार्ग में 40 जानें जा चुकी हैं। तीन वर्ष पूर्व इस मोटर मार्ग के लिए ` 25 करोड़, 31 लाख की स्वीकृति भी मिली थी, साथ ही टेंडर की सारी प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई थी, लेकिन सड़क मार्ग की स्थिति आज भी जर्जर है। इस मार्ग के छोटे वाहन चालक पिछले एक माह से हड़ताल पर हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था अस्त–व्यस्त होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलीप सिंह रावत–

[मान्यवर, पूरे उत्तराखण्ड में विद्युत की समुचित आपूर्ति के लिए सरकार के द्वारा व्यवस्थित तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में आवश्यक कर्मचारियों का नितान्त अभाव है। मेरी विधान सभा लैन्सडौन के अन्तर्गत वर्तमान में विद्युत व्यवस्था अस्त व्यस्त है, नैनीडांडा, रिखणीखाल, जयहरीखाल विकास खण्डों में लाइनमैन नहीं हैं, जगह–जगह खम्भे एवं लाइनें झुकी हुई हैं। उनको ठीक करने के लिए कर्मचारी नहीं

नोट– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को बिल नहीं दिए जा रहे हैं या एक-एक, दो-दो साल बाद अनुमानित बिल बनाकर उपभोक्ताओं को दे दिया जा रहा है, जो कि हजारों में होता है। कई उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। विभाग से पूछने पर यह बताया जा रहा है कि विभाग में कर्मचारियों का अभाव है। व्यवस्था का हाल यह है कि पांच विकास खण्डों में केवल एक सहायक अभियन्ता ही कार्यरत है।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को उचित कार्रवाई हेतु निर्देशित करें एवं क्षेत्र की अनदेखी करने वाले उच्च अधिकारियों के खिलाफ सरकार को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दें, मैं आपका आभारी रहूंगा।]

जनपद चम्पावत में घरेलू कुकिंग गैस की वर्तमान बुकिंग व्यवस्था के कारण जनता को हो रही भारी दिक्कतों के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूरन सिंह फर्त्याल-

[मान्यवर, जनपद चम्पावत में घरेलू कुकिंग गैस की बुकिंग फोन के द्वारा की जा रही है। फोन में बुकिंग के बाद उसी फोन नम्बर पर मैसेज के माध्यम से बुकिंग नम्बर दिया जा रहा है। फोन में मैसेज के द्वारा जो नम्बर दिया जा रहा है, उसके पश्चात् गैस एजेन्सी में पर्ची काटी जा रही है। पर्ची काटने के दूसरे या तीसरे दिन गैस सिलेण्डर उपलब्ध हो पा रहा है। इस प्रक्रिया में उपभोक्ताओं के तीन से चार दिन बर्बाद हो रहे हैं।

चूंकि उत्तराखण्ड एक पहाड़ी राज्य है। पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। कई स्थानों पर मोबाइल टावर न होने से फोन नहीं हो पाते हैं। कई स्थानों पर सिग्नल नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कम पढ़ी महिलाओं को फोन पर बुकिंग करने एवं मैसेज पढ़ने में दिक्कतें होती हैं। जनता मांग कर रही है कि गैस बुकिंग की पुरानी व्यवस्था को ही पहाड़ों में लागू किया जाए। इससे जनता का समय भी बर्बाद नहीं होगा और दुर्गम क्षेत्र के नागरिकों को गैस सुविधा प्राप्त होती रहेगी।

नोट- [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।
*सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः मैं सम्मानित सदन से यह मांग करता हूँ कि लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की समस्त कार्यवाही को रोकते हुए चर्चा कराई जाए।]

विपक्ष द्वारा हल्द्वानी में एक विवाह समारोह से गायब बालिका कशिश का रेप कर बालिका का शव सात दिनों बाद काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास मिलने के सम्बन्ध में नियम-310 में दी गई सूचना पर चर्चा कराए जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

नियम-310 के अन्तर्गत श्री अजय भट्ट, श्री मदन कौशिक आदि सदस्यों की सूचना है, इस सूचना को मैं ग्राह्यता पर नियम-58 में सुन लूँगा।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, आपने कल निर्णय दिया था और क्या पीठ अपना निर्णय बदलेगी ?

श्री अध्यक्ष-

कोई निर्णय नहीं दिया था।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)-

मान्यवर, यह कहा था कि नियम-58 में सुनेंगे।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, आप कैमरा देख लें, आपका इशारा हाँ में हुआ था।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, आप कार्यवाही देख लें, नहीं कहा था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय कौशिक जी, आप पीठ पर आक्षेप लगा रहे हैं।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, आक्षेप का तो सवाल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

हमने यह कभी नहीं कहा कि हम नियम–310 में सुनेंगे, हमने कहा कि कल इसे नियमों के अन्तर्गत ले आएं, तब विचार करेंगे।

*नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि कल आपने कहा था कि इसे नियम–310 में ले लेंगे। माननीय नेता सदन ने भी यह खड़े होकर कहा था।

श्री अध्यक्ष–

आप कार्यवाही देख लें, नियम–310 का कहीं कोई जिक्र नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने नियम–310 नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि हमें कोई एतराज नहीं, आप अभी भी कह दें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और आपके विश्वास पर हम लोगों ने इसे आज लेने के लिए कहा, प्रश्नकाल भी चलने दिया, हाउस और प्रदेश की बरबादी भी न हो, सब सवालों के जवाब भी आ जाएं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, मैंने साफ कहा है कि कल इसको नियमों के आधार पर ले आइये, हम इस पर विचार करेंगे, इसके अलावा हमने कोई बयान नहीं दिया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियम–310 तो नियम में है।

श्री अध्यक्ष–

नियम–58 में इसको ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नियम–310 का इसलिए भी औचित्य नहीं कि अब तो प्रश्नकाल हो चुका है, अब नियम–58 में आएगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्रश्नकाल के बाद ही नियम–310 आता है। मान्यवर, यह नियम–310 के अन्तर्गत ही आएगा। आप इस सूचना को नियम–310 के अन्तर्गत स्वीकार करें। (शोर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 के अन्तर्गत सूचना माननीय सदस्य राजकुमार ठुकराल की है। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आज पूरा प्रदेश बैठा हुआ है, हल्द्वानी बंद है, पिथौरागढ़ बंद है। जगह–जगह लोगों ने इस घटना के खिलाफ अपना आंदोलन किया हुआ है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आज हल्द्वानी बंद नहीं है, पिथौरागढ़ बंद है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हल्द्वानी की स्थिति भी बहुत खराब है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हल्द्वानी की स्थिति खराब नहीं है। मेरी अपनी विधान सभा क्षेत्र में बात हुई है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हल्द्वानी की स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर भी तनाव है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हल्द्वानी में स्थिति ठीक है, मेरी डी0आई0जी0 से बात हुई है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हल्द्वानी की स्थिति भी ठीक नहीं है, वहां पर तनाव है। हम आपके विषय को भी ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब कल बात हो चुकी थी तो अब यह स्थिति क्यों है ? कल जब हमने कहा था कि आप इसे नियम–310 में लेंगे तो आपने कहा, हाँ लेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है, अब नियम–310 कहां से आएगा। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप नियमावली देख लें, प्रश्नकाल के बाद ही नियम–310 आता है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमने तो आपके विश्वास के खातिर, हमने प्रश्नकाल भी चलाया है और सारी बातें भी आई हैं और कल भी शांतिपूर्ण ढंग से सदन चला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सदन की जो परम्परा रही है, उसको फॉलो करके इसे नियम–58 के अन्तर्गत चर्चा में ले आईये। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, यह छोटी बच्ची का सवाल है, उसकी कितनी नृशंस हत्या हुई है। सरकार चर्चा से भाग रही है। यदि सब कुछ सही है तो सरकार चर्चा से क्यों बच रही है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण कोई और विषय हो नहीं सकता है। आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एक बच्ची की हत्या हो गई और पुलिस पांच दिनों तक उसका पता नहीं लगा पाई है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 01:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

सुरक्षाधिकारी, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 01:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 1:30 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष-

कृपया, आसन ग्रहण करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री मदन कौशिक तथा श्री तीरथ सिंह रावत को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सदस्य वेल में आ गए और अपनी-अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)-

मान्यवर, यह लॉ एण्ड आर्डर का इतना बड़ा मुद्दा है, एक बच्ची कशिश को जिस बर्बरता से मारा गया है, जो अमानवीय व्यवहार उसके साथ किया गया है, रेप भी उसके साथ किया गया है, डाक्टर की भी रिपोर्ट आ गई है, सरकार संवेदनहीन हो गई है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष-

माननीय भट्ट जी, आपकी नियम 310 की सूचना को हम नियम 58 में ग्राह्य कर रहे हैं।

(वेल में बैठे माननीय सदस्य नारे लगाने लगे)

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष-

माननीय भट्ट जी, कृपया सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग करें।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, यह विषय नियम 310 से नीचे का नहीं हो सकता है, आज प्रदेश में बहू-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अब तो छोटी बच्चियों का भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आज हल्द्वानी बन्द है, अल्मोड़ा बन्द है, पिथौरागढ़ बन्द है, सारे स्कूल कॉलेज बन्द हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं चले जाते, उनकी किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। मैंने विनिश्चय दे दिया है कि इसे नियम 310 में नहीं सुना जाएगा, नियम 58 में ग्राह्यता पर इसे सुना जा सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, हमने अभी एक बैठक की, जिसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी बुलाया गया था, हमने तय किया था कि अन्य सरकारी काम–काज से पहले इसे नियम 58 में ले लेते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है। यदि आपको सदन ही नहीं चलाना है तो आप जानें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यदि आप नियम 58 में बोलना चाहते हैं तो मैं अनुमति दे रहा हूँ।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे और अपनी–अपनी बात कहते रहे)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 03:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य बाँह में काली पट्टी बांधकर वेल में बैठे रहे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(वेल में बैठे सभी माननीय सदस्य जोर–जोर से अपनी बात उठाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह हल्द्वानी का काण्ड उत्तराखण्ड में पूरा दामिनी काण्ड है। यह दामिनी काण्ड से कम नहीं है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हाउस को व्यवस्थित कराएं। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसको 310 में सुन लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

हम नियम–58 में चर्चा कराने को तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो दिल्ली में काण्ड हुआ, यह उससे भी खतरनाक है। (व्यवधान)

(वेल में बैठे सभी माननीय सदस्य वेल से नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2014 के द्वितीय सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्रवाई का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2014 के द्वितीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्रवाई का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

विपक्ष के सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या–32, दिनांक 26 फरवरी, 2014 के क्रम में निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून ने अपने पत्र संख्या–एल0आई0यू/विधान सभा/2014 दिनांक 25–11–2014 के द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 25–11–2014 को भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार की नीतियों के विरोध में बन्नू स्कूल, रेसकोर्स के पास एकत्रित होकर समय 13:15 बजे श्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के नेतृत्व में (3500–4000) सरकार विरोधी

नारेबाजी करते हुए विधान सभा की ओर कूच किया गया। 13:45 बजे जुलूस रिस्पना बैरिकेडिंग के पास पहुँचा, जहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा इन्हें रोकने का प्रयास किया गया, जो अधिक उग्र हो गए। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग करते हुए वहाँ पर तैनात पुलिस अधिकारियों द्वारा विधान सभा के सदस्य सर्वश्री तीरथ सिंह रावत, यतीश्वरानन्द, पुष्कर सिंह धामी, गणेश जोशी, हरबंस कपूर, हरभजन सिंह चीमा, राजेश शुक्ला, संजय गुप्ता, मदन कौशिक, प्रेम चन्द अग्रवाल एवं अरविन्द पाण्डेय को निरुद्ध कर लिया।

तद्नुसार सर्वश्री तीरथ सिंह रावत, यतीश्वरानन्द, पुष्कर सिंह धामी, गणेश जोशी, हरबंस कपूर, हरभजन सिंह चीमा, राजेश शुक्ला, संजय गुप्ता, मदन कौशिक, प्रेम चन्द अग्रवाल एवं अरविन्द पाण्डेय, विधान सभा सदस्यों को दिनांक 25–11–2014 को समय 14:30 बजे निरुद्ध कर लिया गया और पुलिस लाइन, रेसकोर्स, देहरादून लाकर इन्हें समय 15:30 बजे एस0डी0एम0 सदर के समक्ष पेश किया गया। एस0डी0एम0 सदर द्वारा बगैर शर्त उपरोक्त विधायकों को रिहा किया गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या एक में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या एक में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री पिन्टू, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या: 2 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या 2 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री प्रवीन कुमार, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड नम्बर–2, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या: 3 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या: 3 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती सुशीला, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड 3, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या: 4 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या: 4 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री कल्लू, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड 4, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या: 5 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या: 5 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री इनाम, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड 5, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या: 6 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या: 6 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री करेशन,

---

नोट– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड नं0 6, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

(उक्त याचिका पढ़ी हुई मानी गयी)

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या: 7 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या: 7 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री नामचन्द, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड नं0 7, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या: 8 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या: 8 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री इरशाद, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड नं0 8, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या: 9 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या: 9 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री शमीम, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड नं0 9, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या: 10 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्या: 10 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती रहीशा,

---

नोट– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड नं0 10, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्याः 11 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्याः 11 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री मुकेश, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड नं0 11, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्याः 12 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्याः 12 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री बसीम, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड नं0 12, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्याः 13 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्याः 13 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री नबाब, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड नं0 13, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट–[ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्याः 14 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[मानीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्याः 14 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री मुकेश कुमार, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड नं0 14, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्याः 15 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकरानी के वार्ड संख्याः 15 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती प्रकाशी, निवासी ग्राम पंचायत ढकरानी, वार्ड नं0 15, पो0 ढकरानी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत केदारवाला में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत केदारवाला में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री अकबर अली, निवासी ग्राम पंचायत केदारवाला, पो0 केदारवाला, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मेहूंवाला खालसा में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मेहूंवाला खालसा में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री स्वराज, निवासी ग्राम पंचायत मेहूंवाला खालसा, पो0 अम्बाड़ी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत प्रतीतपुर व ग्राम बांसोवाला में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत प्रतीतपुर व ग्राम बांसोवाला में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री किशोरी, निवासी ग्राम पंचायत प्रतीतपुर, पो0 धर्मावाला, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम सिसैया (मेलाघाट) गांव के आगे मेलाघाट नेपाल रोड नाले पर 32 फुट चौड़े पुल का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री पुष्कर सिंह धामी–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम सिसैया (मेलाघाट) गांव के आगे मेलाघाट नेपाल रोड नाले पर 32 फुट चौड़े पुल का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में" श्रीमती कुसुम देवी, निवासी ग्राम सिसैया अमाऊ, खटीमा, पो0 खालीमहुवट, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पंचायत दियाँ–गांगी मिघौर, विकास खण्ड खटीमा के 5 किमी0 नालों की सफाई एवं चौड़ीकरण करवाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री पुष्कर सिंह धामी–

[माननीय अध्यक्ष जी, "जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पंचायत दियाँ–गांगी मिघौर, विकास खण्ड खटीमा के 5 किमी0 नालों की सफाई एवं चौड़ीकरण करवाने के

नोट– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

सम्बन्ध में" श्री नवीन सिंह कन्याल, निवासी ग्राम पंचायत दिवीं–गांगी गिधौर, पो0 बिरिया मझोला विकास खण्ड खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

कृषि मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद् विधेयक, 2014

शहरी विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद् विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद् विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद् विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् विधेयक, 2014

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करती हूँ।

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् विधेयक, 2014

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद् विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करती हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 नवम्बर, 2014 की बैठक में दिनांक 26 नवम्बर, 2014 से दिनांक 27 नवम्बर, 2014 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

श्री अध्यक्ष–

नवम्बर, 2014

26 बुधवार

1. विधायी कार्य

(1) उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(2) उत्तराखण्ड रज्जु मार्ग विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

2. सरकारी संकल्प

(1) माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्न सरकारी संकल्प पर चर्चा:– (30 मिनट)

"राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिए ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल के कृषि, औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके, अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सकें तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ–साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बन सकें।"

(2) माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्न सरकारी संकल्प पर चर्चा:– (30 मिनट)

"राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार समता तथा सुधारों के लिए ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गों के प्रत्येक छात्र–छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।"

(3) विगत सत्र की नियम–54 की सूचना।

1. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:– (30 मिनट)

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के सम्बन्ध में।"

2. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:– (30 मिनट)

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाए जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।"

3. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:– (30 मिनट)

"उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुए कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।"

4. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित नियम–54 की सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:– (30 मिनट)

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में स्थानीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मतदान की अनिवार्यता की जाए।"

5. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:– (30 मिनट)

"जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभाएं आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005–25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्चात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005–25 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया है:–

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. धामासारी, 6. गाजी, 7. कार्लीगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. गिरवारास पट्टी, 13. मितरली, 14. मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. कान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गठन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है ?

अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना, जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005–25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बन्धी।"

6. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी:– (30 मिनट)

"उत्तराखण्ड राज्य में "इको सैंसटिव जोन" को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाए जाने की घोषणा की जाए।"

7. श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि समस्त उत्तराखण्ड राज्य की मलिन बस्तियों में नजूल भूमि व कृषि कार्य वाली भूमि पर वर्षों से असहाय रूप से निवास कर रहे निर्धन नागरिकों को उनके स्वामित्व में फ्रीहोल्ड कर पट्टे प्रदान किए जाएं एवं शहरी कालोनियों में फ्रीहोल्ड प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ कर नागरिकों को भौमिक अधिकार प्रदान किए जाएं।"

8. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में बाल मजदूरी को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाई की जाए।"

9. श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगे हुए ग्राम पंचायतों से लोगों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार हेतु एक अलग से योजना बनाई जाए।"

10. श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के 1065 गैर आबाद ग्रामों को पुनः आबाद करने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाने तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए समयबद्ध योजना बनाकर क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है।"

11. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गंगा सफाई अभियान की तरह उत्तराखण्ड के काशी बागेश्वर की प्रसिद्ध नदी सरयू व गोमती को स्वच्छ, निर्मल बनाए जाने के लिए सरकार योजना बनाकर प्रयास सुनिश्चित करे।"

12. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाए।"

13. डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:–

"इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाए।"

14. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:–

"सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के घाट की स्वच्छता अभियान की भांति "यमुना स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाए। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए 'गंगा विकास प्राधिकरण' की भांति 'यमुना विकास प्राधिकरण' का गठन भी किया जाए।"

शेष कार्यक्रम यथावत्।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य 1–श्री मदन कौशिक, श्री अरविन्द पाण्डेय, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री आदेश चौहान, श्री चन्द्रशेखर एवं श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, 2–श्री पूरन सिंह फर्त्याल, 3–श्री राजकुमार ठुकराल, 4–श्री चन्द्रशेखर, 5–श्री दिलीप रावत, 6–श्री महावीर सिंह रांगड़, 7–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, 8–श्री संजय गुप्ता, श्री यतीश्वरानन्द एवं श्री राजकुमार ठुकराल, 9–श्री यतीश्वरानन्द, 10–श्री बिशन सिंह चुफाल, 11–श्री पुष्कर सिंह धामी, 12–श्री गणेश जोशी, श्री यतीश्वरानन्द, श्री संजय गुप्ता, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री महावीर सिंह रांगड़ एवं श्री हरभजन सिंह चीमा, 13–श्री आदेश चौहान, श्री मदन कौशिक, श्री यतीश्वरानन्द एवं श्री संजय गुप्ता, 14–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2014–15 की द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा

अनुदान संख्या–01 'विधान सभा'

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–01, विधान सभा के अन्तर्गत ₹ 3000 हजार (तीस लाख) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत ₹ 3000 हजार (तीस लाख) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–03 'मंत्रि परिषद्'

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–03, मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत ₹ 1100000 हजार (एक सौ दस करोड़) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03 मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत ₹ 1100000 हजार (एक सौ दस करोड़) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–04 'न्याय प्रशासन'

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ₹ 127785 हजार (बारह करोड़, सतहत्तर लाख, पचासी हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–06 'राजस्व एवं सामान्य प्रशासन'

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ` 56464 हजार (पांच करोड़ चौसठ लाख चौसठ हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ` 56464 हजार (पांच करोड़, चौसठ लाख, चौसठ हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–07 'वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं'

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत ` 4460099 हजार (चार सौ छियालीस करोड़, निन्यानबे हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत ₹ 4460099 हजार (चार सौ छियालीस करोड़, निन्यानवे हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–08 'आबकारी'

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–08, आबकारी के अन्तर्गत ₹ 12250 हजार (एक करोड़, बाईस लाख, पचास हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत ₹ 12250 हजार (एक करोड़, बाईस लाख, पचास हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–09 'लोक सेवा आयोग'

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत ₹ 3000 हजार (तीन लाख) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत ₹ 3000 हजार (तीस लाख) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–10 'पुलिस एवं जेल'

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत ₹ 742109 हजार (चौहत्तर करोड़, इक्कीस लाख, नौ हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत ₹ 742109 हजार (चौहत्तर करोड़, इक्कीस लाख, नौ हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–11 'शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति'

शिक्षा मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

के अन्तर्गत ₹ 996268 हजार (निन्यानवे करोड़, बासठ लाख, अड़सठ हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए स्वीकार की जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत ` 996268 हजार (निन्यानवे करोड़, बासठ लाख, अड़सठ हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या-12 'चिकित्सा एवं परिवार कल्याण'

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत ₹ 1062141 हजार (एक सौ छः करोड़, इक्कीस लाख, इकतालीस हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत ` 1062141 हजार (एक सौ छः करोड़, इक्कीस लाख, इकतालीस हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–13 'जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास'

शिक्षा मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत ₹ 1077930 हजार (एक सौ सात करोड़, उन्यासी लाख, तीस हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत ₹ 1077930 हजार (एक सौ सात करोड़, उन्यासी लाख, तीस हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–14 'सूचना'

संसदीय कार्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत ₹ 271800 हजार (सत्ताईस करोड़, अठारह लाख) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत ₹ 271800 हजार (सत्ताईस करोड़, अठारह लाख) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–15 'कल्याण योजनाएं'

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत ₹ 1346558 हजार (एक सौ चौंतीस करोड़, पैंसठ लाख, अट्ठावन हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत ₹ 1346558 हजार (एक सौ चौंतीस करोड़, पैंसठ लाख, अट्ठावन हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–16 'श्रम एवं रोजगार'

श्रम एवं रोजगार मंत्री (श्री हरीश चन्द दुर्गापाल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत ₹ 371361 हजार (सैंतीस करोड़, तेरह लाख, इकसठ हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत ₹ 371361 हजार (सैंतीस करोड़, तेरह लाख, इकसठ हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–17 'कृषि कर्म एवं अनुसंधान'

कृषि कर्म एवं अनुसंधान मंत्री (डॉ0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत ₹ 1321484 हजार (एक सौ बत्तीस करोड़, चौदह लाख, चौरासी हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत ₹ 1321484 हजार (एक सौ बत्तीस करोड़, चौदह लाख, चौरासी हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–18 'सहकारिता'

राजस्व एवं सहकारिता मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत ₹ 38000 हजार (तीन करोड़, अस्सी लाख) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत ₹ 38000 हजार (तीन करोड़, अस्सी लाख) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–19 'ग्राम्य विकास'

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत ₹ 29750 हजार (दो करोड़, सत्तानवे लाख, पचास हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत ₹ 29750 हजार (दो करोड़, सत्तानवे लाख, पचास हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–20 'सिंचाई एवं बाढ़'

सिंचाई मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत ₹ 1998063 हजार (एक सौ निन्यानवे करोड़, अस्सी लाख, तिरसठ हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत ₹ 1998063 हजार (एक सौ निन्यानवे करोड़, अस्सी लाख, तिरसठ हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–22 'लोक निर्माण'

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत ₹ 2980000 हजार (दो सौ अट्ठानवे करोड़) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत ₹ 2980000 हजार (दो सौ अट्ठानवे करोड़) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–23 'उद्योग'

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–23, उद्योग के अन्तर्गत ₹ 6500 हजार (पैंसठ लाख) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23, उद्योग के अन्तर्गत ₹ 6500 हजार (पैंसठ लाख) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–24 'परिवहन'

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–24, परिवहन के अन्तर्गत ₹ 644662 हजार (चौंसठ करोड़, छियालीस लाख, बासठ हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24, परिवहन के अन्तर्गत ₹ 644662 हजार (चौंसठ करोड़, छियालीस लाख, बासठ हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–25 'खाद्य'

खाद्य मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–25, खाद्य के अन्तर्गत ₹ 7206 हजार (बहत्तर लाख, छः हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25, खाद्य के अन्तर्गत ₹ 7206 हजार (बहत्तर लाख, छः हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–26 'पर्यटन'

पर्यटन मंत्री (श्री दिनेश धनै)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–26, पर्यटन के अन्तर्गत ₹ 220000 हजार (बाईस करोड़) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26, पर्यटन के अन्तर्गत ₹ 220000 हजार (बाईस करोड़) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–27 'वन'

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–27, वन के अन्तर्गत ₹ 333994 (तैंतीस करोड़, उन्तालीस लाख, चौरानवे हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27, वन के अन्तर्गत ₹ 333994 (तैंतीस करोड़, उन्तालीस लाख, चौरानवे हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–28 'पशुपालन'

पशुपालन मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत ₹ 258134 (पच्चीस करोड़, इक्यासी लाख, चौंतीस हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत ₹ 258134 (पच्चीस करोड़, इक्यासी लाख, चौंतीस हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–29 'औद्यानिक विकास'

औद्यानिक विकास मंत्री (डॉ0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास के अन्तर्गत ₹ 95571 (नौ करोड़, पचपन लाख, इकहत्तर हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास के अन्तर्गत ₹ 95571 (नौ करोड़, पचपन लाख, इकहत्तर हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–30 'अनुसूचित जातियों का कल्याण'

समाज कल्याण मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत ₹ 1143045 हजार (एक सौ चौदह करोड़, तीस लाख, पैंतालीस हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत ₹ 1143045 हजार (एक सौ चौदह करोड़, तीस लाख, पैंतालीस हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–31 'अनुसूचित जनजातियों का कल्याण'

समाज कल्याण मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत ₹ 475893 हजार (सैंतालीस करोड़, अट्ठावन लाख, तिरानवे हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत ₹ 475893 हजार (सैंतालीस करोड़, अट्ठावन लाख, तिरानवे हजार) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विनियोग (2014–2015 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(प्रतियां वितरित की गईं)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तथा अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना तथा शीर्षक (द्वितीय अनुपूरक)

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014

(विधेयक संख्या वर्ष 2014)

31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की संचित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2014 है।

संक्षिप्त नाम

2. उत्तराखण्ड राज्य की संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों, जिन सबका कुल योग ₹ 303537786000 (रुपये तीस हजार तीन सौ तिरपन करोड़, सतहत्तर लाख, छियासी हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

उत्तराखण्ड की संचित निधि में से वर्ष 2014–15 के लिये ₹ 303537786000 का दिया जाना

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो अनुसूची में दिए गए हैं।

विनियोग

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (धनराशि हजार ` में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
01	विधान सभा	राजस्व	274126	11790	285916
		पूंजी	881000	0	881000
02	राज्यपाल	राजस्व	0	69705	69705
		पूंजी	0	0	0
03	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	404601	0	404601
		पूंजी	0	0	0
04	न्याय प्रशासन	राजस्व	1429414	298091	1727505
		पूंजी	250001	0	250001
05	निर्वाचन	राजस्व	466641	0	466641
		पूंजी	0	0	0
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	20234238	25139	20259377
		पूंजी	84001	5000	89001
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं	राजस्व	43176734	30649277	73826011
		पूंजी	1562607	17577900	19140507
08	आबकारी	राजस्व	144772	0	144772
		पूंजी	0	0	0
09	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	119116	119116
		पूंजी	0	10000	10000
10	पुलिस एवं जेल	राजस्व	11279371	0	11279371
		पूंजी	259304		259304

1	2		3		
11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	49455032	0	49455032
		पूँजी	3633271	0	3633271
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	11930213	0	11930213
		पूँजी	2299006	0	2299006
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	6596966	0	6596966
		पूँजी	6955002	0	6955002
14	सूचना	राजस्व	380018	0	380018
		पूँजी	5000	0	5000
15	कल्याण योजनाएं	राजस्व	11710510	0	11710510
		पूँजी	1449301	0	1449301
16	श्रम और रोजगार	राजस्व	1689266	0	1689266
		पूँजी	246000	0	246000
17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व	5199581	0	5199581
		पूँजी	44303	0	44303
18	सहकारिता	राजस्व	430797	0	430797
		पूँजी	70000	0	70000
19	ग्राम्य विकास	राजस्व	8155774	0	8155774
		पूँजी	2599476	0	2599476
20	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	4168636	0	4168636
		पूँजी	8123778	0	8123778
21	ऊर्जा	राजस्व	267696	0	267696
		पूँजी	4927103	0	4927103
22	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	7245480	49900	7295380
		पूँजी	6800000	0	6800000
23	उद्योग	राजस्व	909852	0	909852
		पूँजी	146887	0	146887

1	2		3		
24	परिवहन	राजस्व	391189	0	391189
		पूँजी	387007	0	387007
25	खाद्य	राजस्व	2281195	0	2201195
		पूँजी	50001	0	50001
26	पर्यटन	राजस्व	1008064	0	1008064
		पूँजी	644502	0	644502
27	वन	राजस्व	4936901	0	4936901
		पूँजी	329005	0	328005
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	1600453	0	1600453
		पूँजी	19928	0	19928
29	औद्योगिक विकास	राजस्व	1296072	6024	1302096
		पूँजी	0	0	0
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	7694978	0	7694978
		पूँजी	4993874	0	4993874
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	1932469	0	1932469
		पूँजी	1261248		1261248
	योग	राजस्व	206691239	31229042	237920281
		पूँजी	48024605	17592900	65617505
	महायोग		254715844	48821942	303537786

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तथा अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस विधेयक पर संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है।

(किसी भी माननीय सदस्य ने संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–25, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या– वर्ष 2014)

निजी विकासकर्ताओं एवं सामुदायिक सहभागिता आधार पर नवीकरण ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने तथा उससे सम्बन्धित आनुषांगिक विषयों के लिए

विधेयक

उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा भारतीय गणराज्य के पैसठवें वर्ष में निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी और शेष धाराएं ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगी जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से राजपत्र द्वारा नियत किया जाए।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अपीलीय प्राधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "संग्रहकर्ता", "निरीक्षक", "निर्धारक प्राधिकारी" से ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण और कर संग्रह हेतु राज्य सरकार द्वारा इस रूप में प्राधिकृत किया जाए;

(ग) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "हरित ऊर्जा निधि" से इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित निधि अभिप्रेत है;

(ड) "यूनिट" से एक घंटे के भीतर एक किलोवाट उपभोग या उत्पादित की गई ऊर्जा अभिप्रेत है;

(घ) "यूपीसीएल" से उत्तराखण्ड राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत के वितरण हेतु उत्तरदायी उत्तराखण्ड की कम्पनी अभिप्रेत है।

हरित ऊर्जा उपकर का अधिरोपण और उद्ग्रहण

3\. (1) ऐसी ऊर्जा जो राज्य के भीतर उत्पादित तथा राज्य के बाहर पारेषित की जाती है, पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए हरित ऊर्जा उपकर का अधिरोपण और उद्ग्रहण किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसा उपकर उन उत्पादकों द्वारा राज्य में उत्पन्न विद्युत पर उद्ग्रहीत व देय होगा जो उत्पादित ऊर्जा को राज्य से बाहर पारेषित कर रहे हैं। यह उपकर उत्पादित ऊर्जा के ऐसे प्रतिशत पर उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार को निःशुल्क ऊर्जा के रूप में दिया जाता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन ऐसा उपकर, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट पर दस पैसे तक अधिरोपित किया जाएगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित उपकर उत्पादक कम्पनी द्वारा देय होगा।

वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति पर हरित ऊर्जा उपकर का अधिरोपण

4\. इसके अतिरिक्त, दस पैसा प्रति यूनिट तक का हरित ऊर्जा उपकर राज्य के वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत पर अधिरोपण किया जाएगा तथा इस उपकर की राशि यू0पी0सी0एल0 द्वारा संग्रहित की जाएगी तथा संग्रह करने के पश्चात् ही निधि में जमा की जाएगी।

उपकर का संदाय

5\. धारा 3 तथा धारा 4 के अधीन अधिरोपित उपकर, जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करेगी एवं जो कम से कम चालू वर्ष में लागू रहेगा, को यथास्थिति उत्पादक या यू0पी0सी0एल0 (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) द्वारा वित्त वर्ष के 30 जून को या उससे पहले भुगतान किया जाएगा।

प्राप्तियों का राज्य की संचित निधि में जमा किया जाना

6\. उपकर की प्राप्तियाँ, ब्याज और इस अधिनियम के अधीन वसूल किए गए जुर्माने को पहले राज्य की संचित निधि में जमा किया जाएगा, तत्पश्चात् इस निमित्त विधि द्वारा निर्मित विनियोजन के अधीन उसमें से संग्रह और वसूली के व्यय घटाकर अनन्य रूप से इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु उपयोग के लिए "हरित ऊर्जा निधि" नाम की निधि में प्रविष्ट व अंतरित किया जाएगा।

हरित ऊर्जा निधि की स्थापना

7. (1) इस अधिनियम के उद्देश्य से "हरित ऊर्जा निधि" नाम से एक निधि की स्थापना की जाएगी।

(2) यह निधि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी और इसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी–

(क) धारा 4 के अधीन भुगतान की गई कोई धनराशि;

(ख) राज्य सरकार द्वारा किसी अनुदान के रूप में कोई राशि।

निधि का प्रबन्धन

8. (1) (क) नवीकरण ऊर्जा के द्वारा विद्युत के उत्पादन को बढ़ाना;

(ख) गैर–परम्परागत ऊर्जा का क्रय और आर ई सीज (नवीकरण ऊर्जा प्रमाण पत्र) का क्रय करना;

(ग) राज्य में पर्यावरण संरक्षण हेतु पहल करना;

(2) राज्य में ऊर्जा के नवीकरण और गैर–परम्परागत स्रोतों के उत्पादन के विकास और सुधार हेतु योजनाओं के निष्पादन के लिए निधि को विस्तारित किया जा सकेगा।

(3) राज्य सरकार के पास निधि के प्रशासन की शक्ति होगी तथा वह ऐसे निर्णय ले सकेगी जो निधि के उचित उपयोग के लिए आवश्यक हों।

(4) राज्य सरकार के पास निधि से उस राशि के आवंटन और संवितरण की शक्ति होगी जिसे वह इस अधिनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी सम्बन्धित विभाग/अभिकरण के लिए आवश्यक समझे।

उपकर प्राधिकारी

9. (1) इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य के लिए एक व्यक्ति/संगठन की नियुक्ति करेगी जो हरित ऊर्जा उपकर का संग्रहकर्ता/निरीक्षक/निर्धारक प्राधिकारी होगा तथा उसकी सहायता के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगी जिन्हें वह उचित समझे तथा जो उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन कार्यों का निष्पादन करेंगे, जिन्हें संग्रहकर्ता द्वारा उन्हें प्रदत्त किया जाए या सौंपा जाए।

(2) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को संग्रहकर्ता या निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है

जिन्हें वह उचित समझे, जो राज्य सरकार द्वारा उनको विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर इस अधिनियम के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेंगे।

उपकर प्राधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य

10. (1) इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु संग्रहकर्ता या निरीक्षक या उप प्राधिकारी–

(क) ऐसी पुस्तकों या अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, जो इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर की राशि को अभिनिश्चित या सत्यापित करने के लिए आवश्यक हो,

(ख) किसी ऐसे परिक्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, जहां निम्नलिखित उद्देश्य से विद्युत उत्पादन किया जा रहा हो या किए जाने का विश्वास हो–

(एक) रखी गयी लेखा पुस्तकों में दिए विवरण और जमा की गई विवरणी का सत्यापन;

(दो) निर्धारित तरीके से विभिन्न मीटरों और जनरेटर पैनल्स को पढ़ना और परीक्षण करवाना;

(तीन) उपकर के उद्ग्रहण के सम्बन्ध में अपेक्षित विवरणों का सत्यापन।

(ग) उत्तराखण्ड ऊर्जा निगम लि0 (यू0पी0सी0एल0) द्वारा उपबन्धित वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत पर उपकर का उद्ग्रहण।

(घ) ऐसी विद्युत पर उपकर का उद्ग्रहण करना जो राज्य के भीतर उत्पादित की जाती है तथा राज्य के बाहर पारेषित की जा रही है।

(ङ) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना जो इस अधिनियम या उसके अधीन निर्मित नियमों का उद्देश्य पूरा करने के लिए आवश्यक हों।

(च) प्रत्येक ऐसा उत्पादक या यू0पी0सी0एल0 (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) जिससे ऐसी मांग की जाती है, उसके अनुपालन और सत्य सूचना देने के लिये आबद्ध होगा।

(छ) यदि यथास्थिति कोई उत्पादक या यू0पी0सी0एल0 (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) ऐसी मांग का अनुपालन नहीं करता है या सत्य सूचना प्रदान नहीं करता है तो उसे ऐसी परियोजना या भवन/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में निर्धारक प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी निर्धारण पर आपत्ति करने से रोक दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई सभी खोजें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्धों के अधीन की जाएंगी।

लेखा पुस्तिकाएं, विवरणी और निर्धारण

11. (1) ऐसी प्रत्येक कम्पनी जो धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसार उपकर का भुगतान करने हेतु दायी है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार विद्युत के सकल उत्पादन के अभिलेखन हेतु मीटर संस्थापित करेगा तथा इसे निर्धारित तरीके से अनुरक्षित व प्रचालित रखा जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपकर का भुगतान करने की दायी प्रत्येक उत्पादक कम्पनी निर्धारित रूप में लेखा पुस्तिकाएं रखेगी तथा निर्धारित रूप और निर्धारित समय पर संग्रहकर्ता, उप निरीक्षक या उप प्राधिकारी के पास विवरणी जमा करेगी जिसमें उत्पादित ऊर्जा की यूनिटें, देय और भुगतान किए गए उपकर की राशि, उपयोग किया गया ईंधन तथा निर्धारित किए गए अन्य विवरण दर्शाये जाएंगे।

(3) यू0पी0सी0एल0, निर्धारित रूप में उत्तराखण्ड के सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं की लेखा पुस्तिकाएं रखेगा तथा निर्धारित रूप और निर्धारित समय पर संग्रहकर्ता के पास विवरणी जमा करेगा, जिसमें राज्य में वाणिज्यिक

और औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई यूनिटें, देय और भुगतान किए गए उपकर की राशि तथा निर्धारित किए गए अन्य विवरण दर्शाये जाएंगे।

12. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर व उसके पश्चात् प्रत्येक उत्पादक कम्पनी और यू०पी०सी०एल० (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) जो इस अधिनियम के अधीन धारा 3 और 4 के अनुसार उपकर के भुगतान के दायी हैं; उस तरीके से स्व निर्धारण करेंगे तथा उस रूप में भुगतान किए जाने वाली अवधि हेतु विवरणी दाखिल करेंगे, जैसा कि अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। स्व निर्धारण

(2) यथास्थिति प्रत्येक उत्पादक कम्पनी या यू०पी०सी०एल० (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) जो इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा निर्धारित उपकर की सम्पूर्ण राशि का संग्रहकर्ता को भुगतान करेगा।

(3) यदि यथास्थिति कोई उत्पादक कम्पनी या यू०पी०सी०एल० (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) जिसने उपधारा (1) के अधीन स्व निर्धारण किया है, अपने स्व निर्धारण के बाद में कोई वास्तविक त्रुटि या चूक पाता है तो वह उस त्रुटि या चूक को सुधार सकता है। यदि ऐसे सुधार के परिणामस्वरूप उपकर की राशि में मूल उपकर की राशि की अपेक्षा वृद्धि होती है तो ऐसी अतिरिक्त उपकर की राशि का भुगतान उसके द्वारा किए गए सुधार की तिथि से तीस दिन के भीतर किया जाएगा। यदि भुगतान किया गया उपकर देय उपकर से अधिक है तो यथास्थिति कोई उत्पादक कम्पनी या यू०पी०सी०एल० (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) द्वारा संग्रहकर्ता को आवेदन फाइल करने पर अतिरिक्त भुगतान की राशि प्रतिदेय होगी।

(4) विवरणी के सही होने का अभिनिश्चय करने की दृष्टि से संग्रहकर्ता इस अधिनियम के अधीन उपकर का भुगतान करने

की दायी, यथास्थिति उत्पादक कम्पनी या यू०पी०सी०एल० (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) द्वारा प्रस्तुत विवरणियों, दस्तावेजों या जानकारी की जांच कर सकेगा।

(5) (क) जहां धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करने के पश्चात् यह पाया जाता है कि ऐसी विवरणी के आधार पर भुगतान किए गए किसी उपकर के समायोजन के पश्चात् भी अतिरिक्त उपकर देय रहता है तो इस सम्बन्ध में ऐसे देय उपकर की राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए संग्रहकर्ता द्वारा यथास्थिति, उत्पादक कम्पनी या यू०पी०सी०एल० (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) को सूचना भेजी जाएगी और सूचना को मांग नोटिस माना जाएगा।

(ख) उपधारा 5 के खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी संग्रहकर्ता अपने स्वयं के प्रस्ताव से या उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर, यथास्थिति, उत्पादक कम्पनी या यू०पी०सी०एल० (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) द्वारा देय उपकर का अपने उत्कृष्ट निर्णय के अनुसार निर्धारण कर सकेगा, जहां–

(एक) यथास्थिति उत्पादक कम्पनी या यू०पी०सी०एल० (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल नहीं करती है, या

(दो) यह विश्वास करने का निश्चित कारण है कि यथास्थिति उत्पादक कम्पनी या यू०पी०सी०एल० (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) द्वारा धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन दाखिल की गई विवरणी सही या पूर्ण नहीं है।

(ग) यदि उपधारा 5 के खण्ड (ख) के अधीन निर्धारण करने के पश्चात् संग्रहकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यथास्थिति, उत्पादक कम्पनी या यू0पी0सी0एल0 (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) से उपकर देय हो गया है, तो वह देय उपकर की राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए यथास्थिति, उत्पादक कम्पनी या यू0पी0सी0एल0 (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) को सूचना भेजेगा, जिसे मांग नोटिस माना जाएगा।

(घ) उपधारा 5 के खण्ड (क) या उपधारा 5 के खण्ड (ग) के अधीन उपकर की राशि का भुगतान यथास्थिति, उत्पादक कम्पनी या यू0पी0सी0एल0 (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) द्वारा मांग नोटिस के जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर किया जाएगा।

परन्तु यथास्थिति, उत्पादक कम्पनी या यू0पी0सी0एल0 (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) को उपधारा 5 के खण्ड (क) या उपधारा 5 के खण्ड (ग) के अधीन उपकर की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने से पूर्व उसे संग्रहकर्ता द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(6) नोटिस निर्धारण नोटिस या इस अधिनियम के अधीन पारित कोई अन्य आदेश उचित रूप से तामील किया माना जाएगा, यदि उसे निम्नलिखित में से किसी माध्यम में से यथास्थिति, उत्पादक कम्पनी या यू0पी0सी0एल0 (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) के पते पर भेजा जाए–

(क) रजिस्टर्ड डाक द्वारा; या

(ख) संग्रहकर्ता द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा सुपुर्दगी; या

(ग) सम्बन्धित उत्पादक या उपभोक्ता के पास कुरीअर द्वारा सुपुर्दगी; या

(घ) ई–मेल द्वारा।

देय होने पर उपकर का भुगतान न करने पर जुर्माना

13. यदि यथास्थिति, उत्पादक कम्पनी या यू0पी0सी0एल0 (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपकर का भुगतान नहीं करती है तो वह इस प्रकार देय उपकर के अतिरिक्त प्रतिमाह 2 प्रतिशत की दर से जुर्माने का भुगतान करने का दायी होगा।

लेखा पुस्तिकाएं इत्यादि न रखने पर जुर्माना

14. यदि कोई उत्पादक कम्पनी या यू0पी0सी0एल0 (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए)–

(क) लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखता है या इस अधिनियम के उपबन्धों या उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार विवरणी जमा नहीं करता है, या

(ख) झूठे लेखे, पंजियाँ या दस्तावेज प्रस्तुत करता है या जानबूझ कर झूठी सूचना प्रस्तुत करता है, या

(ग) संग्रहकर्ता, उप निरीक्षक या उप प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जानबूझ कर रुकावट डालता है, या इस धारा के खण्ड (क), (ख) अथवा (ग) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य के प्रचालन में किसी व्यक्ति को सहायता करता है या दुष्प्रेरित करता है तो उसे दोषसिद्धि पर जुर्माना किया जाएगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है।

मीटर इत्यादि पर छेड़छाड़ से जुर्माना

15. (1) जो कोई (उत्पादक कम्पनी के मामले में), बेईमानी से–

(क) मीटर से छेड़छाड़ करता है, छेड़छाड़ किए गए मीटर का उपयोग करता है, करेंट रिवर्सिंग ट्रांसफार्मर या लूप कनेक्शन का उपयोग करता है या किसी ऐसी अन्य युक्ति या तरीके का उपयोग करता है जो विद्युत करेंट के उचित रजिस्ट्रेशन, कैलिब्रेशन या मीटरिंग में हस्तक्षेप करता हो या अन्यथा ऐसा परिणाम देता हो जिससे उत्पादित विद्युत सही रूप से रिकार्ड न होती हो; या

(ख) विद्युत मीटर, उपकरणों को क्षति पहुंचाता हो, नष्ट करता हो या इस अधिनियम के उद्देश्य से विद्युत की उचित या सही मीटरिंग और रिकार्डिंग में हस्तक्षेप के लिए उनमें से किसी को क्षति पहुंचाने दे या नष्ट करने दे।

(ग) ऐसे साधनों का उपयोग करे जिनसे उत्पादित विद्युत की सही रीडिंग में व्यवधान होता हो, पर जुर्माना लगाया जाएगा जो कि प्रथम बार पकड़े जाने पर इस प्रकार प्राप्त न्यूनतम वित्तीय लाभ के बराबर होगा तथा दूसरी बार और उससे आगे पकड़े जाने पर जुर्माना इस उल्लंघन से प्राप्त वित्तीय लाभ के दोगुने से कम नहीं होगा।

(2) ऐसे वित्तीय लाभ की गणना के लिए यह माना जायेगा कि ऐसी उत्पादक कम्पनी लगातार निम्नलिखित अवधि से उत्पादन कर रही है–

(क) 10 मेगावाट से कम कुल संस्थापित क्षमता के मामले में एक वर्ष;

(ख) अन्य मामले में 2 वर्ष।

जब तक प्रतिकूल सिद्ध न हो जाए, परीक्षण या पकड़े जाना, जो पहले हो की तिथि के ठीक पहले यह भी मान लिया जाएगा कि ऐसी उत्पादक कम्पनी इस पूर्ण अवधि के दौरान अपनी पूर्ण संस्थापित क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन कर रही थी।

16. यदि यथास्थिति, उत्पादन कम्पनी या यू0पी0सी0एल0 (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय उपकर और जुर्माने का भुगतान डिमान्ड नोटिस जारी किए जाने की तिथि से 60 दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो संग्रहकर्ता या निरीक्षक या उपकर प्राधिकारी यथास्थिति, परियोजना/भवन या संस्थान को सील करेगा। उपकर तथा जुर्माने की वसूली होने तक सीलिंग प्रभावी रहेगी। सील करने की शक्ति

17. इस अधिनियम के अधीन जुर्माना लगाने के लिए संग्रहकर्ता या निरीक्षक या उपकर प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे। तथापि किसी व्यक्ति/संस्थान को सुनवाई का अवसर दिए बिना जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। जुर्माना लगाने के लिये सक्षम अधिकारी

18. (1) इस अधिनियम के अधीन उपकर या ब्याज या जुर्माने के रूप में देय सभी राशियों का भुगतान यदि निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है तो उसे बकाया माना जाएगा वसूली

और तथा उस पर उपकर के साथ ब्याज और इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत जुर्माना भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूली योग्य होगा।

(2) जहां कोई उत्पादक कम्पनी या यू०पी०सी०एल० (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) इस उपकर, जुर्माने या ब्याज के कारण किसी राशि का भुगतान करने का दायी है, तथा वह देय से कम राशि का भुगतान करता है तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि को पहले ब्याज के भुगतान हेतु उसके पश्चात् जुर्माना यदि कुछ शेष है और तत्पश्चात् उपकर यदि कुछ शेष है, के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

अपील

19. (1) धारा 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के अधीन संग्रहकर्ता के निर्णय से व्यथित कोई उत्पादक कम्पनी या यू०पी०सी०एल० (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए) ऐसे निर्णय की तिथि से साठ दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा नामित अपील प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा।

परन्तु यह कि धारा 16 के अधीन निर्धारण के आदेश के विरुद्ध किसी अपील पर राज्य सरकार द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि जिस सम्बन्ध में अपील की गई है, उस सम्बन्ध में संग्रहकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने के लिये निर्देशित पचास प्रतिशत उपकर के भुगतान का संतोषजनक प्रमाण अपील के साथ न लगाया जाए।

अपील प्राधिकारी, अपीलकर्ता को तथा उपकर प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित में कारण अभिलिखित कर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि उचित समझे तथा अपील प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार पारित आदेश अंतिम होगा जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित न किया जाए।

(2) जहां संग्रहकर्ता या निरीक्षक या उपकर प्राधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है, वहां राज्य सरकार अपने स्वयं के प्रस्ताव से या अन्यथा संग्रहकर्ता

या निरीक्षक या उपकर प्राधिकारियों द्वारा पारित किसी आदेश की तिथि से एक वर्ष के भीतर, किसी निर्णय या आदेश की वैधता और औचित्य तथा संग्रहकर्ता या निरीक्षक या उपकर प्राधिकारियों की कार्यवाहियों की नियमितता की संतुष्टि के उद्देश्य से कार्यवाहियों के अभिलेख मंगा सकेगी और उनकी जांच कर सकेगी तथा उन पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसे वह उचित समझे। अपने कार्यों के निष्पादन में अपील प्राधिकारी के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन प्रदत्त सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होंगी।

(3) अपील या पुनरीक्षण में राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में इस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

20. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माना, किसी अन्य अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में उसके अतिरिक्त होगा तथा किसी अपराध या देयताओं के अल्पीकरण में नहीं होगा। *अन्य देयताओं का जुर्माने से प्रभावित न होना*

21. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त संग्रहकर्ता, उप निरीक्षक या उप प्राधिकारी और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अधीन लोक सेवक माने जाएंगे। *अधिकारी एवं कर्मचारी लोक सेवक होंगे*

22. इस अधिनियम के उपबंधों या उनके अधीन निर्मित किन्हीं नियमों के अनुसरण में किए गए या किए जाने के लिए आशयित सद्भाव में किए गए किसी कार्य के लिए इस अधिनियम के अधीन संग्रहकर्ता/निरीक्षक के विरुद्ध वाद, अभियोजन या विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। *क्षतिपूर्ति*

23. उस सम्बन्ध में किसी न्यायालय की किसी प्रकार की अधिकारिता नहीं होगी जिसमें इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार या कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी इसका संज्ञान लेने व इसके निपटारे के लिए सक्षम किया गया है तथा जिस तरीके से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी उसमें विहित शक्ति का प्रयोग कर सकेगा। *अधिकारिता पर रोक*

24. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा सामान्य रूप से नियम बना सकेगी। *नियम*

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना नियम निम्नलिखित में से किसी या सभी मामलों के लिए उपबंध कर सकेंगे–

(क) धारा 3 की उपधारा (3) और धारा 4 के अधीन उपकर के उद्ग्रहण और संग्रह का तरीका और दर;

(ख) धारा 10 के अधीन उपकर प्राधिकारियों की अन्य शक्तियां और कर्तव्य;

(ग) लेखा पुस्तिकाएं और विवरणी रखने का तरीका और रूप तथा धारा 11 के अधीन विवरणी जमा करना;

(घ) संग्रहकर्ता द्वारा निर्धारण करने का तरीका;

(ङ) धारा 13 के अधीन देय साधारण ब्याज की दर; या

(च) ऐसे अन्य मामले जो इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किए जाएं या किए जा सकेंगे।

(3) इस धारा के अधीन निर्मित नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन सरकारी गजट में प्रकाशित किए जाएंगे;

परन्तु यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिसके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह इस धारा के अधीन बनाए जाने वाले नियम के लिए पूर्व प्रकाशन को हटा सकती है।

(4) इस धारा के अधीन निर्मित सभी नियम निर्मित होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे।

(5) राज्य विधान सभा द्वारा किया गया कोई विखण्डन या परिवर्तन सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा और तत्पश्चात् प्रभावी होगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

25. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार सरकार गजट में सामान्य या विशेष आदेश प्रकाशित कर ऐसे उपबंध बना सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों तथा कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से दो वर्ष समाप्त होने के पश्चात् ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–25 प्रस्तावना शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस विधेयक पर संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है।

(किसी भी माननीय सदस्य ने संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–41, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या– वर्ष 2014)

राज्य में रज्जुमार्ग के सन्निर्माण, संचालन और अनुरक्षण को प्राधिकृत करने, सहयोग करने और विनियमित करने के लिए

विधेयक

उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा भारतीय गणतंत्र के पैसठवें वर्ष में निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ या विषय से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "लागू विधि" से भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा लागू और प्रभावी सभी विधियां अभिप्रेत हैं और इसमें उनके अधीन बनाए गए नियम, विनियम और अधिसूचनाएं तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जैसा प्रभावी किया जाए, किसी न्यायालय के निर्णय, अधिनिर्णय, निषेधाज्ञाएं, याचिका और आदेश सम्मिलित हैं;

(ख) "वाहक" से कोई ऐसा वाहन या पात्र अभिप्रेत है, जो किसी रज्जु से टंगा हुआ या लटका हो या उससे खींचा जाता हो और यात्रियों, पशुओं या माल के परिवहन के लिए या रज्जुमार्ग के संचालन से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता हो;

(ग) "मुख्य निरीक्षक" और "जिला निरीक्षक" से इस अधिनियम के अधीन क्रमशः राज्य के लिए नियुक्त मुख्य निरीक्षक और जिले के लिए नियुक्त जिला निरीक्षक अभिप्रेत है;

(घ) "कलेक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी भी सम्मिलित है, जो इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया गया हो;

(ड) "संस्था" से संगत कानूनों के अधीन गठित कोई कम्पनी, ट्रस्ट, सोसाईटी, फर्म और/अथवा निगमित निकाय अथवा कोई अन्य संगठन अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" अथवा "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "अनुज्ञा" से इस अधिनियम के अधीन किसी रज्जुमार्ग के सन्निर्माण, संचालन और अनुरक्षण के लिए प्रदत्त कोई प्राधिकार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व विद्यमान किसी रज्जुमार्ग के संचालन और अनुरक्षण की निरन्तरता के लिए प्रदत्त कोई प्राधिकार सहित ऐसा प्राधिकार सम्मिलित है, जो ऐसे प्राधिकार की प्रतिस्थापना अथवा संशोधन अथवा विस्तार हेतु प्रदत्त हो;

(ज) "व्यक्ति" से कोई नैसर्गिक व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) "खंभा" से किसी खंभा, टकटकी, धानी, टेक, ठहराव अथवा किसी रज्जु को ढोने, लटकाने अथवा सहारे के लिए कोई युक्ति अभिप्रेत है;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "प्रायोजक" से निम्न अभिप्रेत है–

(एक) राज्य सरकार;

(दो) राज्य सरकार का कोई अभिकरण अथवा विभाग;

(तीन) कोई व्यक्ति अथवा संस्था जिसे लागू विधि के अनुसार राज्य सरकार द्वारा चयनित किया गया हो;

(चार) कोई व्यक्ति अथवा संस्था जो स्वयं इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को किसी विद्यमान रज्जुमार्ग का स्वामी हो एवं/अथवा उसके संचालन से सम्बन्धित हो, और जिसे धारा 10 अथवा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गई हो अथवा जिसे किसी रज्जुमार्ग के सन्निर्माण, अनुरक्षण और संचालन के बारे में प्रायोजक को प्रदत्त अधिकार और अधिरोपित दायित्व प्राप्त हुए हों;

(ढ) "लोक रज्जुमार्ग" से कोई रज्जुमार्ग, जो यात्रियों, पशुओं अथवा सामान अथवा इनमें से किसी के सार्वजनिक परिवहन के लिए है, अभिप्रेत है;

(ब) "पीपीपी" से लोक निजी सहभागिता अभिप्रेत है;

(ड) "दर" से यात्री, पशुओं अथवा सामग्री के परिवहन के लिए लिया जाने वाला कोई किराया, अधिभार अथवा कोई अन्य भुगतान अभिप्रेत है,

(ण) "रज्जु" में कोई केबिल, तार, रेल अथवा मार्ग, चाहे लचीला अथवा सख्त हो, किसी वाहक को लटकाने या खींचने अथवा रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, सम्मिलित है;

(त) "रज्जुमार्ग" से यात्रियों, पशुओं या सामान के व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाला रज्जुमार्ग अभिप्रेत है और इसमें चौकी, रज्जु, वाहक, स्टेशन, कार्यालय, भंडारागार, कार्यशाला, मशीन और जहाँ वाहक के पहिये पृथ्वी पर रेलों के ऊपर दौड़ते हैं, ऐसी रेल सहित रज्जुमार्ग के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले अन्य सभी कार्य तथा सम्बद्ध भूमि सम्मिलित हैं;

(थ) "राज्य" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है; और

(द) "उपक्रम" से प्रायोजक की ऐसी सभी स्थावर तथा जंगम सम्पत्ति अभिप्रेत है, जो रज्जुमार्ग के लिए उपयुक्त है और उसके प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्रयोग की जाती है।

अध्याय–दो

अनुज्ञा प्राधिकारी और उसका अधिष्ठान

3. इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा स्वीकृत करने की शक्ति के लिए प्राधिकारी (जिसे यहां आगे अनुज्ञा अधिकारी कहा गया है), निम्नलिखित सदस्यों से संरचित एक सशक्त समिति होगी– अनुज्ञा प्राधिकारी

(1)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, लो०नि०वि०	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन	सदस्य
(4)	प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मंडल विकास निगम	सदस्य
(5)	प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मंडल विकास निगम	सदस्य
(6)	सम्बन्धित जिलाधिकारी	सदस्य
(7)	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(8)	प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड ऊर्जा निगम	सदस्य
(9)	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक), लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(10)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य विशेषज्ञ	सदस्य
(11)	मुख्य रज्जु मार्ग निरीक्षक	सदस्य सचिव

4. (1) राज्य सरकार, रज्जुमार्ग के लिए ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, राज्य स्तर के लिए मुख्य निरीक्षक और रज्जुमार्ग के लिए व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझे, स्थानीय स्तर पर अन्य निरीक्षक (जिसे यहां आगे "जिला निरीक्षक" कहा गया है), नियुक्त कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन उनके दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रायोजक से अधिभार के रूप में जैसा विहित किया जाए, शुल्क नियत कर सकेगी। कतिपय निरीक्षकों, अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियाँ व कर्तव्य

(2) मुख्य निरीक्षक और जिला निरीक्षक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों और दायित्वों का निर्वहन करेगा, जैसा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विहित किया जाए। ऐसे निरीक्षक का यह दायित्व भी होगा कि वह रज्जुमार्ग का समय-समय पर और मुख्य निरीक्षक के सम्बन्ध में न्यूनतम वर्ष में एक बार और जिला निरीक्षक के सम्बन्ध में प्रत्येक छः माह में एक बार निरीक्षण करें और

यह अवधारित करे कि रज्जुमार्ग, प्रयोग करने वाले व्यक्तियों तथा जन-सामान्य और इस अधिनियम के उपबंधों के संगत सम्यक सुरक्षा और सुविधा के साथ ठीक स्थिति में अनुरक्षित है, और कार्य कर रहा है।

(3) मुख्य निरीक्षक और जिला निरीक्षक, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत और अपेक्षित दायित्वों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए जैसा भारतीय दंड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45 वर्ष 1860) में परिभाषित किया गया है, लोक सेवक समझे जाएंगे।

(4) प्रायोजक और उसके कर्मचारी तथा प्रतिनिधि मुख्य निरीक्षक और जिला निरीक्षक को इस अधिनियम द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समस्त समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

(5) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए दायित्वों के निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने हेतु विशेषज्ञ, परामर्शी, सलाहकार और अन्य अधिकारी जैसा वह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

अध्याय–तीन

प्रक्रिया और प्रारम्भिक जांच

रज्जुमार्ग के अनाधिकृत सन्निर्माण, अनुरक्षण इत्यादि का निषेध

5. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण के सिवाय राज्य में किसी अन्य प्रकार से रज्जुमार्ग का सन्निर्माण, प्रारम्भ, अनुरक्षण अथवा संचालन नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति और/अथवा संस्था जिसे राज्य के किसी भाग में रज्जुमार्ग अथवा जिसे रज्जुमार्ग के संचालन की स्वीकृति इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्राप्त हुई है, चाहे वह जनता के लिए, निजी अथवा औद्योगिक प्रयोजन के लिए हो, उपधारा (3) के अनुसरण में इस सन्दर्भ में उसके द्वारा आवेदन किए जाने पर और ऐसी जांच के पश्चात् जैसा आवश्यक हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में, ऐसे रज्जुमार्ग के विकास/संचालन की निरन्तरता के लिए, अनुज्ञा द्वारा, अधिकृत किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन आवेदन इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर सम्बन्धित रज्जुमार्ग के सम्बन्ध में ऐसे प्रारूप पर और ऐसी रीति से तथा ऐसे तकनीकी और अन्य विवरणों के साथ जैसा विहित किया जाए, अनुज्ञा प्राधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृत किसी अनुज्ञा अथवा इस उपधारा के अधीन दिए गए कोई अन्य आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अथवा संस्था आदेश की तारीख से 60 दिन के अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और वह ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझे।

(5) उपधारा (1) में उपबन्धित किसी बात का उपधारा (2) में संदर्भित रज्जुमार्ग के संचालन की निरन्तरता पर, उपधारा (3) के अधीन दिए गए आवेदन की अवधि के दौरान अथवा उस तिथि तक के लिए जब तक कि ऐसा आवेदन किए जाने पर संगत उपधारा के अधीन अनुज्ञा की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति सम्बन्धी आदेश अन्तिम नहीं हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. किसी इच्छुक प्रायोजक द्वारा प्रस्तावित रज्जुमार्ग के सम्बन्ध में आवश्यक प्रारम्भिक अनुसन्धान की अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र ऐसे प्रारूप पर जैसा विहित किया जाए, अनुज्ञा प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। अनुसन्धान के लिए अनुमति हेतु आवेदन

7. धारा 6 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक आवेदन पत्र में प्रस्तावित रज्जुमार्ग से सम्बन्धित सभी सूचनाएं दी जाएंगी जिसमें निम्न सम्मिलित होंगे– आवेदन पत्र के विवरण

(क) किसी रज्जुमार्ग के प्रयोजन के लिए उपयुक्त एवं प्रयोग की जाने वाली प्रायोजक की समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्तियों तथा प्रस्तावित रज्जुमार्ग द्वारा अपनाए जाने वाले मार्ग का विवरण,

(ख) सन्निर्माण और प्रबन्धन की रीति तथा ऐसे रज्जुमार्ग से समुदाय को होने वाले लाभों का विवरण,

(ग) उसके सन्निर्माण में आने वाले मूल्य के आंकलन का विवरण,

(घ) क्रियान्वयन और सम्भावित लाभ के आकलन का विवरण,

(ङ) अधिकतम प्रस्तावित दरों का विवरण, और

(च) ऐसे नक्शे, योजना, सेक्शन, चित्रण और अन्य सूचनाएं जैसी विहित की जाए तथा अन्य ऐसी सूचनाएं जिन्हें अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा रज्जुमार्ग की योजना को समझने के लिए अपेक्षा की जाए, का विवरण।

प्रारम्भिक अनुसन्धान की स्वीकृति

8. (1) अनुज्ञा प्राधिकारी अथवा जहां जंगम सम्पत्तियाँ इच्छुक प्रायोजक से सम्बन्धित न हो, वहां राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा भू–अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्यधीन जैसा ऐसे रज्जुमार्ग को बनाए जाने के लिए आवश्यक समझे, प्रायोजक को सर्वेक्षण की अनुमति प्रदान कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व अनुज्ञा प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार जैसी स्थिति हो, प्रस्तावित प्रायोजक से ऐसे विस्तृत आकलन, योजना, स्वीकृति और विशिष्टियों के विवरण की अपेक्षा कर सकेगा और प्रस्ताव के पूर्ण विचार के लिए ऐसी अग्रेतर सूचना, जैसा वह आवश्यक समझे, की भी अपेक्षा कर सकेगा।

(3) प्रस्तावित प्रायोजक आवेदन पत्र की अस्वीकृति पर इस धारा के अधीन हुए किसी व्यय के लिए राज्य सरकार से किसी प्रतिपूर्ति के दावे के लिए पात्र नहीं होगा।

अध्याय–चार

रज्जुमार्ग का सन्निर्माण

सन्निर्माण हेतु अपेक्षित प्रस्तावित अनुज्ञा और ऐसी अनुज्ञा के विवरण का प्रकाशन

9. (1) अनुज्ञा प्राधिकारी प्रस्तावित इच्छुक प्रायोजक द्वारा दिए गए किसी आवेदन पत्र और धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में दिए गए विवरण पर सम्यक विचार करने के पश्चात्, न्यूनतम एक व्यापक प्रसारण वाले स्थानीय समाचार पत्र में तथा राज्य में व्यापक प्रसारण वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में, प्रायोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से

सन्निर्माण किए जाने के लिए प्रस्तावित अनुज्ञा का आलेख ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर जैसा अनुज्ञा प्राधिकारी उचित समझे, प्रकाशित किया जाएगा।

(क) यात्रियों के लोक परिवहन के लिए,

(ख) यात्रियों और सामग्री के लोक परिवहन के लिए,

(ग) पशुओं और सामग्री के लोक परिवहन के लिए,

(घ) यात्रियों, पशुओं और सामग्री के लोक परिवहन के लिए,

(ङ) निजी अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए।

(2) नोटिस, अनुज्ञा के आलेख सहित इस सूचना के साथ प्रकाशित किया जाएगा कि प्रस्तावित अनुज्ञा के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति अनुज्ञा प्राधिकारी को 30 दिनों के भीतर कोई आपत्ति देता है तो उसे प्राप्त एवं विचारित किया जाएगा।

(3) अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के भीतर अथवा प्रश्नगत मार्ग के किसी सहज दृश्य भाग पर, अनुज्ञा की स्वीकृति प्रदान करने की मंशा सहित सार्वजनिक नोटिस, चस्पा कर दिया जाएगा और यथासम्भव रज्जुमार्ग के संरेखण के नीचे पड़ने वाली भूमि के प्रत्येक स्वामी अथवा कब्जाधारी को भी इसी प्रकार का नोटिस तामील किया जाएगा तथा प्रस्तावित अनुज्ञा के सम्बन्ध में उपधारा (2) में विहित अवधि के भीतर प्राप्त आपत्ति अथवा सुझाव पर विचार कर उस पर निर्णय लिया जाएगा।

(4) प्रस्तावित अनुज्ञा के आलेख में प्रस्तावित रज्जुमार्ग के सम्बन्ध में ऐसे विवरण होंगे, जैसा विहित किया जाए।

10. (1) धारा 9 की उपधारा (2) में निर्धारित अवधि की समाप्ति के पूर्व आलेख के सम्बन्ध में की गई आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करने के पश्चात् यदि अनुज्ञा प्राधिकारी की राय में संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन, किन्हीं निर्बन्धनों अथवा शर्तों के अधीन, आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है, तो वह तद्नुसार अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा। अनुज्ञा की स्वीकृति

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वीकृत किसी रज्जु मार्ग के सन्निर्माण हेतु प्रत्येक अनुज्ञा ऐसे प्रारूप पर जैसा विहित किया जाए, राज्य सरकार की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

धारा 10 के अधीन अनुज्ञा द्वारा दी गई शक्तियों की समाप्ति

11. यदि धारा 10 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा द्वारा अधिकृत प्रायोजक द्वारा अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे रज्जुमार्ग का सन्निर्माण, अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रगति की समय–सारिणी के अनुरूप नहीं किया जाता है तो ऐसी अनुज्ञा द्वारा प्रायोजक को दी गई शक्तियां, यदि अनुज्ञा प्राधिकारी की ओर से प्रायोजक को विनिर्दिष्ट समय को विस्तारित करने के आवेदन पर सहमति प्रदान नहीं की जाती, समाप्त हो जाएगी;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन दिए गए आवेदन पत्र को यदि अनुज्ञा प्राधिकारी खारिज कर देता है तो वह इस संदर्भ में, लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए, आदेश जारी करेगा।

अनुज्ञा का प्रत्याहरण और अग्रेत्तर अनुज्ञा की स्वीकृति

12. (1) अनुज्ञा प्राधिकारी, प्रायोजक के आवेदन पर, आदेश द्वारा, अनुज्ञा का प्रत्याहरण, संशोधन अथवा विस्तारण अग्रेत्तर अनुज्ञा द्वारा कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के संशोधन अथवा विस्तारण के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन की उसी रीति और उन्हीं शर्तों के अध्यधीन आवेदन किया जाएगा जैसा अनुज्ञा के लिए किया जाता है।

(3) यदि अनुज्ञा प्राधिकारी किसी आवेदन पत्र को स्वीकार करता है तो आदेश द्वारा अनुज्ञा का प्रत्याहरण करेगा अथवा, जैसी स्थिति हो, अग्रेत्तर अनुज्ञा की स्वीकृति उसी रीति से प्रदान करता है तो ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन पत्र में आवेदित अधिकार, शक्तियां और प्राधिकारिता में वृद्धि, संशोधन अथवा प्रतिबंधन प्रायोजक की लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।

अध्याय–पांच

रज्जुमार्ग का निरीक्षण

प्रारम्भ किये जाने के पूर्व रज्जुमार्ग का निरीक्षण

13. (1) किसी रज्जुमार्ग को किसी प्रकार के यातायात के लिए तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसे इस प्रयोजन से प्रारम्भ किए जाने की अनुमति अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा न दे दिया जाए। इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक मुख्य निरीक्षक अनुज्ञा प्राधिकारी को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत न कर दे कि–

(क) रज्जुमार्ग और उसके उपस्करों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर लिया गया है;

(ख) चलने वाले अथवा नियत आयाम और अन्य शर्तें जैसा विहित किया जाए, का अनुपालन कर लिया गया है;

(ग) रज्जुमार्ग प्रस्तावित यातायात हेतु पर्याप्त रूप से सुसज्जित है;

(घ) अनुज्ञा की शर्तों और प्रतिबन्धों का पालन कर लिया गया है;

(ङ) रज्जुमार्ग के संचालन द्वारा जनित प्रदूषण अथवा सम्भावित प्रदूषण, की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसकी राय में पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं; और

(च) उसकी राय में यातायात के लिए रज्जुमार्ग सही है और उसका प्रयोग करने वालों, उसके कर्मचारियों अथवा सामान्य जनता के प्रयोग करने में किसी प्रकार का खतरा नहीं है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध, रज्जुमार्ग के अतिरिक्त अनुभागों को प्रारम्भ किए जाने हेतु, कोई परिवर्द्धन व पुनः निर्माण जिससे संरचनात्मक स्वरूप पर कोई प्रभाव पड़ता हो अथवा ऐसे कार्य जिन पर उपधारा (1) के उपबन्ध लागू होते हों, पर भी लागू होंगे। धारा 5 की उपधारा (2) में संदर्भित रज्जुमार्ग की निरंतरता के सम्बन्ध में भी उक्त उपबन्ध लागू होंगे।

अध्याय–छः

लोक रज्जुमार्ग का सन्निर्माण और अनुरक्षण

14. निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा– जिला स्तरीय समिति का गठन

(क)	जिला अधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(ग)	प्रभागीय वनाधिकारी (सम्बन्धित वन प्रभाग का)	सदस्य
(घ)	उप जिलाधिकारी (सम्बन्धित क्षेत्र का)	सदस्य
(ङ)	जिला रज्जुमार्ग निरीक्षक	सचिव सदस्य
(च)	अन्य कोई सदस्य जिसे जिलाधिकारी आमंत्रित करें।	सदस्य

जिला स्तरीय समिति के कृत्य

15. (1) राज्य सरकार अथवा उसके किसी विभाग अथवा अभिकरण अथवा किसी संस्था/व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी रज्जुमार्ग की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु चयनित किया गया हो, द्वारा क्रियान्वित की जा रही रज्जुमार्ग परियोजना के संदर्भ में अथवा यदि कोई रज्जुमार्ग परियोजना निजी लोक सहभागिता के आधार पर क्रियान्वित की जानी हो तो समिति निम्नलिखित कृत्यों अथवा ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए–

(क) वन भूमि के हस्तान्तरण और अनापत्ति प्रक्रिया में सहयोग,

(ख) निजी भूमि अधिग्रहण/भूमि खरीद और भूमि पंजीकरण में सहायता,

(ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कराने में सहायता,

(घ) रज्जु मार्ग परियोजना को विद्युत और जलापूर्ति प्राप्त कराने में सहायता,

(ङ) संलग्न मार्ग में पड़ने वाले ट्रांसमिशन लाइन, विद्युत पोल, पाइप लाइन इत्यादि के दिशा परिवर्तन में सहायता,

(च) परियोजना में निहित पुनर्स्थापन और पुनर्वास से सम्बन्धित पहलुओं में यदि कोई हो, सहायता प्रदान करना,

(छ) प्रायोजक को जिला स्तर पर अनापत्ति प्रदान करने के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करना, और

(ज) अनुज्ञा की शर्तों के आलोक में परियोजना की प्रगति की समीक्षा करना तथा राज्य सरकार को द्वि–मासिक आधार पर प्रगति के सम्बन्ध में आख्या देना।

कार्य निष्पादित करने के लिए प्रायोजक की अधिकारिता

16. (1) इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन तथा ऐसी जंगम सम्पत्ति जो किसी मामले में प्रायोजक की नहीं है, के संदर्भ में सार्वजनिक उपयोग अथवा कम्पनी के लिए भू अर्जन सम्बन्धी तत्समय लागू किसी कानून के अध्यधीन–

(क) ऐसा सर्वे जैसा आवश्यक समझे, कर सकेगा;

(ख) किसी रज्जु को जंगम सम्पत्ति के ऊपर, साथ अथवा आर–पार स्थापित और अनुरक्षित कर सकेगा;

(ग) किसी रज्जु को जंगम सम्पत्ति के ऊपर, साथ अथवा आर–पार प्रलम्बित और अनुरक्षित कर सकेगा;

(घ) पुल, कल्वर्ट, नालियां, बांध और सड़कें जैसा आवश्यक समझा जाए, बना सकेगा;

(ङ) ऐसी मशीन, कार्यालय, स्टेशन, अनुरक्षण घर और अन्य भवन का कार्य और सुविधाएं, जैसा आवश्यक समझा जाए, का परिनिर्माण और सन्निर्माण कर सकेगा;

(च) सार्वजनिक रज्जुमार्ग के सन्निर्माण, अनुरक्षण, परिवर्द्धन, मरम्मत और प्रयोग के लिए आवश्यक सभी कृत्य कर सकेगा।

(2) अनुज्ञा प्राधिकारी के द्वारा आपत्तियों अथवा सुझावों, यदि कोई हो, पर विचार करने और धारा 10 के अधीन अनुज्ञा की स्वीकृति प्रदान करने के अनुक्रम में प्रायोजक, प्रभावित सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी की आपत्तियां होते हुए भी, खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के अधीन कोई कार्रवाई कर सकेगा।

(3) कलक्टर, प्रभावित सम्पत्ति के मालिक को प्रायोजक द्वारा भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति अथवा वार्षिक किराया अथवा दोनों की ऐसी धनराशि, जो उसकी राय में भुगतान की जानी चाहिये, निर्धारित करेगा अथवा जंगम सम्पत्ति के मामले में उसके स्वामी या अध्यासी या उस पर कोई हितबद्ध व्यक्ति और प्रत्येक को भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण करेगा।

(4) इस प्रकार किए जाने वाले आदेश द्वारा क्षतिपूर्ति की ऐसी धनराशि अथवा प्रथम वार्षिक किराया भुगतान किए जाने के लिए तारीख भी नियत किया जाएगा।

17. (1) प्रायोजक इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन किसी भी समय लोक रज्जुमार्ग के परीक्षण अथवा मरम्मत के प्रयोजन के लिए अथवा किसी दुर्घटना को रोकने के लिए रज्जुमार्ग से संलग्न किसी जंगम सम्पत्ति में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसे सभी कार्य कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे। रज्जुमार्ग से संलग्न जंगम सम्पत्ति में अस्थाई प्रवेश

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके प्रायोजक अथवा उसके द्वारा सम्यक रूप से, जैसी स्थिति हो, प्राधिकृत कर्मचारी अथवा प्रतिनिधि, यथासम्भव न्यूनतम क्षति कारित करेगा तथा उसके द्वारा ऐसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा, और ऐसी क्षतिपूर्ति की धनराशि के सम्बन्ध में अथवा जिसे वह धनराशि भुगतान की जानी है, के सम्बन्ध में कोई विवाद होने की दशा में मामला निर्णय हेतु कलक्टर को संदर्भित किया जाएगा।

बाधाओं का निवारण

18. (1) जब कोई ढांचा लोक रज्जुमार्ग के निकट खड़ा अथवा पड़ा हो अथवा धारा 10 के अधीन दी गयी अनुज्ञा के उपरान्त, कोई वस्तु रज्जुमार्ग के निकट स्थापित अथवा रखी गई हो और वह ऐसे रज्जुमार्ग के संनिर्माण, अनुरक्षण अथवा प्रयोग में कठिनाई अथवा बाधा उत्पन्न कर रहा हो अथवा उससे कठिनाई या बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो, तो कलक्टर, प्रायोजक के आवेदन पर, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए ढांचे अथवा वस्तु को हटवाएगा अथवा अन्यथा जैसा वह ठीक समझे, व्यवस्था करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र के निस्तारण के समय कलक्टर हितबद्ध व्यक्ति को ऐसी क्षतिपूर्ति दिला सकेगा जैसा वह ठीक समझे और कलक्टर ऐसी धनराशि को प्रायोजक से भू-राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल कर सकेगा।

अध्याय-सात

रज्जुमार्ग की कार्य प्रणाली

प्रायोजक दरें निर्धारित कर सकेगा

19. प्रायोजक को, किसी लोक रज्जुमार्ग के संचालन के प्रयोजन से और अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा विहित ऐसी अधिकतम दरों के अध्यधीन, यात्रियों, पशुओं अथवा सामग्री को रज्जुमार्ग से परिवहन करने के लिए, समय-समय पर शुल्क को नियत कर सकेगा।

प्रायोजक का बिना किसी भेद-भाव के रज्जुमार्ग संचालन करने का दायित्व

20. कोई प्रायोजक किसी व्यक्ति विशेष अथवा यातायात की किसी श्रेणी के पक्ष में अनुचित व अदेय प्राथमिकता अथवा लाभ नहीं देगा अथवा किसी व्यक्ति विशेष या यातायात की किसी श्रेणी को अदेयता अथवा अलाभ की स्थिति में नहीं डालेगा।

21. किसी रज्जुमार्ग के संचालन के दौरान हुई किसी दुर्घटना में प्रायोजक बिना किसी विलम्ब के दुर्घटना की सूचना– *दुर्घटना की रिपोर्ट*

(एक) राज्य सरकार को,

(दो) अनुज्ञा प्राधिकारी और जिला रज्जुमार्ग निरीक्षक को,

(तीन) जिले के कलक्टर को,

(चार) जहां दुर्घटना घटित हुई हो, तो सम्बन्धित स्थानीय सीमा के भीतर के पुलिस स्टेशन को देगा।

अथवा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को भी सूचित करेगा। यदि दुर्घटना में मानवीय क्षति हुई हो अथवा किसी मानव को गम्भीर शारीरिक चोट आई हो तो उसकी सूचना निकटतम चिकित्सालय को भी भेजी जाएगी।

21. क (1) रज्जुमार्ग का प्रयोग करने में हुई किसी दुर्घटना के फलस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा अस्थाई रूप से निःशक्त होने पर अथवा पशु अथवा सम्पत्ति की क्षति पर रज्जुमार्ग के प्रायोजक अथवा संयुक्त प्रायोजक संयुक्त रूप से अथवा पृथक–पृथक रूप से किसी व्यक्ति की ऐसी मृत्यु अथवा निःशक्तता अथवा पशु अथवा सम्पत्ति की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। *'कोई त्रुटि नहीं' के सिद्धान्त पर क्षतिपूर्ति के भुगतान का दायित्व*

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थाई निःशक्तता अथवा लघु चोट के मामले में अथवा पशुओं की क्षति के मामले में अथवा सम्पत्ति की क्षति या नुकसान होने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।

(3) उपधारा (1) के अधीन क्षतिपूर्ति के लिए, कोई दावा, न तो इस आधार पर कि किसी व्यक्ति अथवा पशुधन की स्वयं की त्रुटि के फलस्वरूप जिसमें वह मृत्यु अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हो गया हो, के सम्बन्ध में, खारिज किया जाएगा और न तो क्षतिपूर्ति की मात्रा को इस आधार पर कम किया जाएगा कि ऐसी मृत्यु अथवा स्थाई रूप से निःशक्तता, में उस व्यक्ति अथवा पशुधन की कितनी जिम्मेदारी थी।

(4) इस धारा के अधीन क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थाई निःशक्तता अथवा पशु की क्षति के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन क्षतिपूर्ति के दावे के सम्बन्ध में दिए गए अधिकारों के अतिरिक्त होंगे,

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन भुगतान किए जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि में किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति के लिए किसी अन्य विधि के अधीन भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि घटा दी जाएगी।

रज्जुमार्ग को बन्द करने और पुनः खोलने की शक्ति

22. (1) यदि किसी यातायात के लिए खुले रज्जुमार्ग के निरीक्षण के पश्चात् जिला निरीक्षक की राय में, रज्जुमार्ग अथवा उसके किसी विशिष्ट भाग को किसी खतरे के बिना, सार्वजनिक उपयोग में लाया नहीं जा सकता अथवा वह यातायात के किसी विशिष्ट श्रेणी के परिवहन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो जिला निरीक्षक अपनी राय, आधार सहित अनुज्ञा प्राधिकारी को दे सकता है और अनुज्ञा प्राधिकारी, अग्रेतर जांच, जैसा वह ठीक समझे, के पश्चात् यह आदेश दे सकता है कि रज्जुमार्ग अथवा उसके विनिर्दिष्ट कोई भाग को समस्त यातायात के लिए अथवा यातायात की किसी श्रेणी के लिए बन्द कर दिया जाए;

परन्तु यह कि, किसी अत्यन्त आवश्यक स्थिति में, जिला निरीक्षक रज्जुमार्ग अथवा उसके किसी भाग को जैसा आवश्यक समझे, अनुज्ञा प्राधिकारी के आदेश मिलने के दौरान, निलम्बित कर सकेगा। जिला निरीक्षक इसके साथ ही अनुज्ञा प्राधिकारी के लिए अपने ऐसे आदेश सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करेगा, जो उस पर सात दिवस की अवधि के भीतर आवश्यक आदेश देगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन किसी रज्जुमार्ग या उसके किसी भाग को किसी यातायात के लिए बन्द कर दिया गया हो तो रज्जुमार्ग को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि इसका निरीक्षण नहीं कर लिया जाता है और इसके खोलने की अनुमति विहित रीति से प्राप्त नहीं कर ली जाती है।

अध्याय–आठ

रज्जुमार्ग का बन्द किया जाना

23\. यदि किसी रज्जुमार्ग के खोलने के पश्चात् किसी समय पर यह सिद्ध हो जाता है कि प्रायोजक द्वारा ऐसे रज्जुमार्ग अथवा उसके किसी भाग को बिना किसी पर्याप्त कारण के बन्द कर दिया है और अनुज्ञा प्राधिकारी की राय में ऐसा बन्द किया जाना उचित नहीं है तो अनुज्ञा प्राधिकारी, यदि वह ठीक समझे, तो प्रायोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए यह घोषणा कर सकेगा कि प्रायोजक की शक्तियां ऐसे रज्जुमार्ग अथवा ऐसे किसी भाग के सम्बन्ध में ऐसी तारीख से जिसे वह अवधारित करें, समाप्त हो जाएंगी। — रज्जुमार्ग के बन्द हो जाने पर प्रायोजक की शक्तियों का समाप्त हो जाना

टिप्पणी:–किसी रज्जुमार्ग के धारा 10 के अधीन स्वीकृत अनुज्ञा में अवधारित अवधि के लिए अथवा यदि अवधि निर्धारित नहीं की गई है, तो तीन माह के लिए संचालित न करने की दशा में रज्जुमार्ग बन्द समझा जाएगा।

24\. (1) किसी रज्जुमार्ग अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में धारा 23 के अधीन अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा कोई घोषणा किए जाने की स्थिति में अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा उक्त आदेश द्वारा नियत तिथि से दो माह की समाप्ति पर ऐसे रज्जुमार्ग अथवा उसके किसी भाग को, जैसी स्थिति हो, हटाया जा सकेगा और प्रायोजक इस प्रकार नियुक्त अधिकारी को रज्जुमार्ग हटाने का ऐसा व्यय जो उस अधिकारी के द्वारा स्वयं व्यय करना अधिप्रमाणित किया गया हो, का भुगतान करेगा। — किसी रज्जुमार्ग के प्रायोजक की शक्तियों की समाप्ति को हटाये जाने की अनुज्ञा प्राधिकारी की शक्तियां

(2) इस प्रकार अधिप्रमाणित व्यय की गई धनराशि के अधिप्रमाणन की प्रति अथवा उसकी प्रति उसे उपलब्ध कराने के एक माह के भीतर भुगतान करने से यदि कोई प्रायोजक असफल रहता है तो ऐसा अधिकारी प्रायोजक को सम्यक् सूचना देते हुए, किन्तु कोई अन्य अनुतोष की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसको उक्त धनराशि की वसूली के लिए आवश्यक है, लोक नीलामी द्वारा अथवा निजी

बिक्री द्वारा रज्जुमार्ग अथवा उसके किसी भाग की सामग्री को विक्रय अथवा निस्तारण कर सकेगा। विक्रय की प्रक्रिया में से उक्तवत् अवधारित मूल्य की धनराशि को उसके द्वारा भुगतान और प्रतिपूर्ति के पश्चात् विक्रय का मूल्य प्रायोजक को ऐसी प्रक्रिया के फलस्वरूप भुगतान कर दी जाएगी।

अध्याय–नौ

रज्जुमार्गों का क्रय

राज्य सरकार और उसके विभागों तथा अभिकरणों को रज्जुमार्गों को क्रय करने की शक्ति

25. (1) जहां प्रायोजक राज्य सरकार है वहां राज्य सरकार किसी भी समय उपक्रम अथवा उसके किसी भाग को निम्न को अन्तरित कर सकेगी:

(क) उसके विभागों तथा अभिकरणों को ऐसे विभागों अथवा अभिकरणों की सहमति से निर्धारित ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के आधार पर; अथवा

(ख) राज्य सरकार और अन्तरिती के मध्य हुए आपसी सहमति से निर्धारित ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन लागू विधि के अनुसार चयनित किसी अन्य व्यक्ति को।

(2) जहां प्रायोजक राज्य सरकार अथवा उसके अभिकरण अथवा विभाग नहीं है, वहीं राज्य सरकार स्वविवेक से–

(क) अनुज्ञा में इस सम्बन्ध में विहित समय के अन्दर तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के आधार पर अथवा

(ख) धारा 23 के अधीन किसी अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् दो माह के भीतर अथवा धारा 27 के अधीन किसी अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् छः माह के भीतर।

प्रायोजक को रज्जु मार्ग अथवा उसके किसी भाग का विक्रय राज्य सरकार को अथवा उसके किसी अभिकरण अथवा विभाग को किए जाने हेतु लिखित सूचना दे सकेगा और उसके पश्चात् प्रायोजक

अनुज्ञा में विहित शर्तों पर अथवा यदि अनुज्ञा में शर्तें विहित नहीं हैं तो ऐसी शर्तें जैसा इस सम्बन्ध में विहित किया जाए, पर विक्रय कर सकेगा।

(3) उपधारा 2) के अधीन प्रायोजक को राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा अभिकरण को विक्रय हेतु अधियाचन तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक कि सम्बन्धित विभाग अथवा अभिकरण द्वारा उसे अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है।

(4) जब कोई बिक्री इस धारा के अधीन कर दी गई हो तो विक्रय किए गए उपक्रम अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में प्रायोजक के सभी अधिकार, शक्तियां और अधिकारिता अथवा जहां धारा 23 अथवा धारा 27 के अधीन कोई अधिसूचना प्रकाशित की गयी हो, वहाँ ऐसे रज्जुमार्ग और उसके किसी भाग के सम्बन्ध में अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्ववर्ती प्रायोजक के सभी अधिकार, शक्तियां और प्राधिकारिता ऐसे उपक्रम और उसके किसी भाग को क्रय करने वाले प्राधिकारी को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे तथा उस प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार प्रयुक्त होंगे मानो कि रज्जुमार्ग का निर्माण उसके ही द्वारा इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत अनुज्ञा के तहत किया गया हो।

(5) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अध्यधीन और उनके अनुसरण में दो या दो से अधिक सरकारी विभाग और अथवा अभिकरण किसी रज्जुमार्ग अथवा उसके किसी भाग को संयुक्त रूप से अथवा उनकी प्राधिकारिता अनुसार क्रय कर सकेंगे।

(6) जहां कोई क्रय उपधारा (1) अथवा उपधारा (5) के अधीन किया गया हो :–

(क) उपक्रम अथवा उपक्रम से संलग्न प्रायोजक की कोई उधार, बंधक एवं तत्समान अन्य दायित्वों से मुक्त होकर उपक्रम क्रेता में निहित हो जाएंगे;

(ख) जैसा उपरोक्त में उपबन्धित है धारा 10 के अधीन स्वीकृत अनुज्ञा में सम्पूर्ण शक्ति बनी रहेगी और ऐसा ही प्रायोजक समझे जाएंगे;

परन्तु यह कि जहाँ राज्य सरकार क्रय करने का चयन करे, वहाँ धारा 10 के अधीन स्वीकृत अनुज्ञा, क्रय के पश्चात्, जहाँ तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है, अग्रतर प्रभावी नहीं रह जाएगा।

(7) इस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (क) अथवा (ख) के अधीन क्रय सम्बन्धी चयन की लिखित में सूचना दो वर्ष से अन्यून अवधि में राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी, जैसी स्थिति हो, द्वारा प्रायोजक को तामील की जाएगी।

(8) यहां इससे पूर्व उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी कोई विभाग/अभिकरण राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से क्रय करने के विकल्प और उपक्रम के संचालन के लिए प्रायोजक के साथ उपधारा (2) के खण्ड (ख) में संदर्भित अथवा आदेश में उल्लिखित अग्रतर क्रमिक अवधि की समाप्ति तक के लिए ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों जो समझौते में उल्लिखित किए जाए, एक समझौता कर सकेगा।

क्रय करने के विकल्प का प्रयोग न करने और सहमति से अनुज्ञा प्रतिसंहृत होने की दशा में विक्रय करने की प्रायोजक की शक्ति

26. जहाँ धारा 24 में संदर्भित किसी अवधि की समाप्ति पर न तो राज्य सरकार द्वारा और न ही इसके किसी विभाग अथवा अभिकरण द्वारा उपक्रम का क्रय नहीं किया जाता है और धारा 10 के अधीन स्वीकृत अनुज्ञा प्रायोजक के आवेदन पर अथवा प्रायोजक की सहमति से अनुज्ञा का प्रतिसंहरण कर दिया गया है तो प्रायोजक के पास सभी भूमि, भवन, सामग्री, पुश और उपक्रम से सम्बन्धित सभी यंत्रों को ऐसी रीति से जैसा वह ठीक समझे, निस्तारित करने का विकल्प होगा।

राज्य सरकार द्वारा स्थाधिग्रहण

27. (1) यदि किसी रज्जुमार्ग के खोलने के पश्चात् किसी समय पर राज्य सरकार की राय में विद्यमान रज्जुमार्ग की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अथवा लोक हित में आवश्यकता हो तो राज्य सरकार प्रायोजक द्वारा बनाए गए किसी विवरण

पर विचार करने तथा ऐसी जांच जिसे वह ठीक समझे, के पश्चात् इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विहित ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अध्यधीन यह घोषणा कर सकती है कि ऐसे रज्जुमार्ग के सम्बन्ध में प्रायोजक की शक्तियां ऐसी घोषणा की तारीख से छः माह की समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगी और उसके पश्चात् उक्त रज्जुमार्ग के सम्बन्ध में प्रायोजक की सभी शक्तियां, अधिकार और प्राधिकारिता, सभी उधारी, बकाया अथवा सभी बाध्यताओं से रहित होकर, अनन्य रूप से राज्य सरकार में निहित हो जाएंगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार प्रायोजक को उपक्रम और सभी भूमि, भवन, उपस्कर और परिसम्पत्तियाँ, अनापत्ति और अनुज्ञाएं तथा उससे सम्बन्धित अभिलेख आदि राज्य सरकार को अन्तरित करने हेतु उपधारा (1) के अधीन एक लिखित सूचना देगी,

परन्तु यह कि उपधारा (2) में दी गई सूचना में रज्जुमार्ग के हस्तान्तरण के लिए व्यवस्था नियत की जाएगी और प्रायोजक को राज्य सरकार द्वारा रज्जुमार्ग के अधिग्रहण के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया जाएगा, जो यदि भूमि प्रायोजक स्वयं की हो और भवन, वृक्ष और मशीन जो उपयुक्त हो तथा उपक्रम के प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जा रहा हो तथा राज्य सरकार द्वारा उसे अधिग्रहण कर लिया गया हो, के अवमूल्यन मूल्य के बराबर होगा और सभी मामलों के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य सरकार द्वारा धारा 27 की उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पूर्व ही कर दिया जाएगा।

अध्याय–दस

प्रायोजक का अयोग्य अथवा दिवालिया होना

प्रायोजक के अयोग्य और दिवालिया होने के मामले में कार्यवाहियाँ

28. (1) यदि रज्जुमार्ग के खोले जाने के पश्चात्, किसी समय, राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि रज्जुमार्ग का प्रायोजक दिवालिया हो गया है, जिससे वह रज्जुमार्ग का रखरखाव करने में अथवा जनसाधारण के फायदे के लिए

उसको चलाने में असमर्थ हो गया है, तो वह प्रायोजक के किसी भी कथन के विचारोपरान्त एवं तत्सम्बन्धी जांच के उपरांत यह घोषित कर सकेगी कि प्रायोजक की शक्तियाँ, अधिसूचना के प्रकाशन से छः मास के अवसान के पश्चात्, समाप्त हो जाएंगी और उस अवधि के पश्चात् प्रायोजक की शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी, उस तारीख से छः मास के अवसान के पश्चात् किसी समय रज्जुमार्ग को उसी रीति से तथा उसे हटाने के व्यय के संदाय के लिए उन्हीं उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा व्यय की वसूली के लिए उसी उपचार के अधीन रहते हुए, जो उसकी बाबत धारा 24 के अधीन हटाने के मामलों में है, हटा सकेगा।

अध्याय—ग्यारह

अपील

अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा पुनरावलोकन

29. (1) भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के उपबन्धों के अधीन कलक्टर द्वारा दिए गए ऐसे आदेशों के सिवाय इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा किए गए समस्त आदेशों के विरुद्ध आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर पुनरावलोकन कराया जा सकेगा और ऐसा पुनरावलोकन अनुज्ञा प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया प्रत्येक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन की प्राप्ति की तारीख से साधारणतया तीन माह के भीतर अनुज्ञा प्राधिकारी के द्वारा निस्तारित किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार, अपने स्वयं के प्रस्ताव से, कलेक्टर द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के अधीन पारित कोई अवार्ड के सिवाय अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किसी आदेश की वैधानिकता के बिन्दु पर सन्तुष्ट होने

हेतु कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख की मांग एवं परीक्षण कर सकेगी और यदि किसी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसा आदेश रूपान्तरित, संशोधित अथवा परिवर्द्धित अथवा समाप्त किया जा सकता है तो राज्य सरकार प्रभावित पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे।

अध्याय–बारह

अनुपूरक उपबन्ध

30. किसी रज्जुमार्ग का प्रायोजक ऐसे समय अन्तराल पर और ऐसे प्ररूपों में जैसा विहित किया जाए, पूँजी, राजस्व व्यय प्राप्तियों और यातायात की विवरणियाँ, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। विवरणियाँ

31. रज्जुमार्ग का प्रायोजक ऐसे रज्जुमार्ग के सन्निर्माण, मरम्मत, संचालन अथवा प्रबन्धन के दौरान किसी लोक सड़क, रेलवे, ट्रामवेज अथवा जलमार्ग, जहाँ आवश्यक हो, पर यातायात को अस्थाई बाधा के सिवाय किसी लोक सड़क, रेलवे, ट्रामवेज अथवा जलमार्ग को कोई स्थाई क्षति नहीं पहुँचायेगा अथवा व्यवधान अथवा हस्तक्षेप नहीं करेगा। सड़क, रेल, ट्रामवेज तथा जलमार्ग का संरक्षण

32. (1) राज्य सरकार स्वतः इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि अधिग्रहण कर सकेगी और यदि वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी प्रायोजक के उसके स्वामित्व की, अर्जित अथवा नियंत्रित भूमि को अन्तरित कर सकेगी। राज्य सरकार द्वारा भूमि का अर्जन

(2) राज्य सरकार यदि वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के अध्यधीन किसी रज्जुमार्ग के सन्निर्माण, विस्तार, संचालन अथवा प्रबन्धन के प्रयोजन के लिए किसी इच्छुक प्रायोजक के आवेदन प्राप्त होने पर भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि को उसकी ओर से अर्जित कर सकेगी चाहे भूमि अर्जन अधिनियम में यथापरिभाषित उक्त प्रायोजक, कम्पनी हो अथवा न हो।

क्षति की क्षतिपूर्ति और अधिक अतिभार की वापसी के लिए दावे की अधिसूचना

33. कोई व्यक्ति रज्जुमार्ग से पशुओं या सामान को ले जाने में की गयी अधिक वसूली, अथवा पशुओं को लाने या ले जाने में या सामान को इस प्रकार ले जाने में हुई क्षति, को वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह या उसकी ओर से वापसी या क्षतिपूर्ति के लिए लिखित रूप में प्रायोजक को पशुओं या सामान को ले जाने हेतु प्राप्ति की तारीख से छः माह के भीतर दावा न दे दिया जाए।

अध्याय–तेरह

शक्तियों का प्रतिनिधायन और राज्य सरकार द्वारा नियमों का बनाया जाना

राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति

34. (1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजन के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतया और पूर्वोक्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों द्वारा निम्न विषयों को व्यवहृत किया जाएगा–

(क) धारा 4 के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक और जिला निरीक्षक की शक्तियां और दायित्व;

(ख) ऐसी दुर्घटनाएं जिनकी सूचना अनुज्ञा प्राधिकारी तथा जिला निरीक्षक को दी जाएगी;

(ग) रज्जुमार्ग में यात्रियों, पशुओं अथवा विभिन्न प्रकार की सामग्री के लिए अधिकतम दर, जिसे प्रायोजक द्वारा धारा 19 के अधीन नियत किया जाए;

(घ) किसी दुर्घटना के घटित होने पर प्रायोजक, प्रायोजक के कर्मचारी, पुलिस अधिकारियों तथा मजिस्ट्रेट के दायित्व;

(ङ) मानक आयाम और विशिष्टिकरण जिसे रज्जुमार्ग पर लागू किया जाना हो;

(च) इस अधिनियम के अधीन सूचना तामील करने की रीति;

(छ) रज्जुमार्ग का सुरक्षित और प्रभावी संचालन;

(थ) धारा 16 और धारा 17 द्वारा प्रायोजक को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने की परिस्थितियाँ और रीति;

(झ) किसी रज्जुमार्ग और उसके किसी भाग को धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन पुनः खोले जाने के लिए प्राप्त आवेदन पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया और ऐसे रज्जुमार्ग को पुनः खोलने की शर्तें;

(ञ) इस अधिनियम के अधीन अपील को योजित करने, सुनवाई और निस्तारण के सम्बन्ध में प्रक्रिया;

(ट) इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई सेवाओं और अनुज्ञा, आवेदन, पूछताछ, निरीक्षण के सम्बन्ध में प्रायोजक तथा अन्य व्यक्ति पर अधिरोपित किए जाने वाला शुल्क;

(ठ) इस अधिनियम के अधीन आवेदन पत्र देने, सुनवाई और निस्तारण की प्रक्रिया;

(ड) प्राथमिक चिकित्सा और अन्य सुविधाओं के लिए उपबन्ध, तथा

(ढ) इस अधिनियम के अधीन अन्य कोई मामले जिन्हें विहित किया जाना आवश्यक है और समझा जाए।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में न्यूनतम चौदह दिन की अवधि के लिए हो, चाहे यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो, प्रस्तुत किया जाएगा और यदि उस सत्र जिसमें इसे प्रस्तुत किया जाए के अवसान के पूर्व या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों में विधान सभा उक्त नियम में कोई परिवर्तन करती है अथवा नियम न बनाने का निर्णय लेती है, तो वह ऐसे परिवर्तित रूप ही प्रभावी होगा अथवा लागू नहीं होगा, जैसी स्थिति हो। तथापि, ऐसे किसी संशोधन या निष्प्रभावी होने से नियम के अधीन पहले की गई किसी कार्यवाही की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परियोजनाओं को आवंटित करने की राज्य सरकार की शक्ति

35. राज्य सरकार, यदि ऐसा ठीक समझे, राज्य में लोक निजी सहभागिता के आधार पर राज्य के भीतर किसी रज्जुमार्ग परियोजना के क्रियान्वयन और संचालन के लिए किसी संस्था/व्यक्ति के साथ अनुबन्ध निष्पादित कर सकेगी,

परन्तु यह कि ऐसे किसी संस्था और व्यक्ति के चयन के लिए प्रक्रिया लागू विधि के अनुसार की जाएगी।

अध्याय–चौदह

उपविधियां

उपविधियां बनाने की शक्ति

36. (1) अनुज्ञा प्राधिकारी उपधारा (3) के उपबन्धों के अध्यधीन इस अधिनियम के संगत–

(क) वाहक को चलाने अथवा धकेलने की गति को नियमित करने के लिए;

(ख) यह घोषित करने के लिए कि कौन सी वस्तुएँ खतरनाक अथवा आपराधिक सामग्री जाएंगी और ऐसी सामग्री के परिवहन को नियमित करने के लिए;

(ग) प्रत्येक वाहक में अधिकतम यात्रियों और पशुओं तथा ले जाने वाले सामान के अधिकतम भार को नियमित करने के लिए;

(घ) रज्जुमार्ग में भाप शक्ति के प्रयोग अथवा अन्य कोई यांत्रिक शक्ति अथवा विद्युत शक्ति के प्रयोग को विनियमित करने हेतु;

(ङ) प्रायोजक के कर्मचारियों के व्यवहार को नियमित करने के लिए;

(च) रज्जुमार्ग को संचालित और अनुरक्षित करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की योग्यताओं को नियमित करने के लिए;

(छ) ऐसी सामग्री के प्रतिनिधि अथवा स्वामी की ओर से किसी स्टेशन पर प्रायोजक द्वारा सामग्री रखे जाने अथवा रोके जाने के लिए शर्तों और प्रतिबन्धों को नियमित करने हेतु;

(ज) रज्जुमार्ग के यातायात और उसके प्रयोग, संचालन तथा प्रबन्धन को विनियमित करने के लिए; उपविधियां बना सकेगा।

(2) ऐसे उपविधियां यह उपबंधित कर सकेगी कि कोई व्यक्ति जो इनमें से किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे अर्थदण्ड से जिसे किसी राशि तक बढ़ाया जा सकेगा परन्तु जो एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगी, के लिए उत्तरदायी होगा और उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन बनायी गयी उपविधि के उल्लंघन के मामले में प्रायोजक के कर्मचारी जो कि इस हेतु उत्तरदायी हो, के वेतन से ऐसी धनराशि जो एक माह के वेतन से अधिक न हो, और जिसकी वसूली प्रायोजक द्वारा उसके वेतन से की जाएगी, जब्त कर ली जाएगी।

(3) इस धारा के अधीन बनायी गयी कोई उपविधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इसे अनुमोदित और राजपत्र में प्रकाशित नहीं कर दिया जाता है;

परन्तु यह कि ऐसी कोई उपविधि तब तक अनुमोदित नहीं की जाएगी जब तक कि उसे प्रायोजक द्वारा ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाए, पूर्व में ही प्रकाशित न कर दिया जाए।

अध्याय–पन्द्रह

अपराध एवं दण्ड

37. यदि कोई प्रायोजक–

(क) धारा 10 अथवा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन किसी अनुज्ञा की शर्तों के अनुसरण के अलावा किसी रज्जुमार्ग का निर्माण करता है अथवा खोलता है, अथवा संचालन करता है अथवा अनुरक्षण करता है; अथवा

अधिनियम के अनुपालन में प्रायोजक का असफल होना

(ख) इस अधिनियम अथवा धारा 35 के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों को उल्लंघन करता है; अथवा

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कलक्टर अथवा राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार किसी क्षतिपूर्ति को समुचित समय के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है; तो वह इस अधिनियम की अपेक्षानुसार विशिष्ट कृत्य के प्रवर्तन अथवा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई अन्यथा अनुतोष प्राप्त करने की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह अर्थदण्ड जो दस हजार रुपये तक का हो, का भागी होगा और यदि किसी मामले में किसी अपराध के लिए पुनः दोष सिद्ध किया जाता है तो वह ऐसे अर्थदण्ड से जो प्रथम दोष सिद्धि की तारीख से प्रत्येक दिवस के लिए एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, के लिए दण्ड का भागी होगा।

अविधिपूर्वक प्रायोजक के कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना

38. यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विधिसम्मत कारण, जो कि उसे स्वयं सिद्ध करना होगा, के प्रायोजक के किसी अधिकारी अथवा किसी कर्मचारी को उसके दायित्वों के निर्वहन में बाधा अथवा रोक उत्पन्न करता है तो वह ऐसे अर्थदण्ड से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, का भागी होगा।

रज्जुमार्ग के साथ अविधिपूर्वक हस्तक्षेप करना

39. यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विधिसम्मत कारण, जो कि उसे स्वयं सिद्ध करना होगा, के निम्नलिखित कार्य करता है; अर्थात्–

(क) किसी रज्जुमार्ग अथवा उससे जुड़े हुए कार्य में हस्तक्षेप के साथ उसके किसी भाग को हटाता है अथवा परिवर्तित करता है;

(ख) किसी रज्जुमार्ग के किसी वाहक के यातायात में अवरोध उत्पन्न करने के लिए कुछ करता है;

(ग) खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) में उल्लिखित किसी बात के लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45, वर्ष 1860) के अर्थान्तर्गत में दुष्प्रेरण का प्रयास करता है, तो किसी न्यायालय में किसी अन्य अनुतोष प्राप्ति

के अवसर पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे अर्थदण्ड से जो चार सौ रुपये तक हो सकेगा, के लिए दण्डनीय होगा।

40. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 39 के खण्ड (क), खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) में उल्लिखित कोई कार्य करता है अथवा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45, वर्ष 1860) के अर्थान्वयन में कोई कृत्य करता है, करने का प्रयास करता है अथवा दुष्प्रेरण करता है अथवा किसी रज्जुमार्ग के सम्बन्ध में कोई ऐसा कार्य जानबूझकर करता है जो कि यात्रा करने वाले अथवा रज्जुमार्ग पर उपलब्ध किसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है, तो वह कारावास के दण्ड के लिए, जो कि 14 वर्ष तक के लिए हो सकती है, दण्डनीय होगा। रज्जुमार्ग से यातायात करने वाले अथवा रज्जुमार्ग पर उपलब्ध व्यक्तियों को खतरा पहुँचाने हेतु किए गए कृत्य अथवा प्रयास के लिए दण्ड

(2) यदि कोई प्रायोजक किसी रज्जुमार्ग के सम्बन्ध में धारा 37 में उल्लिखित कोई ऐसा कार्य करता है अथवा कोई त्रुटि करता है जो कि यात्रा करने वाले अथवा रज्जुमार्ग पर उपलब्ध किसी व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है, तो वह न्यूनतम एक माह के कारावास के दण्ड के लिए, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए दण्डनीय होगा।

41. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 38 अथवा धारा 39 के अधीन कोई अपराध, जिससे रज्जुमार्ग के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, कारित करता है अथवा धारा 40 के अधीन कारावास सहित दण्डनीय कोई अपराध कारित करता है, तो ऐसा व्यक्ति बिना वारंट के प्रायोजक के किसी कर्मचारी द्वारा अथवा किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति जिसे कर्मचारी अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी सहायता हेतु बुलाया गया हो, गिरफ्तार किया जा सकता है। कतिपय मामलों के विरुद्ध अपराध के लिए गिरफ्तारी और उसकी प्रक्रिया

(2) इस प्रकार गिरफ्तार किसी व्यक्ति को यथाशीघ्र अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण अथवा उसके द्वारा कारित अपराध के विचारण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–41, खण्ड–1 प्रस्तावना शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ–साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बनाने विषयक संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून 2014 को प्रस्तुत सरकारी संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिए नितियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करने विषयक संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून 2014 को प्रस्तुत सरकारी संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने विषयक श्री नवप्रभात, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-54 के अन्तर्गत दी गई प्रस्तुत सूचना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार विषयक श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-54 के अन्तर्गत दी गई प्रस्तुत सूचना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुए कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने विषयक डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य विधान सभा की नियम-54 के अन्तर्गत दी गई प्रस्तुत सूचना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रदेश में स्थानीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मतदान की अनिवार्यता की जाए, विषयक श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य द्वारा सूचना सदन में प्रस्तुत नहीं की गयी)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित तथा लागू महायोजना 2005-25 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन विषयक श्री नवप्रभात, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-54 के अन्तर्गत दी गई प्रस्तुत सूचना पर चर्चा

"जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभाएं आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005-25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्चात् प्राधिकरण नई महायोजना घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005-2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया है :-

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. धमाहारी, 6. नाली, 7. कार्लीगाड़, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिथौली, 12. गिरसरास पट्टी, 13. मितरली, 14. मझारा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. कान्दुवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गठन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है ?

अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना, जोनल प्लान का न बनना, सेक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005–25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगो में मनमाने परिवर्तन सम्बन्धी।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य में "इको सेंसटिव जोन" को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाए जाने की घोषणा किए जाने विषयक श्री नवप्रभात, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत दी गई प्रस्तुत सूचना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य की मलिन बस्तियों में नजूल भूमि व कृषि कार्य वाली भूमि पर वर्षों से असहाय रूप से निवास कर रहे निर्धन नागरिकों को उनके स्वामित्व में फ्रीहोल्ड कर पट्टे प्रदान किए जाएं एवं शहरी कॉलोनियों में फ्रीहोल्ड प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ कर नागरिकों को भौमिक अधिकार प्रदान किए जाने विषयक श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–87 के अन्तर्गत प्रस्तुत असरकारी संकल्प पर चर्चा

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री राजकुमार ठुकराल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

राज्य में बाल मजदूरी को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई किए जाने विषयक श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-67 के अन्तर्गत प्रस्तुत असरकारी संकल्प पर चर्चा

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए)

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगी हुई ग्राम पंचायतों से लोगों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार हेतु एक अलग से योजना बनाए जाने विषयक, श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-67 के अन्तर्गत प्रस्तुत असरकारी संकल्प पर चर्चा

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए)

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य के 1065 गैर आबाद ग्रामों को पुनः आबाद करने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाने तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए समयबद्ध योजना बनाकर क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता विषयक, श्री महावीर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-67 के अन्तर्गत प्रस्तुत असरकारी संकल्प पर चर्चा

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री महावीर सिंह रांगड़ का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए)

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

गंगा सफाई अभियान की तरह उत्तराखण्ड की काशी बागेश्वर की प्रसिद्ध नदी सरयू व गोमती को स्वच्छ, निर्मल बनाए जाने के लिए सरकार योजना बनाकर प्रयास सुनिश्चित करे विषयक, श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–87 के अन्तर्गत प्रस्तुत असरकारी संकल्प पर चर्चा

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाए विषयक, श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–87 के अन्तर्गत प्रस्तुत असरकारी संकल्प पर चर्चा

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किए जाने विषयक, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–87 के अन्तर्गत प्रस्तुत असरकारी संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति "यमुना स्वच्छता अभियान" स्वीकृत किया जाए, इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए "गंगा विकास प्राधिकरण" की भांति "यमुना विकास प्राधिकरण" का गठन भी कराया जाए विषयक, श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–87 के अन्तर्गत प्रस्तुत असरकारी संकल्प पर चर्चा

सदन में व्यवधान होने के कारण इन सूचनाओं पर चर्चा नहीं हो पा रही है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री महावीर सिंह रांगड़, श्री संजय गुप्ता, श्री नव प्रभात, डॉ0 प्रेम सिंह राणा तथा श्री ललित फर्स्वाण की कुल 08 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री महावीर सिंह रांगड़ की सूचना, जो जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्टी के अन्तर्गत पट्टी सकलाना में 15 अगस्त, 2014 को आई भीषण आपदा से विभिन्न ग्रामों की विद्युत लाइनों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य डॉ0 प्रेम सिंह राणा की सूचना, जो विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ऐतिहासिक प्रसिद्ध गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब एवं नदीश्वर मन्दिर ध्यानपुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद बागेश्वर में उपभोक्ताओं को पैकिंगकर्ता एवं विपणनकर्ता (ए) गोपाल जी डेयरी फूड्स प्रा0लि0 बुलन्दशहर (यू0पी0) (बी) डेयरी इण्डिया प्रा0लि0 गजरौला (यू0पी0) नाम से दूध एवं इससे निर्मित उत्पादों की सप्लाई जांचोपरान्त किए जाने के सम्बन्ध में श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, दुग्ध विकास मंत्री का वक्तव्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

[जनपद बागेश्वर में उपभोक्ताओं को पैकिंगकर्ता एवं विपणनकर्ता (ए) गोपालजी डेयरी फूड्स प्रा0लि0 बुलन्दशहर (यू0पी0) (बी) डेयरी इण्डिया प्रा0लि0 गजरौला (यू0पी0) नाम से दूध एवं इससे निर्मित उत्पाद के 03 नमूने स्टैण्डर्ड मिल्क (पाश्चराईज्ड) टोण्ड मिल्क (हारमोनाईज्ड) एण्ड गोपालजी आनन्द ब्राण्ड दही (कर्ड) जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रयोगशाला, रुद्रपुर को भेजे गए थे, खाद्य विश्लेषक की जाँच रिपोर्ट के आधार पर उक्त तीनों नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के मानकों के अनुरूप उपयुक्त पाए गए हैं।]

नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पहरोनी में गंगा खादर हस्तिनापुर से विस्थापित होकर रनसाली गांव में बसाए गए 25 परिवारों को भूमि तथा मालिकाना हक दिए जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

[माननीय सदस्य द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि जिला ऊधमसिंह नगर की तहसील सितारगंज के ग्राम रनसाली को राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया जा रहा है एवं वहाँ पर काबिज काश्तकारों को भूमिधरी अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं।

मा0 अध्यक्ष जी इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि तहसील सितारगंज अन्तर्गत ग्राम रनसाली पूर्व से ही राजस्व ग्राम के अन्तर्गत वन भूमि पर बसा एक तोक है। वन विभाग के शासनादेश संख्या–6–69/14–बी दिनांक 16–10–1965 के द्वारा उक्त ग्राम के क्षेत्रफल को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। ग्राम रनसाली में बसे लोगों के द्वारा वन विभाग की भूमि में अवैध रूप से कब्जा किया गया है। अवैध कब्जेदारों द्वारा भूमि के लिए मालिकाना हक के लिए मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है, जो मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 उच्च न्यायालय में अन्तिम निर्णय होने तक कार्रवाई किया जाना सम्भव नहीं है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 03 बजकर 43 मिनट पर अगले दिन गुरुवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

जगदीश चन्द्र
सचिव, विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

देहरादून,
दिनांक: 26 नवम्बर, 2014

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(देखिए तारांकित प्रश्न–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 14 पर)

तारांकित प्रश्न संख्या–02 का संलग्नक

➢ शासनादेश संख्या–44 दिनांक–09 जनवरी, 2013 के द्वारा निम्न परिवर्तन किए गए–

1. विधायक निधि के कार्यों के लिए निजी ठेकेदारों को लगाया जा सकता है, लेकिन इस हेतु ठेकेदारों को सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर पंजीकरण कराया जाना होगा। निजी ठेकेदार के चरित्र/सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में सम्बन्धित मा0 विधायक द्वारा लिखित संस्तुति प्रस्तुत किए जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार को मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत किया जाएगा।
2. विधायक निधि के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय–3 में निर्माण कार्य की अधिप्राप्ति विषयक नियम–39 के बिना निविदा आमन्त्रित किए कार्यादेश (वर्कआर्डर) के सन्दर्भ में उल्लिखित आपात स्थिति के सम्बन्ध में मा0 विधायक द्वारा स्पष्ट किया जाएगा कि किसी कार्य विशेष में आपात स्थिति है। आपात स्थिति प्रमाणित करने के बाद ही अधिप्राप्ति नियमावली का उक्त नियम–39 लागू होगा।
3. विधायक निधि के अधीन ` 3.00 लाख तक के निर्माण कार्य विभागीय पद्धति (मस्टरोल) के आधार पर आवश्यकतानुसार कराए जाएंगे।

➢ शासनादेश संख्या–4239 दिनांक–13 नवम्बर, 2013 के द्वारा निम्न परिवर्तन किए गए–

राज्य के किसी भी क्षेत्र में बाढ़, चक्रवात, भूकम्प, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट–हमला, भूस्खलन, तूफान, अनावृष्टि, आग लगना, रसायनिक, जैविक एवं रेडियोलाजिकल खतरों जैसी आपदाओं के आने पर तथा राज्य सरकार द्वारा आपदा घोषित किए जाने पर किसी भी विधायक द्वारा उस क्षेत्र के लिए राहत कार्यों के लिए विधायक निधि हेतु वार्षिक रूप से निर्धारित धनराशि में से 10 प्रतिशत वार्षिक की सीमा तक आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों हेतु संस्तुति किए जाने पर व्यय किया जा सकता है।

➢ शासनादेश संख्या–628 दिनांक–17 फरवरी, 2014 के द्वारा निम्न परिवर्तन किए गए–

ऐसे धार्मिक स्थलों के विकास/सौन्दर्यीकरण/पुनर्निर्माण/सुदृढीकरण हेतु जो पर्यटन विभाग के शासनादेश संख्या–478/VI/2006 दिनांक 25–04–2006 से आच्छादित न हो, के लिए प्रत्येक विधायक की निधि से अतिरिक्त ` 25.00 लाख प्रतिवर्ष का व्यय किया जा सकता है।

- शासनादेश संख्या–755 दिनांक–22 फरवरी, 2014 के द्वारा निम्न परिवर्तन किए गए:–

  किसी भी बड़ी नगरपालिका में प्रत्येक विधायक की प्रत्येक वर्ष की विधायक निधि की धनराशि में से अधिकतम ` 50.00 लाख की धनराशि से एक पार्क की स्थापना/सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जा सकता है।

- शासनादेश संख्या–622 दिनांक–25 फरवरी, 2014 के द्वारा निम्न परिवर्तन किए गए:–

  विधायक निधि की धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में लैप्स नहीं होगी।

- शासनादेश संख्या–4388 दिनांक–18 नवम्बर, 2014 के द्वारा निम्न परिवर्तन किए गए:–

  आबादी क्षेत्र के भवनों के ऊपर से गुजरने वाली विभिन्न विभव की विद्युत लाइनों को हटाए जाने में आने वाले कुल व्यय भार का 30 प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्र के मा0 विधायक के विधायक निधि से व्यय किया जाएगा।

(देखिए स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 43 पर)

[illegible]

क्र.सं.	जनपद	वर्ष	[illegible]								
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	इन्दिरा आ. यो.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	पौड़ी	2011–12	[illegible]	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2012–13	[illegible]	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2013–14	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		योग	[illegible]	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	नैनीताल	2011–12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
		2012–13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
		2013–14	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
		योग	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
3	बागेश्वर	2011–12	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2012–13	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
		2013–14	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
		योग	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	चमोली	2011–12	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
		2012–13	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
		2013–14	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
		योग	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
5	टिहरी	2011–12	0.00	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
		2012–13	0.00	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
		2013–14	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
		योग	0.00	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
6	पिथौरागढ़	2011–12	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
		2012–13	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
		2013–14	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
7	अल्मोड़ा	2011–12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00
		2012–13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00
		2013–14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00
		योग	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00
8	चम्पावत	2011–12	[illegible]	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00
		2012–13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00
		2013–14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00

[illegible] का जनपदवार विवरण

क्र.सं.	जनपद	वर्ष	विभिन्न योजनाओं व कार्यों हेतु प्राप्त राशि								
			निर्माण निधि	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	उधमसिंह नगर	2011-12	[illegible]	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
		2012-13	[illegible]	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
		2013-14	[illegible]	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
		योग	[illegible]	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
10	उत्तरकाशी	2011-12	[illegible]	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
		2012-13	[illegible]	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00
		2013-14	[illegible]	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00
		योग	[illegible]	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00
11	[illegible]	2011-12	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00
		2012-13	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
		2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
		योग	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
12	देहरादून	2011-12	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
		2012-13	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00
		2013-14	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00
		योग	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00
13	हरिद्वार	2011-12	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00
		2012-13	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
		2013-14	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]
		योग	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–07 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 47 पर)

[illegible] – 2012-13 [illegible]

[illegible]

क्रमांक	वर्ष	[illegible]	[illegible]	कार्य का नाम	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	कार्य की स्थिति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2012-13	2010.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	00742 00758	14.12.12 05.02.13	4.50		4.50	4.50	4.50	पूर्ण	[illegible]
2	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	00763	05/2/2013	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
3	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	00763	5/2/2013	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण	[illegible]
4	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	00763	5/2/2013	0.20		0.20	0.20	0.20	पूर्ण	[illegible]
5	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	00763	5/2/2013	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
6	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	00763	5/2/2013	0.20		0.20	0.20	0.20	पूर्ण	[illegible]
7	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	00763	5/2/2013	0.60		0.60	0.60	0.60	पूर्ण	[illegible]
8	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	00763	5/2/2013	0.90		0.90	0.90	0.90	पूर्ण	[illegible]

9	2012-13		426/23.01.2013	[illegible]	[illegible]	86763	5/2/2013	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
10	2012-13		428/28.01.2013	[illegible]	[illegible]	86763	5/2/2013	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
11	2012-13		428/28.01.2013	[illegible]	[illegible]	86763	5/2/2013	0.60		0.60	0.60	0.60	पूर्ण	[illegible]
12	2012-13		426/28.01.2013	[illegible]	[illegible]	86763	5/2/2013	3.00		3.00	3.00	3.00	पूर्ण	[illegible]
13	2012-13		429/28.01.2013	[illegible]	[illegible]	86763	5/2/2013	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
14	2012-13		426/24.01.2013	[illegible]	[illegible]	86763	5/2/2013	1.50		1.50	1.50	1.50	पूर्ण	[illegible]
15	2012-13		425/28.01.2013	[illegible]	[illegible]	86763	5/2/2013	1.30		1.30	1.30	1.30	पूर्ण	[illegible]
16	2012-13		426/28.01.2013	[illegible]	[illegible]	86763	6/2/2013	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण	[illegible]
17	2012-13		425/28.01.2013 419/01-02-13	[illegible]	[illegible]	86763	5/2/2013	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]

18	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.00		3.00	3.00	1.80	[illegible]	[illegible]
19	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण	[illegible]
20	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
21	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.40		0.40	0.40	0.40	पूर्ण	[illegible]
22	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.80		0.80	0.80	0.80	पूर्ण	[illegible]

23	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	06703	5/2/2013	0.60		0.60	0.60	0.60	पूर्ण		[illegible]
24	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	06703	5/2/2013	0.20		0.20	0.20	0.20	पूर्ण		[illegible]
25	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	06703	5/2/2013	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		[illegible]
26	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	06703	5/2/2013	1.30		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		[illegible]
27	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	06703	5/2/2013	0.68		0.68	0.68	0.68	पूर्ण		[illegible]
28	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	06703	5/2/2013	1.32		1.32	1.32	1.32	पूर्ण		[illegible]
29	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	06703	5/2/2013	2.03		2.00	2.00	2.00	पूर्ण		[illegible]
30	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	06703	5/2/2013	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		[illegible]
31	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	06703	5/2/2013	0.70		0.70	0.70	0.70	पूर्ण		[illegible]

32	2012-13		[illegible]	[illegible] पुलिया का निर्माण	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.70		0.70	0.70	0.70	पूर्ण	[illegible]
33	2012-13		[illegible]	[illegible] पुलिया का निर्माण	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.70		0.70	0.70	0.70	पूर्ण	[illegible]
34	2012-13		[illegible]	[illegible] का निर्माण	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.90		0.90	0.90	0.90	पूर्ण	[illegible]
35	2012-13		[illegible]	[illegible] का निर्माण	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.50		1.50	1.50	1.50	पूर्ण	[illegible]
36	2012-13		[illegible]	[illegible] का निर्माण	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.50		1.50	1.50	1.50	पूर्ण	[illegible]
37	2012-13		[illegible]	[illegible] का निर्माण 2.00 [illegible] का निर्माण 2.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण	[illegible]
38	2012-13		[illegible]	[illegible] पुलिया का निर्माण	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]

39	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	06763	5/2/2013	2.00		2.00	2.00	1.00	प्रगति पर	[illegible]
40	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	06763	5/2/2013	0.30		0.30	0.30	0.30	पूर्ण	[illegible]
41	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	06763	5/2/2013	1.50		1.50	1.50	1.50	पूर्ण	[illegible]
42	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	06763	5/2/2013	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण	[illegible]
43	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	06763	5/2/2013	1.25		1.25	1.25	1.25	पूर्ण	[illegible]
44	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	06763	5/2/2013	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
45	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	06763	5/2/2013	0.75		0.75	0.75	0.75	पूर्ण	[illegible]
46	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	06763	5/2/2013	0.60		0.60	0.60	0.60	पूर्ण	[illegible]

47	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.80		0.80	0.80	0.80	पूर्ण	[illegible]
48	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.63		1.60	1.60	1.60	पूर्ण	[illegible]
49	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण	[illegible]

80	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]2013	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण	[illegible]
81	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]2013	0.39		0.39	0.30	0.36	पूर्ण	[illegible]
82	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]2013	0.70		0.70	0.70	0.71	पूर्ण	[illegible]
83	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]2013	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
84	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]2013	0.40		0.40	0.40	0.40	पूर्ण	[illegible]
85	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]2013	0.70		0.70	0.70	0.70	पूर्ण	[illegible]

56	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00		1.00	1.00	1.00	[illegible]	[illegible]
57	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00		1.00	1.00	1.00	[illegible]	[illegible]
58	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.00		3.00	3.00	3.00	[illegible]	[illegible]
59	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00		1.00	1.00	1.00	[illegible]	[illegible]
60	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.00		3.00	3.00	3.00	[illegible]	[illegible]
61	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00		1.00	1.00	1.00	[illegible]	[illegible]
62	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.50		1.50	1.50	1.50	[illegible]	[illegible]
63	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24.10.13	1.50		1.50	1.12	1.12	[illegible]	[illegible]

54	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		[illegible]
55	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण		[illegible]
56	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.00		2.00	2.00	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
57	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.50		2.50	2.50	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
58	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.50		2.50	2.50	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
59			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.50		2.50	2.50	[illegible]	पूर्ण		[illegible]

70			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.50		2.50	2.50	2.50	पूर्ण	[illegible]
71			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.50		2.50	2.50	2.50	पूर्ण	[illegible]
72	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.00		3.00	3.00	3.00	पूर्ण	[illegible]
73			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.00		3.00	3.00	3.00	पूर्ण	[illegible]
74	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण	[illegible]
75	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण	[illegible]
76	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.00		3.00	3.00	3.00	पूर्ण	[illegible]
77			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.00		3.00	3.00	3.00	पूर्ण	[illegible]
78	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.00		3.00	3.00	3.00	पूर्ण	[illegible]
79	2012-13		[illegible]	[illegible] (3.1x0.27x1.80m)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.60		0.60	0.60	0.60	पूर्ण	[illegible]

[illegible]	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.80		0.80	0.80	0.80	पूर्ण	[illegible]
[illegible]	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.30		0.30	0.30	0.30	पूर्ण	[illegible]
[illegible]	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
[illegible]	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.00		2.00	2.00		[illegible]	[illegible]
[illegible]	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.65		1.65	1.65	1.65	पूर्ण	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.65		1.65	1.65	1.65	पूर्ण	[illegible]
[illegible]	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण	[illegible]
[illegible]	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
[illegible]	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.80		2.80	2.80	0.86	पूर्ण	[illegible]

89	2012-13		[illegible]	विकास खण्ड [illegible] का निर्माण	अनुदान	[illegible]	[illegible]	2.60		2.60	2.60	2.50	पूर्ण	[illegible]
90	2012-13		[illegible]	विकास खण्ड [illegible] का निर्माण	अनुदान	[illegible]	[illegible]	3.00		3.00	3.00	3.00	पूर्ण	[illegible]
91	2012-13		[illegible]	विकास खण्ड [illegible] का निर्माण	अनुदान	[illegible]	[illegible]	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण	[illegible]
92	2012-13		[illegible]	विकास खण्ड [illegible] निर्माण	अनुदान	[illegible]	[illegible]	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण	[illegible]
93	2012-13		[illegible]	विकास खण्ड [illegible] का निर्माण	अनुदान	[illegible]	[illegible]	2.60		2.50	2.50	2.50	पूर्ण	[illegible]
94	2012-13		[illegible]	विकास खण्ड [illegible] का निर्माण	अनुदान	[illegible]	[illegible]	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
95	2012-13		[illegible]	विकास खण्ड [illegible] का निर्माण	अनुदान	[illegible]	[illegible]	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]

96	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5/2/2013	2.00		2.00	2.50	2.00	पूर्ण	[illegible]
97	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5/2/2013	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
98	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5/2/2013	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण	[illegible]
99	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.03.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
100	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.03.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
101	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.03.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
102	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.03.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
103	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.03.13	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण	[illegible]

104	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.00		3.00	3.00	2.50	पूर्ण	[illegible]
105	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.00		6.00	3.75	3.75	प्रगति पर	[illegible]
106	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
107	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.00		3.00	3.00	2.51	पूर्ण	[illegible]
108	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.00		3.00	3.00	2.05	पूर्ण	[illegible]
109	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.50		0.50	0.50	2.00	पूर्ण	[illegible]
110	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.00		3.00	3.00	1.50	पूर्ण	[illegible]

111	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	20705	8.03.13	3.00		3.00	3.00	3.00	पूर्ण	खण्ड विकास अधिकारी [illegible]
112	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	20705	8.03.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	खण्ड विकास अधिकारी [illegible]
113	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	20705	8.03.13	1.50		1.50	1.50	1.50	पूर्ण	खण्ड विकास अधिकारी [illegible]

114	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	99783	3.05.13	3.00		3.00	3.00	3.00	पूर्ण		[illegible]
115	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	99784	3.05.13	2.50		2.50	2.50	2.50	पूर्ण		[illegible]
116	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.50		2.50	2.50	2.16	पूर्ण		[illegible]
117	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.00		3.00	3.00	1.49	पूर्ण		[illegible]
118	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.00		3.00	3.00	2.81	पूर्ण		[illegible]

119	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	33/786	6.03.13	1.00		1.00	1.00	0.96	पूर्ण	[illegible]
122	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	33/786	6.03.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
121	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	86/755	6.03.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
120	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	33/786	6.03.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
123	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	33/786	6.03.13	0.75		0.75	0.75	0.75	पूर्ण	[illegible]
124	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	86/755	6.03.13	2.50		2.50	2.50	2.69	पूर्ण	[illegible]
125	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	86/755	6.03.13	1.25		1.25	1.25	2.75	पूर्ण	[illegible]
126	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	33/786	6.03.13	2.00		2.00	2.02	2.21	पूर्ण	[illegible]

127	2012-13		[illegible].01.2013	[illegible]	[illegible]	86/133	9.03.13	1.00		1.00	1.00	1.06	पूर्ण	[illegible]
128	2012-13		436/28.01.2013 [illegible].08.13	[illegible]	[illegible]	86155	9.03.13	0.78		0.78	0.78	0.42	प्रगति पर	[illegible]
129	2012-13		[illegible].01.2013 [illegible].08.13	[illegible]	[illegible]	86/780	9.03.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
130	2012-13		[illegible].01.2013 [illegible].08.13	[illegible]	[illegible]	86785	9.03.13	1.56		1.58	1.58	1.84	पूर्ण	[illegible]
131	2012-13		22/03/2013	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.60		0.60	0.60	0.00	प्रगति पर	[illegible]
132	2012-13		22/03/2013	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.30		0.30	0.30	0.00	प्रगति पर	[illegible]
133	2012-13		22/03/2013	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.20		0.20	0.20	0.00	प्रगति पर	[illegible]
134	2012-13		22/03/2013	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.15		0.15	0.15	0.00	प्रगति पर	[illegible]
135	2012-13		22/03/2013	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.10		0.10	0.10	0.00	प्रगति पर	[illegible]
136	2012-13		22/03/2013	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.10		0.10	0.10	0.00	प्रगति पर	[illegible]

137	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	1.60		1.20	1.20	0.00	[illegible]	[illegible]
138	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.50		0.50	0.50	0.00	[illegible]	[illegible]
139	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	1.40		1.40	1.40	0.00	[illegible]	[illegible]
140	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	1.00		1.00	1.00	0.00	[illegible]	[illegible]
141	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.20		0.20	0.20	0.00	[illegible]	[illegible]
142	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.05		0.05	0.05	0.00	[illegible]	[illegible]
143	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.15		0.15	0.15	0.00	[illegible]	[illegible]
144	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.05		0.05	0.05	0.00	[illegible]	[illegible]
145	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.05		0.05	0.05	0.00	[illegible]	[illegible]
146	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.20		0.20	0.20	0.00	[illegible]	[illegible]
147	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.05		0.05	0.05	0.00	[illegible]	[illegible]
148	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.40		0.40	0.40	0.00	[illegible]	[illegible]
149	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.25		0.25	0.25	0.00	[illegible]	[illegible]

150	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.40		0.40	0.40	0.00	[illegible]	[illegible]
151	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.15		0.15	0.15	0.00	[illegible]	[illegible]
152	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.05		0.05	0.05	0.00	[illegible]	[illegible]
153	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.10		0.10	0.10	0.00	[illegible]	[illegible]
154	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.05		0.05	0.05	0.00	[illegible]	[illegible]
155	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.05		0.05	0.05	0.00	[illegible]	[illegible]
156	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87327	22.03.13	0.50		0.50	0.50	0.00	[illegible]	[illegible]
157	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87328	22.03.13	1.00		1.00	1.00	1.00	[illegible]	[illegible]
158	2012-13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87325	22.03.13	1.50		1.50	1.50	1.50	[illegible]	[illegible]
159	2012-13		[illegible]/22.03.13	[illegible]	[illegible]	87324	1.04.13	12.00		12.00	12.00	12.00	[illegible]	[illegible]
160	2012-13		[illegible]/22.03.13	[illegible]	[illegible]	87333	1.04.13	0.60		0.60	0.60	0.60	[illegible]	[illegible]
161	2012-13		[illegible]/22.03.13	[illegible]	[illegible]	87333	1.04.13	0.35		0.35	0.35	0.35	[illegible]	[illegible]

162	2012-13		1444/[illegible].03.13 2482/06.03.13	[illegible]	[illegible]	87933	1.04.13	1.00		1.00	1.00	0.46	पूर्ण	[illegible]
163	2012-13		1504/22.03.13 [illegible]	[illegible]	[illegible]	87533	1.04.13	5.80		0.80	0.80		पूर्ण	[illegible]
164	2013-14		8129/17.12.13	[illegible]		81035	10.02.14	3.89553		3.80555	3.80555	3.80	पूर्ण	[illegible]
165	2013-14		7189/A/28.02.14	[illegible]		81083	4.03.14	2.50000		2.50000	2.50000	2.50	पूर्ण	[illegible]
166	2013-14		7189/A/28.02.14	[illegible]		81092	21.05.14	0.40000		0.40000	0.40000	0.40	पूर्ण	[illegible]
167	2013-14		7189/A/28.02.14	[illegible]		81033	21.05.14	0.40000		0.40000	0.40000	0.40	पूर्ण	[illegible]
								240.06		240.06	238.43	220.11		

[illegible]

क्रमांक	वर्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2013-14	100.00	21-42/17-09-2013	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	2013-14		21-42/17-09-2013	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.00		11.00	11.00	11.00	[illegible]	[illegible]
3	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13 [illegible]	2.00		2.00	[illegible]	2.00	[illegible]	[illegible]
4	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	[illegible]	[illegible]
7	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	[illegible]	[illegible]
8	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	[illegible]	[illegible]
9	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	0.75		0.75	0.75	0.75	[illegible]	[illegible]
10	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	0.75		0.75	0.75	0.75	[illegible]	[illegible]

11	2013-14		[illegible]/21-10-2013	[illegible]	[illegible]	87757	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
12	2013-14		[illegible]/21-10-2013	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
13	2013-14		[illegible]/21-10-2013	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
14	2013-14		[illegible]/21-10-2013	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
15	2013-14		[illegible]/21-10-2013	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
16	2013-14		[illegible]/21-10-2013	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
17	2013-14		[illegible]/21-10-2013	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
18	2013-14		[illegible]/21-10-2013	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
19	2013-14		[illegible]/21-10-2013	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
20	2013-14		[illegible]/21-10-2013	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

21	2013-14		4358021-10-2013	[illegible]	अनुदानी	67758	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
22	2013-14		4358021-10-2013	[illegible]	अनुदानी	67794	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
23	2013-14		4358021-10-2013	[illegible]	अनुदानी	67759	2.11.13	0.50		0.50	0.50	0.50	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
24			4358021-10-2013	[illegible]	अनुदानी	67758	2.11.13	0.50		0.50	0.50	0.50	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
25	2013-14		4358021-10-2013	[illegible]	अनुदानी	67757	2.11.13	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण		[illegible]
26	2013-14		4358021-10-2013	[illegible]	अनुदानी	67757	2.11.13	3.00		3.00	3.00	3.00	पूर्ण		[illegible]
27	2013-14		4358021-10-2013	[illegible]	अनुदानी	67757	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		[illegible]
28	2013-14		4358021-10-2013	[illegible]	अनुदानी	67757	2.11.13	0.50		0.50	0.50	0.50	पूर्ण		[illegible]
29	2013-14		4358021-10-2013	[illegible]	अनुदानी	67757	2.11.13	0.30		0.30	0.30	0.30	पूर्ण		[illegible]
30	2013-14		4358021-10-2013	[illegible]	अनुदानी	67757	2.11.13	0.40		0.40	0.40	0.40	पूर्ण		[illegible]
31	2013-14		4358021-10-2013	[illegible]	अनुदानी	67757	2.11.13	0.40		0.40	0.40	0.40	पूर्ण		[illegible]

32	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
33	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
34	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
35	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
36	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
37	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
38	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
39	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
40	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
41	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
42	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
43	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]

44	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
45	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
46	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
47	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
48	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
49	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
50	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
51	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
52	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
53	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
54	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]

55	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़	
56	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़	
57	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	0.40		0.40	0.40	0.40	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़	
58	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	0.40		0.40	0.40	0.40	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़	
59	2013-14		[illegible]	[illegible]	अनुसूचित	87756	2.11.13	0.40		0.40	0.40	0.40	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़	
60	2013-14		[illegible]	[illegible]	अनुसूचित	87756	2.11.13	0.80		0.80	0.80	0.80	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़	
61	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	1.40		1.40	1.40	1.34	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़	
62	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	1.30		1.30	1.30	1.26	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़	
63	2013-14		[illegible]	[illegible]	अनुसूचित	87756	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.02	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़	
64	2013-14		[illegible]	[illegible]	अनुसूचित	87756	2.11.13	0.33		0.33	0.33	0.33	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़	
65	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	2.00		2.00	2.00	2.00	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़	
66	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	2.00		2.00	2.00		[illegible]		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़	

67	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.20		1.20	1.20	1.20	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
68	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	1.10		1.10	1.10	1.10	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
69	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	0.88		0.88	0.88	0.88	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
70	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	0.50		0.50	0.50	0.50	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
71	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
72	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	1.50		1.50	1.50	1.50	[illegible]	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
73	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	0.42		0.42	0.42	0.42	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
74	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	0.58		0.58	0.58	0.58	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
75	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	0.34		0.34	[illegible]	[illegible]	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
76	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
77	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	0.90		0.90	0.90	0.90	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
78	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़

[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
84			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

92	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	27758	2.11.13	0.40		0.40	0.40	0.40	उ०		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
93	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	27758	2.11.13	0.50		0.50	0.50	0.50	उ०		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
94	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	27758	2.11.13	2.00		2.00	2.00	2.00	उ०		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
95	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	27758	2.11.13	2.00		2.00	2.00	2.00	उ०		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
96	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	27758	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	उ०		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
97	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	27758	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	उ०		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
98	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	27758	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	उ०		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
99	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	27758	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	उ०		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
100	2013-14		[illegible]	[illegible]	मुनस्यारी	27758	2.11.13	0.30		0.30	0.30	0.30	उ०		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
101	2013-14		[illegible]	[illegible]	मुनस्यारी	27758	2.11.13	0.50		0.50	0.50	0.50	उ०		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
102	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	27758	2.11.13	0.80		0.80	0.80	0.80	उ०		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़
103	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	27758	2.11.13	0.50		0.50	0.50	0.50	उ०		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथौरागढ़

[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87798	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87798	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87798	2.11.13	0.30		0.30	0.30	0.30	पूर्ण		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87798	2.11.13	0.30		0.30	0.30	0.30	पूर्ण		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87798	2.11.13	0.80		0.80	0.80	0.80	पूर्ण		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87798	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87798	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87798	2.11.13	0.45		0.45	0.45	0.45	पूर्ण		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87798	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87798	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87798	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87798	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87798	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		[illegible]

117	2013-14		[illegible]	[illegible]	अनुसूचित	27750	2.11.13	0.60		0.60	0.60	0.60	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
118	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	27750	2.11.13	0.80		0.80	0.80	0.80	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
119	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	27750	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
120	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	27750	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
121	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	27750	2.11.13	0.40		0.40	0.40	0.40	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
122	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	27750	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
123	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	27750	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
124	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	27750	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
125	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	27750	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
126	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	27750	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
127	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	27750	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
128	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	27750	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
129	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	27750	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत

130	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87754	2.11.13	1.20		1.20	1.20	1.20	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
131	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87750	2.11.13	0.80		0.80	0.80	0.80	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
132	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87786	2.11.13	0.80		0.80	0.80	0.80	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
133	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87788	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
134	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87758	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
135	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87765	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
136	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87722	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
137	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87755	2.11.13	1.22		1.22	1.22	1.22	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
138	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87788	2.11.13	0.50		0.50	0.50	0.50	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
139	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87798	2.11.13	0.60		0.60	0.60	0.60	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
140	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87702	2.11.13	0.38		0.38	0.38	0.38	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
141	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87730	2.11.13	0.34		0.34	0.34	0.34	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत
142	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	87258	2.11.13	0.71		0.71	0.71	0.71	पूर्ण		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पीलीभीत

143	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	0.25		0.25	0.25	0.25	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला [illegible]
144	2013-14		[illegible]	[illegible]	अनुसूचित	87756	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला [illegible]
145	2013-14		[illegible]	[illegible]	अनुसूचित	87756	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला [illegible]
146	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला [illegible]
147	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला [illegible]
148			[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	0.50		0.50	0.50	0.50	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला [illegible]
149	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	0.40		0.40	0.40	0.40	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला [illegible]
150	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	0.60		0.60	0.60	0.60	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला [illegible]
151	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	0.50		0.50	0.50	0.50	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला [illegible]
152	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	1.30		1.30	1.30	1.30	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला [illegible]
153	2013-14		[illegible]	[illegible]	अनुसूचितजाति	87756	2.11.13	0.60		0.60	0.60	0.60	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला [illegible]
154	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	1.25		1.25	1.25	1.25	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला [illegible]
155	2013-14		[illegible]	[illegible]	सामान्य	87756	2.11.13	0.40		0.40	0.40	0.40	पूर्ण	अपर मुख्य अधिकारी जिला [illegible]

[illegible]	2013-14			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	0.40		0.40	0.40	0.40	[illegible]		[illegible]
157	2013-14			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	0.40		0.40	0.40	0.40	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		0.42	0.42	0.42	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
161	2013-14			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
162	2013-14			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
163	2013-14			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
164	2013-14			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
165	2013-14			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	2.00		2.00	2.00	2.00	[illegible]		[illegible]
166	2013-14			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
167	2013-14			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	1.00		1.00	1.00	1.00	[illegible]		[illegible]

[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
172			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
180	2013-14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.11.13	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

181	2013-14		[illegible]/21-10-2013	[illegible]	[illegible]	87757	2.11.13	0.75		0.75	0.75	0.30	[illegible]	[illegible]
182	2013-14		[illegible]/07-10-2013	[illegible]	[illegible]	87760	2.11.13	3.20		3.20	3.20	3.20	[illegible]	[illegible]
183	2013-14		[illegible]/21-10-2013	[illegible]	[illegible]	87761	2.11.13	0.80		0.80	0.80	0.00	[illegible]	[illegible]
184	2013-14		[illegible]-01-2014	[illegible]	[illegible]	[illegible]	05.01.14	1.00		1.00	1.00	0.00	[illegible]	[illegible]
185	2013-14		464/30-01-2014	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13.02.14 18.06.14	3.00		3.00	3.00	3.00	[illegible]	[illegible]
186	2013-14		788/20-02-2014, 1371/13-06-2014	[illegible]	[illegible]	91042	20.02.14	2.00		2.00	2.00	1.47	[illegible]	[illegible]
187	2013-14		[illegible]/20-02-2014	[illegible]	[illegible]	91044	20.02.14	2.00		2.00	2.00	0.00	[illegible]	[illegible]
188	2013-14		[illegible]/20-02-2014	[illegible]	[illegible]	91042	20.02.14	4.00		4.00	4.00	0.75	[illegible]	[illegible]
189	2013-14		[illegible]/20-02-2014	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20.02.14	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
190	2013-14		755/20-02-2014	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20.02.14 2.06.14	5.00		5.00	3.75	3.75	[illegible]	[illegible]
191	2013-14		[illegible]/20-02-2014	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20.02.14	2.50		2.50	2.50	2.50	[illegible]	[illegible]

182	2013-14		730/20-02-2014	[illegible]	[illegible]	811342	20.02.14	5.00		1.00	1.00	4.00	पूर्ण	[illegible]
183	2013-14		[illegible]-02-2014	[illegible]	[illegible]	811342	20.02.14	1.00		5.00	1.00	1.00	पूर्ण	[illegible]
184	2013-14		[illegible]-02-2014, 26/13-06-2014	[illegible]	[illegible]	811342	20.02.14	5.00		[illegible]	5.00		प्रगति पर	[illegible]
185	2013-14		[illegible]-02-2014	[illegible]	[illegible]	811342	20.02.14	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्ण	[illegible]
186	2013-14		[illegible]-02-2014, [illegible]-06-2014	[illegible]	[illegible]	811342	20.02.14	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	प्रगति पर	[illegible]
187	2013-14		[illegible]-02-2014	[illegible]	[illegible]	811342	20.02.14	3.00		3.00	3.00	3.00	पूर्ण	[illegible]
188	2013-14		[illegible].03.14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.00		5.00	5.00	5.00	पूर्ण	[illegible]
189	2013-14		[illegible].03.14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.00		5.00	5.00	[illegible]	प्रगति पर	[illegible]
								[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-14 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 52 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2014 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्रीमती अमृता रावत, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-14 के उत्तर का संलग्न-1

नलकूप मण्डल (पॉ0) हल्द्वानी

विधानसभा क्षेत्र रामनगर में आर0आई0डी0एफ0-18, 19 एवं टी0एस0पी0 के अन्तर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन नलकूपों का विवरण/स्थिति।

क्र0सं0	नलकूप संख्या व समूह	ग्राम का नाम	विकासखण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	104 आर0जी0	बेंकाझाल	रामनगर	निर्माणाधीन
2	105 आर0जी0	मोतीपुर बैलजुड़ी	रामनगर	निर्माणाधीन
3	107 आर0जी0	मदनपुर पोचा	रामनगर	निर्माणाधीन
4	111 आर0जी0	गोजानी	रामनगर	निर्माणाधीन
5	116 आर0जी0	धनपुर गुसाई	रामनगर	निर्माणाधीन
6	112 आर0जी0	उदयपुरी चोपड़ा	रामनगर	निर्माणाधीन
7	113 आर0जी0	लाम्पुर लच्छी/लाम्पुर नेगी	रामनगर	निर्माणाधीन
8	114 आर0जी0	सन्तोषपुर	रामनगर	निर्माणाधीन
9	117 आर0जी0	धनपुर धाकी	रामनगर	निर्माणाधीन
10	118 आर0जी0	हरिपुर तिवारी लोकमानपुर	रामनगर	निर्माणाधीन
11	120 आर0जी0	मंगलपुर हठिया मडिया II	रामनगर	निर्माणाधीन
12	121 आर0जी0	मैनपुरी	रामनगर	निर्माणाधीन
13	122 आर0जी0	कन्दला	रामनगर	निर्माणाधीन
14	123 आर0जी0	पापड़ी द्वितीय	रामनगर	निर्माणाधीन
15	124 आर0जी0	चिल्किया द्वितीय	रामनगर	निर्माणाधीन
16	134 आर0जी0	करायलपुर	रामनगर	निर्माणाधीन
17	135 आर0जी0	गोरखपुर	रामनगर	निर्माणाधीन
18	136 आर0जी0	पीपलसाना	रामनगर	निर्माणाधीन
19	137 आर0जी0	वीरपुर लच्छी	रामनगर	निर्माणाधीन
20	138 आर0जी0	वीरपुर तारा	रामनगर	निर्माणाधीन

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2014 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्रीमती अमृता रावत, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0–14 के उत्तर का संलग्न–2

नलकूप मण्डल (चं0) हल्द्वानी

विधानसभा क्षेत्र रामनगर में नये प्रस्तावित नलकूपों का विवरण।

क्र0सं0	विकासखण्ड	ग्राम का नाम
1	2	3
1	रामनगर	नाथपुर छोई
2	रामनगर	सोबनपुर
3	रामनगर	क्यपुर
4	रामनगर	चिल्किया
5	रामनगर	नया झिरना
6	रामनगर	तेलीपुरा लखमीपुर बनिया
7	रामनगर	टाँडा मल्लू मदुआ
8	रामनगर	जस्सागांजा
9	रामनगर	नारायणपुर मूलिया / देवीपुर मूलिया
10	रामनगर	चोरपानी
11	रामनगर	कानदेव
12	रामनगर	मझरा मोहननगर
13	रामनगर	मालधन नं0 2
14	रामनगर	भवानीपुर खुल्बे
15	रामनगर	राजपुर
16	रामनगर	देवीपुर बासीटीला
17	रामनगर	कानिया
18	रामनगर	पीरूमदारा

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-64 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 77 पर)

राज्य में 20349 स्थापित लघु सिंचाई योजनाओं पर किये गये निवेश एवं सृजित सिंचन क्षमता का जनपदवार विवरण।

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	निर्माण लागत (लाख रु०)	सिंचन क्षमता (हे०)
1	देहरादून	2017	27480.68	23825.95
2	टिहरी	3124	18980.42	21451.61
3	उत्तरकाशी	2122	7099.78	7701.27
4	हरिद्वार	281	4097.87	4673.56
5	पौढ़ी	2959	23343.26	22568.10
6	चमोली	1507	10358.42	9705.38
7	रूद्रप्रयाग	456	2653.79	3019.52
8	नैनीताल	1287	7729.28	11186.53
9	अल्मोड़ा	2810	10913.92	14076.53
10	उधमसिंह नगर	337	4202.48	6699.33
11	बागेश्वर	1044	5695.12	7502.94
12	चम्पावत	1007	5167.42	7471.02
13	पिथौरागढ़	1398	6706.65	9522.14
	कुल योग	20349	134450.13	149404.60

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–69 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 80 पर)

<u>ग्रामों की सूची</u>

क्र0सं0	ग्राम का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम
1	सपाहली	48	भटवाणी	95	देवपुरी पल्ली
2	सूराणी	49	बलडीप	96	चामडीन
3	जमुना	50	गोशन	97	खरसा
4	दिवाली	51	पुनली	98	क्यौराली
5	डाबड़	52	चालदेव	99	जुकलिया
6	सिलवाड	53	सौकर	100	चालोसेर
7	बाड़पाली	54	सिलाव	101	रघुनाथपुर
8	पुलेथ	55	बर्दू	102	बलुली
9	बालकमाला	56	सोन्देणी छोटी	103	पाण्डू
10	मटोडी	57	भागवाली		
11	छर्वी	58	चालदेव		
12	सिलाणी	59	पगाडी		
13	धन्धलाई	60	कांडिया		
14	सिविलयालगांव	61	बड़गांव		
15	राइसेरा	62	बनाई		
16	भगोरा	63	गजवाल		
17	डांकोली	64	सेन्धी		
18	आसकेला	65	सौकर		
19	सिरोली	66	बीजलोरा		
20	डोकोला	67	बनसा		
21	रोटिया	68	कमलेसा		
22	कुलाली	69	कुरकई		
23	गौरानाला	70	काननबेल		
24	नवोला	71	डांडलपुर		
25	खुलडिया	72	डाबेथा		
26	गेलखा	73	लालबगला		
27	अनवनचा	74	चौकपुर		
28	खुटिया तल्ला ,मल्ला	75	रानीखेत		
29	चूकोली तल्ली	76	गैलखा		
30	गौजवाणी	77	बीजापाला		
31	सिमलेत	78	बैसपोली तल्ली		
32	सिमलसेर	79	कालीभापू		
33	बाड़खेटी	80	कोलेख		
34	बसनाली	81	रखुवा		
35	बड़ाली	82	सितला		
36	जुराईखेत	83	संखु		
37	जुर्ई	84	बैसुली		
38	सिल्पुर	85	बलेथा		
39	सिमलाकोटू	86	सन्धेला		
40	बेड़ालखुणा	87	फलदाकोट		
41	सपगांव	88	बुहारीन		
42	मेल्खाला	89	बुढ़ाल		
43	पालकोला	90	उपगांव		
44	देवलढ़ेर	91	बूट		
45	कोठ्याल	92	सिमला		
46	सिमलगांव	93	सिरोली		
47	बर्कालखाला	94	सौला विगड़		

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-83 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 87 पर)

<u>प्रदेश के राजकीय पालिटेक्निक संस्थानों का विधानसभावार विवरण (संस्थान का नाम/स्वीकृत सीट/भरी गयी सीटों एवं रिक्त सीटों के विवरण सहित)-</u>

क्र. सं.	जनपद	क्र. सं.	विधान सभा	क्र. सं.	संस्थान का नाम	स्वीकृत सीटें	भरी सीटें	रिक्त सीटें।
1	उत्तरकाशी	1	पुरोला	–	–	–	–	–
		2	यमुनोत्री	1	1- रा.पा. बड़कोट	68	62	06
				2	2- रा.पा. चिन्यालीसौड़	26	26	00
		3	गंगोत्री	3	1- रा.पा. उत्तरकाशी	206	168	38
				4	2- रा.पा. पिपली	26	12	14
2	चमोली	4	बद्रीनाथ	5	1- रा.पा. गोपेश्वर	42	16	26
				6	2- रा.पा. जोशीमठ	26	06	20
				7	3- रा.पा. पोखरी	75	65	10
		5	थराली	8	1- रा.पा. कुलसारी	26	23	02
		6	कर्णप्रयाग	9	1- रा.पा. गौचर	166	151	15
				10	2- रा.पा. गैरसैण	26	25	01
3	रूद्रप्रयाग	7	केदारनाथ	11	1- रा.पा. जखोली	42	12	30
				12	2- रा.पा. देवालीभणिग्राम	संचालित नहीं है।		
		8	रूद्रप्रयाग	13	1- रा.पा. रूद्रप्रयाग	84	41	43
				14	2- रा.पा. घोलतीर	26	21	05
4	टिहरी गढ़वाल	9	घनसाली	–	–	–	–	–
		10	देवप्रयाग	15	1-रा.पा. हिण्डोलाखाल	42	36	06
				16	2- रा.पा. जोगनीसैण	संचालित नहीं है		
		11	नरेन्द्रनगर	17	1-रा.पा. गजा/पोखरी	26	22	04
				18	2- रा.पा. बछेलीखाल	26	24	02
				19	3- रा.पा. नरेन्द्रनगर	248	194	54
		12	प्रतापनगर	20	1- रा.पा. प्रतापनगर	24	18	06
				21	2- रा.पा. काण्डीखाल	26	25	01
		13	टिहरी	22	1- रा.पा. टिहरी	42	36	06
				23	2- रा.पा. जाखणीधार	26	20	06
		14	धनोल्टी	–	–	–	–	–
5	देहरादून	15	चकराता	24	1- रा.पा. सहिया	40	34	06
				25	2- रा.पा. क्वांसी	26	22	04
		16	विकासनगर	26	1- रा.पा. विकासनगर	42	31	11
		17	सहसपुर	27	1- रा.पा. देहरादून	291	250	41
				28	2- रा.म.पा. देहरादून	160	131	29

		18	धर्मपुर	—	—	—	—	—
		19	रायपुर	29	1– रा.पा. आमवाला	42	33	09
		20	रायपुर रोड	—	—	—	—	—
		21	देहरादून कैंट	—	—	—	—	—
		22	मसूरी	—	—	—	—	—
		23	डोईवाला	30	1– रा.पा. रानीपोखरी	संचालित नहीं है।		
		24	ऋषिकेश	31	1– रा.पा. गढ़ीश्यामपुर	42	33	09
6.	हरिद्वार	25	बी.एच.ई.एल. रानीपुर	32	1– रा.पा. हरिद्वार	42	39	03
		26	हरिद्वार	—	—	—	—	—
		27	ज्वालापुर	—	—	—	—	—
		28	भगवानपुर	33	1– रा.पा. फलस्वागाढ़	26	14	12
		29	झबरेड़ा	—	—	—	—	—
		30	पिरानकलियर	—	—	—	—	—
		31	रुड़की	—	—	—	—	—
		32	खानपुर	—	—	—	—	—
		33	मंगलौर	—	—	—	—	—
		34	लक्सर	—	—	—	—	—
		35	हरिद्वार (ग्रा.)	—	—	—	—	—
7	पौड़ी गढ़वाल	36	यमकेश्वर	34	1– रा.पा. बलाणी	82	75	07
		37	पौड़ी	35	1– रा.पा. पौड़ी	26	25	01
		38	श्रीनगर	36	1– रा.पा. श्रीनगर	334	285	49
				37	1– रा.पा. पाबौ	26	13	13
		39	चौबट्टाखाल	38	1– रा.पा. सतपुली	42	32	10
				39	2– रा.पा. बीरोंखाल	42	37	05
		40	लैंसडाउन	40	1– रा.पा. मकवेत	संचालित नहीं है।		
		41	कोटद्वार	41	1– रा.पा. कोटद्वार	80	68	12
8	पिथौरागढ़	42	धारचूला	42	1– रा.पा. बालवाकोट	26	25	01
				43	2– रा.पा. बरम	26	13	13
		43	डीडीहाट	44	1– रा.पा. कनालीछीना	42	36	06
				45	2– रा.पा. डीडीहाट	40	15	25
		44	पिथौरागढ़	46	1– रा.पा. मूनाकोट	42	40	02
				47	2– रा.पा. बांस	26	18	08
		45	गंगोलीहाट	48	1– रा.पा.गणाई गंगोली	68	52	16
				49	2– रा.पा. बेरीनाग	26	14	12

9	बागेश्वर	46	कपकोट	50	1– रा.पा. कपकोट	42	07	35
				51	2– रा.पा. काण्डा	42	30	12
		47	बागेश्वर	52	1– रा.पा. गरुड़	42	30	12
10	अल्मोड़ा	48	द्वाराहाट	53	1– रा.पा. द्वाराहाट	288	214	74
				54	2– रा.पा. चौखुटिया	संचालित नहीं है।		
		49	सल्ट	55	1– रा.पा. सल्ट	84	41	43
		50	रानीखेत	56	1– रा.पा. चौनलिया	40	27	13
		51	सोमेश्वर	57	1– रा.पा. ताकुला	40	07	33
				58	2– रा.पा. सोमेश्वर	संचालित नहीं है।		
		52	अल्मोड़ा	59	1– रा.म.पा. अल्मोड़ा	206	102	104
				60	2– रा.पा. बाड़ेछीना	26	22	04
		53	जागेश्वर	61	1– रा.पा. मल्लासालम	42	17	25
				62	2– रा.पा. दनिया	26	18	08
				63	3– रा.पा. जैंती	26	0	26
11	चम्पावत	54	लोहाघाट	64	1– रा.पा. लोहाघाट	200	180	20
		55	चम्पावत	65	1– रा.पा. चम्पावत	26	16	10
				66	2– रा.पा. टनकपुर	42	36	06
12	नैनीताल	56	लालकुआं	–	–	–	–	–
		57	भीमताल	67	1– रा.पा. भीमताल	26	24	02
		58	नैनीताल	68	1– रा.पा. नैनीताल	334	281	53
		59	हल्द्वानी	–	–	–	–	–
		60	कालाढूंगी	69	1– रा.पा. कालाढूंगी	42	35	07
				70	2– रा.पा. कोटाबाग	84	65	19
		61	रामनगर	71	1– रा.पा. रामनगर	26	21	05
13	ऊधमसिंहनगर	62	जसपुर	–	–	–	–	–
		63	काशीपुर	72	1– रा.पा. काशीपुर	376	355	21
		64	बाजपुर	73	1– रा.पा. बाजपुर	23	23	00
		65	गदरपुर	–	–	–	–	–
		66	रुद्रपुर	74	1– रा.पा. पंतनगर	42	36	06
		67	किच्छा	–	–	–	–	–
		68	सितारगंज	75	1– रा.पा. शक्तिफार्म	120	93	27
		69	नानकमत्ता	–	–	–	–	–
		70	खटीमा	76	1– रा.पा. खटीमा	52	47	05

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 विधान सभा/325–03–01–2017–25 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।